नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 266, नई दिल्ली, मंगलवार 02 दिसम्बर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, जो हमें जीत की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त करती है।

03 शंख के प्रकार
06 प्री-प्राइमरी शिक्षा की उच्च कीमत: क्या एक महंगा स्कूल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए शो-ऑफ है?
08 संकट में देव नदी: पानी सूखा, रेत तस्करी चरम पर

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर, पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर दौड़ रही हैं पुरानी गाड़ियां

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण बीएस-III या उससे कम रेटिंग वाले वाहनों पर प्रतिबंध है, फिर भी एनसीआर में 37% वाहन बीएस-I से III श्रेणी के हैं। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई पुरानी गाड़ियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई गाड़ियां अभी भी एनसीआर में चल रही हैं। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करने का प्रयास कर रही है।

परिवहन विशेष न्यूज

एनसीआर में 37% वाहन बीएस-I से III ● इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात

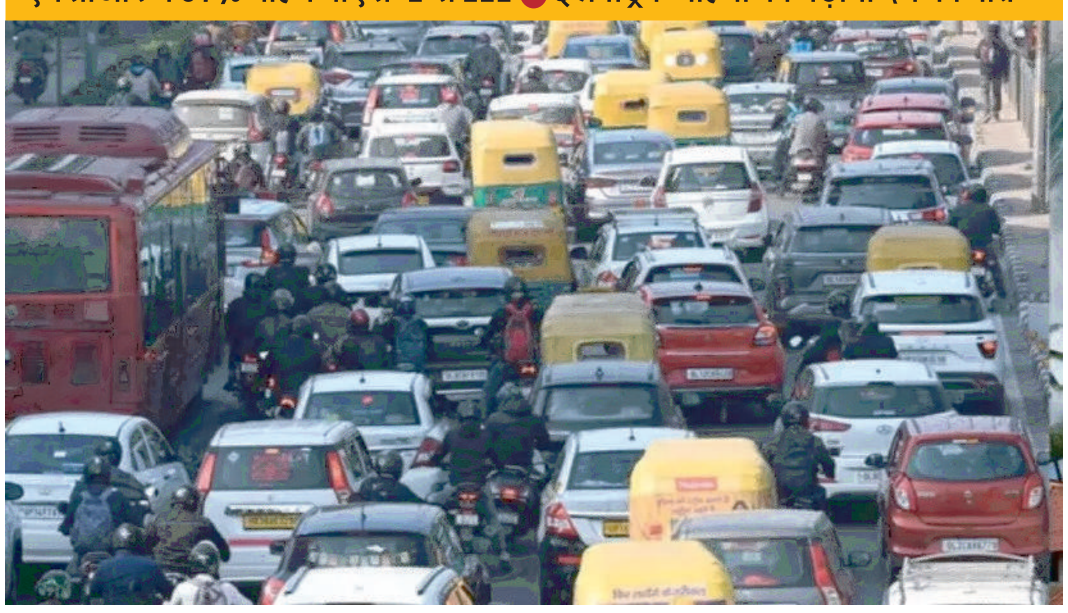

नई दिल्ली। एयर पॉल्यूशन की वजह से BS-III या उससे कम रेटिंग वाली गाड़ियों पर बैन है। इसके बावजूद, NCR में सभी गाड़ियों में से 37 परसेंट BS-I से III हैं। गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को लेकर चिंतित केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कही है। दिल्ली-NCR में कुल 29.7 मिलियन गाड़ियां हैं। BS-I से III गाड़ियों में से 37 परसेंट को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने की जरूरत है। इन गाड़ियों में 67 परसेंट टू-व्हीलर और 26 परसेंट फोर-व्हीलर शामिल हैं।

दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन को रोकने के लिए, 2018 से अब तक 63,67,059 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन पुरानी होने की वजह से कैंसिल किया गया है। इनमें से 8,68,173 मालिकों ने दूसरे राज्यों में अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से NOC ले ली है, और 139,096 गाड़ियों को सरकार के तय स्क्रैप डीलरों के पास स्क्रैप कर दिया गया है। इसके अलावा, 5.3 मिलियन गाड़ियों का अभी पता नहीं है।

हालांकि, ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें से कई गाड़ियों को स्क्रैप डीलर्स ने प्राइवेट तौर पर स्क्रैप कर दिया था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास उनका रिकॉर्ड नहीं था। वे यह भी मानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसी गाड़ियां अब NCR इलाके में चल रही हैं या दूसरे राज्यों में ले जाई गई हैं, जहां वे अभी भी दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबरों पर चल रही हैं।

ध्यान दें कि हाल की कई स्टडीज़ से पता चला है कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण का एक बड़ा कारण पुरानी गाड़ियों की बड़ी संख्या है, जो प्रदूषण में योगदान दे रही हैं। केंद्र सरकार के अनुसार, BS-1 से BS-3 गाड़ियों की संख्या काफी है। केंद्र सरकार के हिसाब से, इस समस्या का एकमात्र समाधान इन गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलना है।

इसके लिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली और NCR इलाके के राज्यों से अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी पॉलिसी की समीक्षा करने और उनमें बदलाव करने को कहा है ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदना और चलाना इतना आसान और सस्ता बनाने की कोशिश कर रही है कि लोग पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां खरीदने के बजाय उनकी तरफ आकर्षित हों। 14 नवंबर को, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को साफ निर्देश जारी किए।

प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के मामले में NCR इलाके की हालत दिल्ली से भी खराब है। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह से, NCR की सड़कों पर बड़ी संख्या में पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, जो प्रदूषण में योगदान दे रही हैं। इससे दिल्ली में कुछ जगहों पर असर पड़ रहा है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण NCR इलाके में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न होना है। उनके मुताबिक, 2018 में दिल्ली में बैन की गई कई गाड़ियां, जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी थीं, अभी भी NCR इलाके में लोगों के पास हैं और वहां चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय गाड़ी मालिकों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आकर्षित करना चाहती है।

सोनीपत से लेकर ग्रेटर नोएडा तक जहर! टॉप-10 सबसे प्रदूषित शहरों में सिर्फ एनसीआर....

सोनीपत और ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के कई शहर वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं। देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में एनसीआर के शहरों का दबदबा है, जो एक गंभीर स्वास्थ्य संकट की ओर इशारा करता है। हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। हवा की स्पीड कम होने की वजह से सोमवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी एक बार फिर "बहुत खराब" कैटेगरी में पहुंच गई। दिल्ली के साथ-साथ NCR के दूसरे शहरों में भी पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है। सोमवार को देश के सभी 10 सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर NCR में थे, जिसमें सोनीपत सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रहा।

नवंबर के ज़्यादातर समय राजधानी की एयर क्वालिटी सीवियर या बहुत खराब कैटेगरी में रही। 24 दिन बाद रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब से खराब कैटेगरी में पहुंच गया। हालांकि, हालात फिर से बिगड़ने लगे हैं। अगले तीन-चार दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, रविवार को AQI 279 रिकॉर्ड किया गया था। सोमवार को यह 304 पर पहुंच गया। CPCB के SAMEER ऐप के डेटा के मुताबिक, 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 24 ने AQI "बहुत खराब" कैटेगरी में और 14 ने "खराब" कैटेगरी में रिकॉर्ड किया। इस बीच, स्विस ऐप IQ Air के अनुसार, दिल्ली का AQI 247 था।

देश के 10 सबसे प्रदूषित शहर (1 दिसंबर 2025)

रैंक	शहर	AQI
1	सोनीपत (हरियाणा)	329
2	हापुड़ (उत्तर प्रदेश)	324
3	मानेसर (हरियाणा)	323
4	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	322
5	बहादुरगढ़ (हरियाणा)	322
6	नोएडा (उत्तर प्रदेश)	321
7	दिल्ली	304
8	भिवाड़ी (राजस्थान)	302
9	धारूहेड़ा (हरियाणा)	299
10	ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)	296

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत
https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com
tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार

पिंकी कुंडू महासचिव,

दूरसंचार साइबर सुरक्षा संशोधन नियम, 2025 भारत के डिजिटल सुरक्षा परिदृश्य को नया रूप दे रहा है। यह अधिनियम मोबाइल नंबर सत्यापन (MNV) और दूरसंचार पहचान उपयोग प्रवर्तन (TIUE) को सख्ती से लागू करता है। इसके परिणामस्वरूप विदेशों से साइबर अपराधियों द्वारा व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और इसी तरह के प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग पर रोक लगी है, जिससे वसूली और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।

नियम के लागू होने के प्रमुख परिणाम

1. साइबर अपराध और वसूली पर रोक

- OTP आधारित सक्रियण से यह सुनिश्चित होता है कि मैसेजिंग अकाउंट नकली या विदेशी नंबरों से गुमनाम रूप से नहीं बनाए जा सकते।
- विदेशों में अपराधी जो पहले खामियों का फायदा उठाकर वसूली रैकेट चलाते थे, अब ट्रेस किए जा सकते हैं और उनके अकाउंट निष्क्रिय हो जाते हैं।
- व्हाट्सऐप/टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफ़ॉर्म का धमकी कॉल, सेक्सटॉर्शन और वित्तीय धोखाधड़ी में दुरुपयोग कम हुआ है।

2. दूरसंचार पहचान सुरक्षा को मज़बूत करना

- मोबाइल नंबर सत्यापन (MNV) प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत से सिम स्वामित्व की पुष्टि होती है, जिससे म्यूल अकाउंट और पहचान धोखाधड़ी रोकी जाती है।
- TIUE की बाध्यताएँ दूरसंचार कंपनियों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को पहचान उपयोग की निगरानी करने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे हर सक्रियण में जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

3. बैंकिंग और ई-कॉमर्स पर प्रभाव

- UPI घोटाले, नकली ई-कॉमर्स लेनदेन और फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले धोखाधड़ी अकाउंट अब टिकाऊ नहीं रह पाते।
- बैंकों और भुगतान गेटवे को बेहतर KYC अनुपालन का लाभ मिलता है, जिससे वित्तीय नुकसान और ग्राहक विवाद कम होते हैं।

4. पुनर्विक्रय उपकरण की जाँच

- सेकंड-हैंड उपकरण अब जाँच और स्क्रबिंग प्रोटोकॉल के अधीन हैं, जिससे क्लोन किए गए IMEI या समझौता किए गए फ़ोन धोखाधड़ी में दोबारा उपयोग नहीं हो सकते।
- इससे साइबर गिरोहों द्वारा पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी खामी बंद हो जाती है।

5. कानून प्रवर्तन क्षमताओं में वृद्धि

- पुलिस और साइबर सेल को सत्यापित दूरसंचार पहचानकर्ताओं के माध्यम से संदिग्धों का तेज़ी से पता लगाने में मदद मिलती है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग से खाता ट्रैकिंग आसान हो जाती है क्योंकि सत्यापित नंबरों से जुड़े अकाउंट सीमा-पार खुफिया साझेदारी में ट्रेस किए जा सकते हैं।

6. नागरिक विश्वास और डिजिटल स्वच्छता

- नागरिक मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग करते समय सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यादृच्छिक विदेशी नंबर उन्हें परेशान नहीं कर सकते।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सार्वजनिक विश्वास बढ़ता है, जिससे सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है।

चुनौतियाँ और समझौते

- गोपनीयता चिंताएँ: नागरिक समाज समूह चेतावनी देते हैं कि यदि सुरक्षा उपाय स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए तो अधिनियम का दुरुपयोग और निगरानी का खतरा हो सकता है।
- परिचालन बोझः दूरसंचार कंपनियों और प्लेटफ़ॉर्म को अनुपालन अवसंरचना में भारी निवेश करना होगा।
- वैश्विक समन्वयः अपराधी कम प्रसिद्ध ऐप्स या डार्कनेट चैनलों की ओर पलायन कर सकते हैं, जिसके लिए निरंतर सतर्कता आवश्यक है।

दूरसंचार विभाग (DoT) साइबर सुरक्षा संशोधन नियम, 2025 एक गेम चेंजर हैः यह दूरसंचार पहचान दुरुपयोग की पुरानी खामियों को बंद करता है, साइबर वसूली को बड़े पैमाने पर कम करता है और भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत बनाता है। यह नागरिक सुरक्षा और लचीलापन दोनों को बढ़ावा देता है।

जीवन में सफलता पाने का मूल मंत्र

जीवन में सफलता केवल शारीरिक परिश्रम से नहीं मिलती, बल्कि उसके पीछे छिपा होता है दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और निरंतरता का मजबूत आधार। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, मन में अटूट विश्वास रखता है और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता— वही सच्चे अर्थों में सफलता को प्राप्त करता है।

रेगिस्तान की तपती रेत पर उगते सूरज की तरह, जीवन में भी उजाला तभी आता है जब हम अपने अंदर आशा, साहस और सकारात्मक सोच को बनाए रखते हैं। कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हों, यदि मनोबल मजबूत हो तो हर राह आसान लगने लगती है।

आज की सुबह हमें यह संदेश देती है कि - सफलता अंदर की शक्ति से जन्म लेती है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। इसलिए अपने हौसलों को हमेशा ऊँचा रखें और आत्मविश्वास को अपना साथी बनाएं।

पिंकी कुंडू
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश,
सदस्य उज्जवला योजना भाजपा दिल्ली प्रदेश

बहस में नहीं, जीवन में जीतना सीखो

लोग क्या कहेंगे—लोग क्या सोचेंगे—बहस में कौन जीतेगा... कौन हारेगा। हम अपना सच्चा मन, अपनी सच्ची भावनाएँ और अपना सही विचार भी दबा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला न जीत जाए।

इसी डर में लोग आवाज़ खो बैठते हैं।

1. रामायणजी में राम कभी बहस जीतने के लिए नहीं बोले— वे सत्य के लिए बोले। रावण हर बहस जीतता था, पर जीवन हार गया। सबसे बड़ी जीत बहस जीतना नहीं—सच्चाई पर टिके रहना है।

2. समस्या है—रिश्तों में तकरार और गलतफहमियाँ। आज घर–परिवारों में बहस तर्क की नहीं, अहंकार की हो गई है। हर कोई चाहता है कि उसकी बात अंतिम हो। सीता– राम– लक्ष्मण किसी भी परिस्थिति में एक - दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हुए। वनवास हो या दुःख —वे टीम थे, एक-दूसरे के विपक्ष नहीं। रिश्ते बहस जीतने से नहीं, एक-दूसरे को जीताने से चलते हैं।

3. समस्या है—अनसुने रह जाना — लोग सुनते नहीं, बात काट देते हैं। बहुत लोग ये दर्द महसूस करते हैं—"मैं बोलता हूँ, पर कोई सुनता ही नहीं।" हनुमानजी ने बोलने से पहले सुनना सीखा। इसलिए वे सबसे प्रिय बने। जो सुनना सीख जाता है, उसकी बात में तेज, ताकत और विश्वास आ जाता है। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वही है, जिसके शब्दों में संयम और सुनने में विनम्रता हो।

4. समस्या है—गुस्से में बहस बिगाड़ देना। आज अधिकांश बहसें सच पर नहीं, भावनाओं की चोट पर हार जाती हैं। लोग जीतना चाहते हैं, समझना नहीं। लक्ष्मण का क्रोध कई जगह उचित था। लेकिन जब भी उन्होंने सीमा लाँघी, संकट आया। सीमाएं शरीर की नहीं होती— वाणी की भी होती हैं। जहां क्रोध हावी हो जाए, वहां जीत नहीं, विनाश शुरू होता है।

5. समस्या है गलत को सही मान लेना सिर्फ इसलिए कि सब कह रहे हैं। आज लोग तर्क नहीं देखते, भीड़ किस ओर गई है ये देखते हैं। लंका में हर मंत्री जानता था कि रावण गलत है, फिर भी चुप थे। ये चुप्पी ही लंका का पतन बनी। यदि आप सच जानते हैं और बोलते नहीं— आप भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाते हैं। रामायणजी हमें सिखाती है— बहस में नहीं, जीवन में जीतना सीखो। "आवाज़ ऊँची मत करो, तर्क ऊँचे रखो।" सामने वाले को हराओ नहीं, सत्य को जिताओ। "रिश्ते बचाओ, अहंकार नहीं।" जहाँ आवश्यक हो, चुप रहना भी जीत है। "और सबसे बड़ी बात— अच्छाई हमेशा जीतती है, लेकिन शांत होकर, समय लेकर।

उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में

यह तस्वीर सिर्फ एक टेबल नहीं,
इंसानों के बदलते संस्कारों का आइना है।
अपनी जेब से पैसा जाए तो लोग दाना तक नहीं छोड़ते, और
जहाँ मुफ्त मिले... वहाँ इंसानियत तक फिसल जाती है।
अन्न की कद्र नहीं रही...
बस आदतें बिगड़ चुकी हैं.
थोड़ी सी शर्म साथ ले आते तो
यह टेबल भी इतना अपमानित न होती
और इंसानियत भी इतनी सस्ती न लगती...
यह खाने की बर्बादी है या लोगों की परवरिश का सच..
जिस किसान ने अपने खुन पसीना और मेहनत से अपनी खेती मे इसको उगाया है, उसका ये अपमान है और पैसो की मस्ती की निशाणी है... !
इसे रोकने के लिए हर इन्सान को सोचना पडेगा.
निवेदनएक बाप ने इसी दिन के लिए पाई पाई जोड़ी थी , किसी को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं तो किसी को फेंकने के लिए कमी नहीं
उतना ही लें थाली में व्यर्थ न जाए नाली में

क्या आज की दुनिया के शोर में आप अपनी heartbeat की आवाज़ सुन पाते हैं?

सुबह आँख खुलते ही दिमाग में दौड़ शुरू —काम, लोग, responsibilities, comparison और फिर दिन भर वही भागदौड़- जो आत्मा को अंदर से खोखला कर देती है। हम हँसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक खामोश चीख चल रही होती है जो कहती है कि बस-थोड़ा रुक जाओ। मुझे भी सुन लो" यही आज की सबसे बड़ी समस्या है।

हम सबको सुनते हैं, सिवाय अपने मन और अपने भगवान के।

हम इतने शोर में बंध गए हैं कि खुद को खो दिया है। हम busy इसलिए नहीं हैं कि ज़िंदगी बहुत कठिन है। हम busy इसलिए हैं कि हम रुकने से डरते हैं क्योंकि अगर हम रुक गए, तो मन हमें वह सब दिखा देगा जिसे हम सालों से टाल रहे हैं —दर्द, डर, थकान, अधूरे सपने, अपूर्ण रिश्ते इसलिए हम शोर को ढाल बना लेते हैं। लोग, बातचीत, फोन, काम बस भागते रहो-जितना भागोगे, उतना अंदर से खाली होते जाओगे।

रामायण में जब पूरी सेना परेशान थी, संकट था, समय कम था, हर तरफ चर्चा, बहस, ऊहापोह चल रहा था-तब एक योद्धा था जो सबसे अलग बैठा था—चुप। शांत। स्थिर। वह कोई साधारण मौन नहीं था। वह आत्मा का मौन था। वह विश्वास का मौन था। वह मौन था हनुमानजी का, उन्होंने समुद्र को भी शब्दों से नहीं अपितु मौन + संकल्प + राम-नाम से पार किया।

हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि शक्ति शोर में नहीं, मौन में जन्म लेती है। शोर उलझाता है, मौन मार्ग दिखाता है।

आज की ज़िन्दगी में हनुमानजी का मौन कैसे काम करता है? आज कोई आपको समझे या न समझे, आपके पास एक चीज़ जरूर है "अपना पाँच मिनट का मौन।" यही मौनः "आपके टूटे हुए मन को जोड़ता है। "आपकी बिखरी हुई सोच को केंद्र में लाता है। "आपके डर को छोटा कर देता है। "और सबसे ज़रूरी—आपको राम के करीब ले आता है क्योंकि भगवान शोर में नहीं- फुसफुसाहट में बोलते हैं और सिर्फ मौन में ही वह फुसफुसाहट सुनी जा सकती है।

आज का रामायण Reminder है किः

1. "हर दिन 5 मिनट अकेले बैठें।
2. "आँखें बंद करें।
3. "एक गहरी साँस लें।
4. "हृदय में बस एक शब्द "राम"।
5. "बाकी सब अपने आप शांत होने लगेगा।

क्योंकि मौन ही वह जगह है जहाँ भय मिटता है, विश्वास जन्म लेता है, और इंसान अपने असली "स्व" को देख पाता है।

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

बलपुष्टि एवं स्वास्थ्य वर्धक शीत ऋतु में इस विषय में आयुर्वेद ने चेतावनी

पिंकी कुंडू

सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश

सदस्य उज्जवला योजना भाजपा दिल्ली प्रदेश

बलपुष्टि एवं स्वास्थ्य वर्धक शीत ऋतु में इस विषय में आयुर्वेद ने चेतावनी दी है-

स यदा नेन्धनं युक्तं रहते देहजं तथा ।

रसं हिनस्त्यतो वायुः शीत शीते प्रकुप्यति ।। - चरक संहिता सुत्र.सबल और सुडौल बनाने वाला चिलगोजा पाक आयुर्वेद ने कई प्रकार के पाक बनाने का विवरण प्रस्तुत किया है सभी पाक अपने अपने द्रव्यों के अनुसार अच्छे और शक्तिवर्धक होते हैं पर सभी पाठकों में श्रेष्ठ पाक है चिलगोजा पाक जो युवा, प्रौढ़, वृद्ध, स्त्री-पुरष सभी के लिए उपयोगी है और पूरे वर्ष भर सेवन करने योग्य है इस पाक कला परिचय प्रस्तुत है ।

घटक द्रव्य- चिलगोजा 500 ग्राम, बदाम की गिरी 1किलो, गाय का घी 200 ग्राम, मिश्री 3 किलो, केशर 10 ग्राम, जावित्री, जयफल, सेंठ, कालीमिर्च, पीपल, लोंग, दालचीनी, तेजपात, छोटी, इलायची, विदारीकन्द, कपिकच्छू के शुद्ध किये हुए बीज, सफेद मूसली, खरेंटी के बीज, सालम मिश्री, शतावर, और वंशलोचन- सब 10-10 ग्राम

रससिन्दूर 50 ग्राम, बंगभस्म 25 ग्राम, प्रवाल पीष्टी 20 ग्राम ।

निर्माण विधि- चिलगोजा, (pinenut) और बदाम इमामदस्ते डालकर मोटा मोटा दरदरा पीस लें इसे गो घृत में मन्दी आग पर अच्छा गुलाबी होने तक भूने, फिर मिश्री की चासनी बनाए पानी के साथ केसर खरल में घोंट कर चाशनी में डाल दें अच्छी गाढ़ी होने पर इसके बाद जावित्री से लेकर वंशलोचन तक के सभी द्रव्य कुट पीस कर बारीक चूर्ण करके चाशनी में डाल कर अच्छी तरह हिला चला कर सबको एक जान कर लें अब इसे थालियों में फैला कर जमा लें और सुखा कर अच्छा जम जाए तो इसे मसल कर पाउडर कर लें ।

मात्रा और सेवन विधि 3 - 3 ग्राम सुबह और रात को सोते समय खा कर मीठा गर्म दूध पिएं ।

लाभ -यह पाक बलवीर्यवर्धदक और पौष्टिक योग का राजा है हर उम्र के व्यक्ति, स्त्री और पुरुष के लिए सेवन योग्य है दुबले और कमजोर व्यक्तियों को इसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए इसके सेवन से दिमाग, हदय, और स्नायविक संस्थान को बहुत बल मिलता है, वीर्य की कमी दूर होती हैं, वीर्य बढ़ता है और गाढा होता है जिससे यौन शक्ति बढ़ती है, स्तम्भन शक्ति बढ़ती है इसका सेवन करने से पित्त विकार और इससे पैदा होने वाले रोग दूर होते हैं, सिर दर्द, कमजोरी के कारण आने वाले चक्कर दूर होते हैं दिमाग थकावट और कमजोरी दूर होती है इसे पूरे वर्ष भर सेवन किया जा सकता है पर शीतकाल में तो अवश्य सेवन करना चाहिए दिमागी काम करने वाले जैसे विधार्थी, शिक्षक, वकील, जज, इंजीनिअर, आफिस में काम करने वाले, डाक्टर आदि तथा सिर दर्द के रोगी को चिलगोजा पाक अवश्य खाना चाहिए

सिर दर्द भी एक भयंकर व्याधि है जो मोटे तौर पर दो कारणों से होती हैं

पहला है पित्त कूपित होना और दूसरा पेट ठीक न रहना यानी कब्ज रहना जिससे गैस बनती है और सिर दर्द होने लगता है पित्त प्रकोप के कारण होने वाला सिरदर्द उल्टी होने पर पित्त निकल जाने से बन्द होता है इसके सेवन से पूरा शरीर पुष्ट वह बलवान बना रहता है बल वीर्य और सभी धातुएं पुष्ट होती है। दिल दिमाग को पुष्टि व शक्ति प्राप्त होती है, यौन शक्ति व सामर्थ्य की वृद्धि होती है तथा नपुंसकता दूर होती है। ध्वजभंग, स्वप्नदोष और शीघ्र पतन आदि यौन रोगों को दूर करने के लिए पाक कला सेवन करना बहुत लाभ करने वाला सिद्ध होता है। महिलाओं के लिए भी चिलगोजा पाक बहुत लाभप्रद है इसके सेवन से स्त्रियों का श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर रोग, कमर दर्द, चेहरे की निस्तेजता आदि व्याधि दुर होती है।

जानें नीम के तेल को कैसे बनायें और नीम के तेल के अनेक रोगों जैसे बालों का गिरना , त्वचा रोगों , दाद खाज, खुजली , पतला होने, जोड़ों के दर्द आदि में अद्भुत लाभ

नीम का तेल कैसे बनायें

1. इसके लिए सबसे पहले नीम की पत्तियों को लेकर अच्छी तरह से धो लें।
2. फिर इसे टहनियों से अलग करके एक कटोरी में भरें ताकि हमें इसका सही नाप मिल सके।
3. अब इसे एक मिक्सर जार में डालकर पत्तियों को अच्छी तरह से पीस लें।
4. फिर इसमें एक कटोरी नारियल का तेल मिलाकर अच्छी तरह से पीसकर महीन पेस्ट बनाएं।
5. हमारे पास नीम और नारियल के तेल का अच्छे से पिसा मिक्चर तैयार हो गया है।
6. अब भारी तले की कड़ाही में नीम और तेल का मिश्रण डाल दें।
7. इसे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएं।
8. धीमी आंच पर इसलिए क्योंकि हमें नीम की पत्तियों को जलाना नहीं है बल्कि इसमें मौजूद पौष्टिक गुणों को तेल में पाना है।
9. नीम के तेल को बनाने के लिए हमने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है।
10. फिर गैस को बंद कर दें और तेल को ठंडा होने के लिए रख दें।
11. आपका शुद्ध नीम का तेल तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद छानकर रख दें।
12. इसे आप रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके रख सकती हैं।

यदि बात करें नीम के तेल की तो यह त्वचा से मुंहासे, सोरायसिस, खुजली और दाद आदि को दूर करने में बेहद फायदेमंद है। यदि नीम के तेल को अपने स्किनकेयर रूटीन में शामिल किया जाए, तो इससे कई तरह के लाभ मिलेंगे। इसके तेल में विटामिन-ई, अमीनो एसिड और फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो सकिन को अंदर से पोषण देने का काम करते हैं।

नीम के तेल की 4 बूंदें नियमित रूप से करीब 1 महीने तक नाक में डालने से बालों का गिरना बंद हो जाता है। साथ ही हमारे बाल लंबे, घने व मज़बूत भी होते हैं। इसके अलावा नीम तेल के इस्तेमाल से आप सिर में खुजली होने की परेशानी से भी बच सकते हैं।

अगर रोजाना रात को नाभि पर नीम का तेल लगाया जाए, तो मोटापे और जोड़ों में दर्द से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इससे पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है। बैली फैट को कम करने और ब्लोटिंग की समस्या को दूर करने के लिए भी रात को नाभि पर नीम का तेल लगाया जा सकता है। नाभि पर तेल लगाने से ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है।

कैसे करें इस्तेमाल :

1. नीम के तेल को जैतून के तेल के साथ मिलाकर शरीर के किसी भी तरह के घाव पर लगाया जा सकता है।
2. मच्छरों को दूर रखने के लिए नीम के तेल को त्वचा पर लगाया जा सकता है।
3. मच्छरों और कीड़ों को दूर रखने के लिए घर में नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं।

मेथी साग सर्दियों का नेचुरल हीट बूस्टर + शुगर कंट्रोल का बादशाह

मेथी साग सर्दियों का नेचुरल हीट बूस्टर + शुगर कंट्रोल का बादशाह हरे-हरे छोटे पत्ते... हल्की कड़वाहट... लेकिन सेहत के मामले में मेथी साग पूरा पावरहाउस!

सर्दियों में यह सिर्फ सब्ज़ी नहीं, बल्कि बॉडी क्लीनर + ब्लड शुगर बैलेंसर + इम्यूनिटी बूस्टर का एकदम देसी सोर्स है।

गांव की दादियाँ कहती हैं —

"जो मेथी साग खाये, उसकी सर्दी-खाँसी दूर भाग जाये!"

क्यों मेथी साग एक SuperFood है?

मेथी साग में हैं —

1. Vitamin A, C, K, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट + एंटीडायबिटिक गुणः- लीवर, किडनी और स्किन को साफ़ रखने वाले तत्व
2. हल्का कड़वा स्वाद → लेकिन असर? 100% असली, बॉडी में फील होने वाला!

मेथी साग के प्रमुख फायदे

1. शुगर कंट्रोल का मास्टर मेथी साग इंसुलिन सेंसेटिविटी बढ़ाता है, ब्लड शुगर को नेचुरली बैलेंस करता है — इसलिए डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद।

2. पाचन मजबूत करता है कड़वाहट पेट की गर्मी ठीक करती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी को कम करती है।
3. खून साफ़ + स्किन ग्लो मेथी का साग शरीर से टॉक्सिन निकालता है, जिससे स्किन साफ़, दाने कम और नेचुरल ग्लो बढ़ता है।
4. सर्दियों में गर्माहट देता है नेचुरल हीटिंग प्रॉपर्टी के कारण, सर्दी-खाँसी, जुकाम, बॉडी पेन कम करता है।
5. हड्डियों और बालों के लिए बेहतरीन कैल्शियम + आयरन से हड्डियाँ मजबूत, बाल झड़ना कम, हेयर ग्रोथ जल्दी होती है।

मेथी साग को खाने के देसी तरीके

1. मेथी आलू की सूखी सब्ज़ी हल्की मसाले वाली — रोटी के साथ बेहतरीन।
2. मेथी पराठा सुबह के नाश्ते में— स्वाद, सेहत, तृप्ति सब कुछ एक साथ।
3. मेथी दाल तड़का दाल में एक मुट्ठी मेथी डालते ही स्वाद + न्यूट्रीशन डबल।
4. मेथी पालक मिक्स सब्ज़ी दोनों हरी सबज़ियों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन।
5. मेथी का साग + लहसुन तड़का सर्दियों की सबसे खुशबूदार और हल्की डिश।
6. मेथी थेपला / मेथी पूड़ी गुजराती स्टाइल— बच्चे भी शौक से खाते हैं।

सही मात्रा (Daily Use Guide)

1–2 कटोरी पकी हुई मेथी सब्ज़ी

हफ्ते में 3–4 बार खाना सबसे अच्छा

अगर गैस/एसिडिटी ज्यादा होती है—

मेथी को दही या छाछ के साथ खाना बेहतर

सर्दियों में फिट रहना है? बस मेथी साग को थाली में शामिल कर लीजिए...क्यूंकि ये है असली देसी सुपरफूड!

फिटकरी + सरसों का तेल = गंजापन कम और नए बाल उगते हैं

वैज्ञानिक कारणः

1. फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल और स्कैल्प क्लीनिंग गुण होते हैं, जिससे स्कैल्प की गंदगी व इन्फेक्शन कम होते हैं।
2. सरसों के तेल में ओमेगा-3, विटामिन E और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं।
3. दोनों मिलकर स्कैल्प circulation बढ़ाते हैं और नए बाल उगने में मदद करते हैं।

आयुर्वेदिक कारणः

1. फिटकरी कफ कम करती है और स्कैल्प की नमी व चिपचिपाहट हटाती है।
2. सरसों का तेल पित्त शांत करता है और जड़ों में गर्माहट देकर बालों की वृद्धि बढ़ाता है।
3. आयुर्वेद में इसे केश-वर्धक उपाय माना गया है।

फायदेः

* गंजापन कम
* नए बालों का विकास
* बाल मजबूत और घने
* स्कैल्प infections कम
* हेयर फॉल कम

नुकसान/ हानिः

* फिटकरी ज्यादा लगाने से सूखापन
* सरसों का तेल कुछ लोगों को सूट नहीं करता
* गलत मात्रा में scalp irritation
* एलर्जी होने का खतरा

"Medorrhinum – पुरानी छुपी बीमारियों को जड़ से मिटाने वाली शक्तिशाली होम्योपैथिक दवा"

Medorrhinum एक गहरी और शक्तिशाली chronic miasmatic remedy है, जो शरीर में लंबे समय से छुपी हुई, बार-बार लौटने वाली और जटिल समस्याओं को ठीक करने की क्षमता रखती है। यह दवा खासकर उन लोगों में बहुत असरदार मानी जाती है जिनकी तकलीफें बार-बार दोहराती हैं और किसी भी सामान्य इलाज से ठीक नहीं होतीं।

Medorrhinum के प्रमुख लाभ (Benefits)

1. पुरानी और बार-बार होने वाली बीमारियाँ
1. बार-बार सर्दी, खांसी
२. बार-बार जोड़ों का दर्द
३. बार-बार स्किन समस्या
4. Medorrhinum ऐसे मामलों में गहरी लेयर तक काम करता है और रोग की जड़ को खत्म करता है।

२. महिलाओं की क्रॉनिक समस्याएँ
1. अत्यधिक या अनियमित मासिक धर्म
२. सफेद पानी (Leucorrhoea)
३. पेल्विक दर्द
4. बार-बार यूरिनरी इंफेक्शन
5. यह दवा महिलाओं के हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाती है।

३. बच्चों में विकास संबंधित समस्याएँ
1. देर से बोलना
२. डरपोक स्वभाव
३. रात में डरकर उठना
4. कमजोर याददाश्त
5. Medorrhinum बच्चों की मानसिक व शारीरिक वृद्धि में मदद करती है।

4. मानसिक लक्षणों में बेहद असरदार
1. जल्दी गुस्सा आना
२. बेचैनी
३. मूड में तेजी से बदलाव
4. ज़्यादा सोचने की आदत
5. चिंता और निराशा
६. कुछ रोगियों में याददाश्त कमजोर होना या चीज़ें भूल जाना भी ठीक होता है।

5. त्वचा संबंधी समस्याएँ
1. बार-बार पिंपल
२. स्किन पर लाल दाने
३. पुरानी खुजली
4. फंगल संक्रमण

5. यह दवा त्वचा को अंदर से शुद्ध करने में मदद करती है।

६. पाचन सम्बंधित लाभ
1. गैस
२. कब्ज
३. पेट में जलन
4. बार-बार पेट खराब होना
5. Medorrhinum पाचन को स्थिर करने में मदद करती है।

किस तरह के व्यक्तियों में यह दवा जल्दी असर करती है?

1. जो रात में ज्यादा सक्रिय रहते हों
२. जिन्हें समुद्र या पानी पसंद हो
३. जो गर्मी से तकलीफ महसूस करते हों
4. जो ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हों
5. जिनकी बीमारी लंबे समय से चली आ रही हो

खुराक (Dose) – सामान्य जानकारी

1. Medorrhinum २00CH या 1M
२. खुराक डॉक्टर आपकी समस्या के अनुसार तय करते हैं।
३. इसे बार-बार नहीं दी जाती, क्योंकि यह 'दीप एक्टिंग' (गहराई तक काम करने वाली) दवा है।
4. हमेशा होम्योपैथिक विशेषज्ञ की सलाह से ही लें।

संक्षेप में Medorrhinum उन बीमारियों के लिए खास दवा है जो बार-बार होती हैं, पुरानी हो चुकी हैं, और किसी भी सामान्य दवा से ठीक नहीं होतीं। यह शरीर की गहरी लेयर पर काम करके रोगों की जड़ साफ करती है।

स्टैटिन के बारे में आपका डॉक्टर जो नहीं बताता

केवल LDL कोलेस्ट्रॉल कम करने से दिल का दौरा रुक जाए — यह मान्यता अधूरी है। सच यह है कि दिल का दौरा पड़ने वाले लगभग आधे लोगों का LDL सामान्य होता है। असली खतरा LDL नहीं, बल्कि धमनियों में होने वाली सूजन (inflammation) और मेटाबॉलिक गड़बड़ी है।

मुख्य बिंदु

1. LDL पूरी कहानी नहीं है
1. हमारी धमनियाँ नलियों की तरह नहीं, जीवित ऊतक हैं।
२. जब प्लाक में सूजन होती है, तो वह कमजोर होकर फट सकता है।
*. प्लाक फटने पर शरीर रक्त का थक्का बनाता है → यही दिल का दौरा पैदा करता है।
4. यह सब LDL सामान्य होने पर भी हो सकता है।

२. असली दोषी: सूजन और मेटाबॉलिक समस्याएँ सबसे ज्यादा खतरा तब पैदा होता है जब:
1. शरीर में लगातार सूजन हो,
२. इंसुलिन रेजिस्टेंस हो,
३. छुपा हुआ प्री-डायबिटीज या डायबिटीज हो।
4. इन स्थितियों का पता ऐसे टेस्ट से चलता है, जिन्हें डॉक्टर कम ही करवाते हैं:
1. CRP – शरीर में सूजन
२. MPO – धमनियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस
*. Lp-PLA२ – प्लाक के अंदर की सूजन

३. स्टैटिन: कुछ लोगों को फ़ायदा, सबको नहीं स्टैटिन दवाएँ उन लोगों के लिए ज़रूरी हो सकती हैं जिन्हें:
1. पहले से प्लाक है (कैल्शियम स्कोर में दिखे),
२. पहले दिल का दौरा / स्ट्रोक हो चुका हो — (secondary prevention)।

लेकिन:
1. "३0% कम जोखिम" relative संख्या है।
२. असली absolute benefit सिर्फ २–३% हो सकता है।

दुष्प्रभावः
1. मांसपेशियों में दर्द
२. नए डायबिटीज की संभावना 9–1३%
३. स्वस्थ लोगों (जिन्हें प्लाक नहीं) में स्टैटिन का लाभ बहुत कम है।

4. डॉक्टर स्टैटिन ज़्यादा क्यों लिखते हैं?
1. प्रत्येक मरीज के लिए समय बेहद कम (5–10 मिनट)
२. LDL एक आसान, गिनती वाला नंबर है
३. इंश्योरेंस सिस्टम "नंबर कम करने" को सफलता मानता है
4. इससे मरीज को लगता है कि "सब ठीक है", जबकि अंदर सूजन बनी रहती है
5. डॉक्टर की गलती नहीं — सिस्टम ऐसा है।

5. सही रणनीति: सूजन और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य सुधारें
1. उच्च गुणवत्ता वाली नींद
२. 7–8 घंटे; कम नींद सूजन बढ़ाती है।
३. बेहतर भोजन
4. शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम करें
5. फाइबर और प्राकृतिक भोजन बढ़ाएँ
६. घर में सरल भोजन पकाएँ
7. मूवमेंट
8. रोज़ पैदल चलना / हल्का कार्डियो
9. मांसपेशियाँ मजबूत करने वाली एक्सरसाइज़
10. थोड़े-से हाई-इंटेंसिटी इंटरवल (HIIT)
11. तनाव नियंत्रण
1२. गहरी साँस
1३. छोटे-छोटे ब्रेक
14. प्रकृति/ध्यान
15. वैकल्पिक सहायता
16. ओमेगा-३ — सूजन कम करने में
17. कम-डोज़ स्टैटिन — यदि प्लाक हो, केवल स्थिरता के लिए, LDL के नंबर के लिए नहीं

निष्कर्ष
1. दिल की सुरक्षा का रास्ता सिर्फ LDL घटाने से नहीं,
२. बल्कि सूजन कम करने और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य सुधारने से गुजरता है।

जब आप जड़ कारणों पर काम करते हैं, तभी असली, टिकाऊ हृदय सुरक्षा मिलती है।

मेहंदी के लाभ

बालो में लगाने वाली हरी ताजा मेहंदी के अनेक लाभ है, जिनके बारे में सुना तक न होगा

गठिया

मेहदी का स्वरस और तिल का तैल 20-20 तोला लेकर परिपाक करलें। जब रस जलकर तेल मात्र शेष रह जाए तब इसे छानकर सुरक्षित रखलें। इस तैल की मालिश करने से सन्धिवात (गठिया) पीड़ा में निःसन्देह लाभ होता है।

माइग्रेन

मेहन्दी के पत्तों को खूब बारीक पीसकर मस्तक पर लेप लगाने से आधा सीसी का दर्द थम जाता है ।

चर्मरोग

मेहन्दी के पत्तों का रस दो तोला नित्य सबेरे मधु के साथ मिलाकर पीने से (40 दिन में) क्षुद्र कुष्ठ, चर्म रोग, एक्जिमा के कष्ट शान्त हो जाते हैं तथा रक्त शुद्ध हो जाता है ।

मुँह के रोग

मेहन्दी के पत्तों के काढ़े से कुल्ला करने से दाँत और मसूढ़ों के रोग शान्त हो जाते हैं। मुख के छाले भी मिट जाते हैं। इससे व्रण धोना भी लाभप्रद है ।

व्रणशोध

मेहन्दी के पत्तों को पीसकर ग्रन्थिशोथ व्रणशोथ (अपक्व) पर बांधने से वह बिना पके ही बैठ जाते हैं।

काले दाग

मेहन्दी और साबुन सममात्रा में ले पीसकर लगाने से शरीर के काले दाग अवश्य मिट जाते हैं

मुँह में छाले

50 ग्राम मेंहदी को 2 गिलास पानी में भिगोकर उस पानी से कुल्ले करने से मुंह के छाले मिटते हैं। अथवा इसके पत्तों को मुँह में रखकर चबाने से भी मुँह के छाले मिटते हैं।। फोड़े-फुन्सी-मेंहदी को उबालकर उसके पानी से पीड़ित भाग को धोने से फोड़े-फुन्सी में लाभ होता है।

पैरों के तलवों की जलन

गर्मी के दिनों में जिन लोगों के पैरों के तलुवों में निरन्तर जलन होती हो, पैरों में मेंहदी लगाना लाभकारी है।

पैरों की अँगुलियाँ गलना

पैरों की अँगुलियाँ गलती हों तो सरसों का तेल लगाकर मेंहदी छिड़कें। पानी में काम करने से यदि अँगुलियाँ गल गई हों तो मेंहदी का एक भाग और इसकी आधी मात्रा हल्दी को मिलाकर नित्य 2 बार लगाने से लाभ होता है। हाथ फटने लगें, तो मेंहदी लगाएँ। घाव पर भी मेंहदी का लेप लाभ करता है। शरीर का कोई भाग यदि गलने लगे तो मेंहदी का उपयोग हितकारी है।

बाल काले करना

50 ग्राम मेंहदी, आधा चम्मच कॉफी, 25 ग्राम आँवला, दूध में भिगोकर बालों में लगाएँ। 1 घण्टे के बाद पानी से सिर धोवें। यह प्रयोग सप्ताह में 2 बार करें। सफेद खिचड़ी बाल काले-सुनहरे हो जाएँगे। मेंहदी आँवला पिसा हुआ भी बाजार में मिलता है।

बिबाइयाँ

गर्मी में पीठ और गले पर व शरीर की नरम त्वचा पर छोटी-छोटी मरोड़ी (अलाइयाँ) होने लगती हैं। मेंहदी के लेप से एकदम उनकी जलन मिटकर लाभ हो जाता है।

मिरगी

2 कप दूध में चौथाई कप मेंहदी के पत्तों को रस मिलाकर देने से रोगी को लाभ होता है। यह प्रयोग प्रतिदिन प्रातः खाना खाने से 2 घण्टे बाद कुछ सप्ताह तक निरन्तर करें

थकान

रेस करने वाले युवक, क्रिकेट आदि खेल खेलने वाले प्लेयर यदि पैरों के तलुवों पर मेंहदी लगाएँ तो उन्हें थकान भी कम होती है और शीतलता रहती है।

दिमाग

मेंहदी प्रयोग से दिमाग ठण्डा और शान्त रहता है। उच्च रक्तचाप रोग से ग्रसित रोगियों को पैरों के तलवों और हथेलियों पर मेंहदी का लेप समय-समय पर करने से आराम मिलता है।

शरीर की गर्मी

मेंहदी लगाने से शरीर की बढ़ी हुई गर्मी बाहर निकलती है। तन-मन में ठण्डक महसूस होती है, और गर्मी बाहर को निकलती रहती है। मेंहदी के फूल शरीर की बढ़ी गर्मी हैं समाप्त करते हैं।

विजातीय तत्व

रात के समय मेंहदी को स्वच्छ पानी में भिगो दें, और सवेरे के समय पानी निथार कर पिएँ। इस प्रयोग से शीतलता के साथ रक्त की सफाई भी होगी। एलर्जी वाले रोगियों के लिए यह बड़ी ही गुणकारी चिकित्सा है। ऐसे पानी का सेवन करने से शरीर के विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं। रक्त में शीतलता बनाए रखने के लिए और त्वचा रोगों से सुरक्षा हेतु मेंहदी का पानी पीएँ और मेंहदी का ग्रीष्म ऋतु में उपयोग करें।

शंख के रहस्य

सभी वैदिक कार्यों में शंख का विशेष स्थान है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है, इसी वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। साथ ही शंख को लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है, इसकी पूजा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होती है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है उसके घर में कभी धन अभाव नहीं रहता।

पिंकी कुंडू
सदस्य उज्जवला योजना भाजपा दिल्ली प्रदेश
सदस्य बंगाली प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश

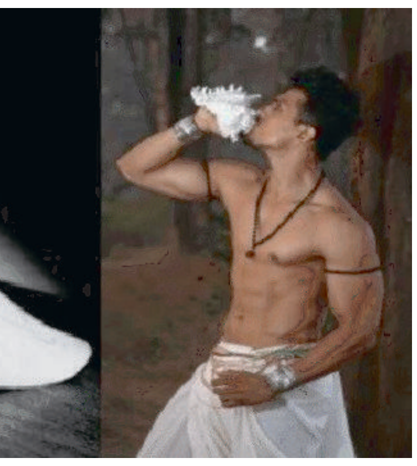

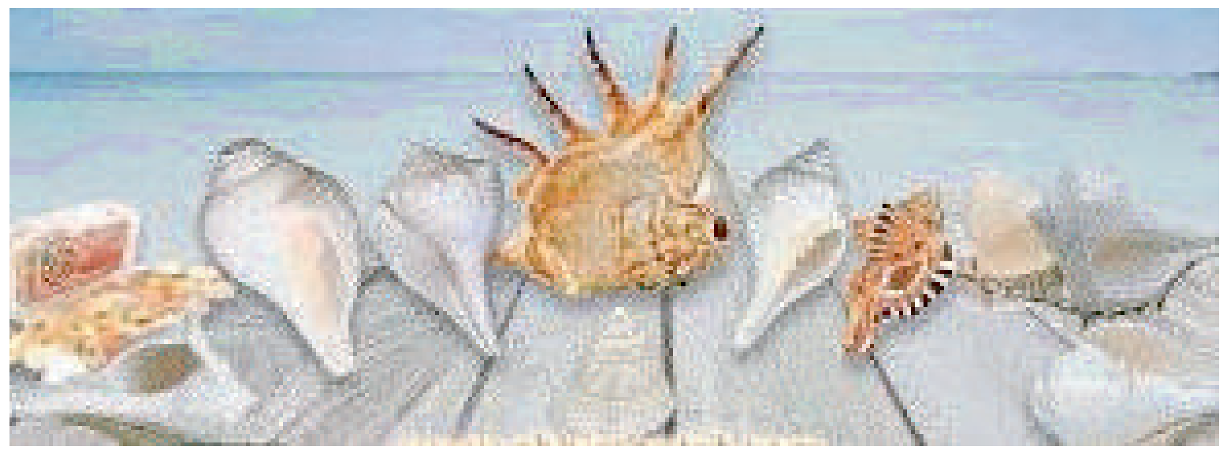

भारतीय संस्कृति में शंख को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देवस्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्र भाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। शंख से शिवलिंग, कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर देवता प्रसन्न होते हैं। कल्याणकारी शंख दैनिक जीवन में दिनचर्या को कुछ समय के लिए विराम देकर मौन रूप से देव अर्चना के लिए प्रेरित करता है।

यह भारतीय संस्कृति की धरोहर है। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंघे का खोल है जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। समुद्री प्राणी का खोल शंख कितना चमत्कारी हो सकता है। ज़रूरत है इसके और अनुसन्धान वा वैज्ञानिक विश्लेषण की। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी शंख-क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसका भौगोलिक आकार शंख सदृश है।

हिन्दू धर्म में पूजा स्थल पर शंख रखने की परंपरा है क्योंकि शंख को सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है। शंख निधि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंगलचिह्न को घर के पूजास्थल में रखने से अरिष्टों एवं अनिष्टों का नाश होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। स्वर्गलोक में अष्टसिद्धियों एवं नवनिधियों में शंख का महत्त्वपूर्ण स्थान है। हिन्दू धर्म में शंख का महत्त्व अनादि काल से चला आ रहा है। शंख का हमारी पूजा से निकट का सम्बन्ध है।

कहा जाता है कि शंख का स्पर्श पाकर जल गंगाजल के सदृश पवित्र हो जाता है। मन्दिर में शंख में जल भरकर भगवान की आरती की जाती है। आरती के बाद शंख का जल भक्तों पर छिड़का जाता है जिससे वे प्रसन्न होते हैं। जो भगवान कृष्ण को शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर उन्हें अर्ध्य देता है, उसको अनन्त पुण्य की प्राप्ति होती है। शंख में जल भरकर ऊँ नमोनारायण का उच्चारण करते हुए भगवान को स्नान कराने से पापों का नाश होता है।

धार्मिक कृत्यों में शंख का उपयोग किया जाता है। पूजा-आराधना, अनुष्ठान-साधना, आरती, महायज्ञ एवं तांत्रिक क्रियाओं के साथ शंख का वैज्ञानिक एवं आयुर्वेदिक महत्त्व भी है। हिन्दू मान्यता के अनुसार कोई भी पूजा, हवन, यज्ञ आदि शंख के उपयोग के बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। कुछ गुह्य साधनाओं में इसकी अनिवार्यता होती है। शंख साधक को उसकी इच्छित मनोकामना पूर्ण करने में सहायक होते हैं तथा जीवन को सुखमय बनाते हैं। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति तथा लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। वैदिक अनुष्ठानों एवं तांत्रिक क्रियाओं में भी विभिन्न प्रकार के शंखों का प्रयोग किया जाता है।

शंख हर युग में लोगों को आकर्षित करते रहे है। देव स्थान से लेकर युद्ध भूमि तक, सतयुग से लेकर आज तक शंखों का अपना एक अलग महत्त्व है। पूजा में इसकी ध्वनि जहाँ श्रद्धा वा आस्था का भाव जगाती है वहीं युद्ध भूमि में जोश पैदा करती है। रण भूमि में शंखों का पहली बार उपयोग देव-असुर संग्राम में हुआ था। देव दानवों के इस युद्ध में सभी देव-दानव अपने अपने शंखों के साथ युद्ध भूमि में आए थे। शंखों कि ध्वनि के साथ युद्ध शुरू होता और उसी के साथ ख़त्म होता था। तभी से यह माना जाता है कि हर देवी-देवता का अपना एक अलग शंख होता है।

साधारणतः मंदिर में रखे जाने वाले शंख उल्टे हाथ के तरफ खुलते हैं और बाज़ार में आसानी से ये कहीं भी मिल जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी ध्यान से किसी लक्ष्मी के पूराने फोटो को ध्यान से देखा है इन चित्रो में लक्ष्मी के हाथ में जो शंख होता है वो दक्षिणावर्ती अर्थात सीधे हाथ की तरफ खुलने वाले होते हैं।

वामावर्ती शंख को जहां विष्णु का स्वरूप माना जाता है और दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दक्षिणावृत्त शंख घर में होने पर लक्ष्मी का घर में वास रहता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार सीधे हाथ की तरफ खुलने वाले शंख को यदि पूर्ण विधि-विधान के साथ करके इस शंख को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में अलग- अलग स्थान पर रखने से विभिन्न परेशानियों का हल हो सकता है। दक्षिणावर्ती शंख को तिज़ोरी मे रखा जाए तो घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। इसलिए घर में शंख रखा जाना शुभ माना जाता है।

शंख का वास्तु महत्त्वः- शंख का सिर्फ़ धार्मिक वा देव लोक तक ही महत्त्व नहीं है। इसका वास्तु के रूप में महत्त्व भी माना जाता है। वर्तमान समय में वास्तु-दोष के निवारण के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से यदि शंख आदि का उपयोग किया जाए तो कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यह न केवल वास्तु-दोषों को दूर करता है, बल्कि आरोग्य वृद्धि, आयुष्य प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृ-दोष शांति, विवाह में विलंब जैसे अनेक दोषों का निराकरण एवं निवारण भी करता है। इसे पापनाशक बताया जाता है। अत शंख का विभिन्न प्रकार की कामनाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कहते है कि जिस घर में नियमित शंख ध्वनि होती है वहां कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इनके पूजन से श्री समृद्धि आती है।

शंख पूजा का महत्त्वः- सभी वैदिक कार्यों में शंख का विशेष स्थान है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है, इसी वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। साथ ही शंख को लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है, इसकी पूजा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होती है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख की पूजा करता है उसके घर में कभी धन अभाव नहीं रहता।

पंचजन्य की पूजा भी भगवान श्री हरि की आराधना के समान ही पुण्य देने वाली मानी गई है। विधि-विधान से इस माह शंख की पूजा की जानी चाहिए। जिस प्रकार सभी देवी-देवताओं की पूजा की जाती है, वैसे ही शंख का भी पूजन करें।

अर्चना करते समय इस मंत्र का जप करें -

त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृतः करे।
निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते।
तव नादेन जीमूता वित्रसन्ति सुरासुराः।
शशांकायुतदीप्ताभ पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥

शंख-ध्वनि / शंख बजानाः- शंख नाद का प्रतीक है। नाद जगत में आदि से अंत तक व्याप्त है। सृष्टि का आरंभ भी नाद से ही होता है और विलय भी उसी में होता है। दूसरे शब्दों में शंख को ॐ का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पूजा-अर्चना आदि समस्त मांगलिक अवसरों पर शंख ध्वनि की विशेष महत्ता है। हिन्दू संस्कृति में पूजा और अनुष्ठान के समय शंख बजाने की परंपरा है जो बहुत पुरानी है। जैन, बौद्ध, शाक्त, शैव, वैष्णव आदि सभी संप्रदायों में शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। शंख ध्वनि किसी का ध्यान आकर्षित करने या कोई संकेत देने के लिए की जाती है। दूसरी बात ये कि क्योंकि शंख पानी से निकलता है और पानी को जीवन से जोड़ा जाता है इसलिए इसे जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरा ये कि किसी राजदरबार में राजा के आगमन की सूचना शंख बजाकर दी जाती थी और सबसे प्रचलित शंख ध्वनि युद्ध के प्रारंभ और अंत की सूचना के लिए की जाती थी।

महाभारत युद्ध में शंख ध्वनि की विशद चर्चा है। कई योद्धाओं के शंखों के नाम भी गिनाए गए हैं जिसमें कृष्ण के पांचजन्य शंख की विशेष महत्ता बताई गई है। जहां तक तीन बार शंख बजाने की परंपरा है वह आदि, मध्य और अंत से जुड़ी है। वैदिक मान्यता के अनुसार शंख को विजय घोष का प्रतीक माना जाता है। कार्य के आरम्भ करने के समय शंख बजाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके नाद से सुनने वाले को सहज ही ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो जाता है और मस्तिष्क के विचारों में भी सकारात्मक बदलाव आ जाता है।

हमारे यहां शंख बजाना एक धार्मिक अनुष्ठान है। पूजा आरती, कथा, धार्मिक अनुष्टानों, हवन, यज्ञ आदि के आरंभ व अंत में भी शंख-ध्वनि करने का विधान है। इसके पीछे धार्मिक आधार तो है ही, वैज्ञानिक रूप से भी इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। और शंख बजाने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। शंख की पवित्रता और महत्त्व को देखते हुए हमारे यहां सुबह और शाम शंख बजाने की प्रथा शुरू की गई है। मंदिरों में नियमित रूप से और बहुत से घरों में पूजापाठ, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, कथा, जन्मोत्सव आदि अवसरों पर शंख बजाना एक शुभ परम्परा मानी जाती है। कहा जाता है कि शंख बजाने से घर के बाहर की आसुरी शक्तियां घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। पारद शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग एवं मंदिरों में शिवलिंगों पर रुद्राभिषेक करते समय शंख-ध्वनि की जाती है।

आरती, धार्मिक उत्सव, हवन-क्रिया, राज्याभिषेक, गृह-प्रवेश, वास्तु-शांति आदि शुभ अवसरों पर शंख-ध्वनि से लाभ मिलता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शंख बजाने से भूत-प्रेत, अज्ञान, रोग, दुराचार, पाप, दुषित विचार और ग़रीबी का नाश होता है।

शंख बजाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महाभारत काल में श्रीकृष्ण द्वारा कई बार अपना पंचजन्य शंख बजाया गया था। पितृ-तर्पण में शंख की अहम भूमिका होती है। शंख में ओम ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, इसलिए ओम से ही वेद बने और वेद से ज्ञान का प्रसार हुआ। पुराणों और शास्त्रों में शंख ध्वनि को कल्याणकारी कहा गया है। इसकी ध्वनि विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। शंख की ध्वनि से भक्तों को पूजा-अर्चना के समय की सूचना मिलती है। आरती के समापन के बाद इसकी ध्वनि से मन को शांति मिलती है।

शंख के प्रकार

महालक्ष्मी
वामावृत्ति शंख
भगवान विष्णु जी
दक्षिणावृत्ति शंख
गणेश शंख
विघ्नहर्ता शंख

शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों की विशेषता एवं पूजन-पद्धति भिन्न-भिन्न है। उच्च श्रेणी के श्रेष्ठ शंख कैलाश मानसरोवर, मालद्वीप, लक्षद्वीप, कोरामंडल द्वीप समूह, श्रीलंका एवं भारत में पाये जाते हैं। शंख की आकृति (उदर) के आधार पर इसके प्रकार माने जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं - दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामावृत्ति शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है, वह दक्षिणावृत्ति शंख कहलाता है। जिस शंख का मुँह बीच में खुलता है, वह मध्यावृत्ति शंख होता है तथा जो शंख बायें हाथ से पकड़ा जाता है, वह वामावृत्ति शंख कहलाता है।

शंख का उदर दक्षिण दिशा की ओर हो तो दक्षिणावृत्त और जिसका उदर बायीं ओर खुलता हो तो वह वामावृत्त शंख है। मध्यावृत्ति एवं दक्षिणावृति शंख सहज रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। इनकी दुर्लभता एवं चमत्कारिक गुणों के कारण ये अधिक मूल्यवान होते हैं। इनके अलावा लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के होते हैं। हिन्दुओं के 33 करोड़ देवता हैं। सबके अपने- अपने शंख हैं। देव-असुर संग्राम में अनेक तरह के शंख निकले, इनमे कई सिर्फ़ पूजन के लिए होते है।

गणेश शंख / विघ्नहर्ता शंखः- समुद्र मंथन के समय देव- दानव संघर्ष के दौरान समुद्र से 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई। जिनमें आठवें रत्न के रूप में शंखों का जन्म हुआ। जिनमें सर्वप्रथम पूजित देव गणेश के आकर के गणेश शंख का प्रादुर्भाव हुआ जिसे गणेश शंख कहा जाता है। इसे प्रकृति का चमत्कार कहें या गणेश जी की कृपा की इसकी आकृति और शक्ति हू-ब-हू गणेश जी जैसी है। गणेश शंख प्रकृति का मनुष्य के लिए अनूठा उपहार है। निशित रूप से वे व्यक्ति परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास या घर में गणेश शंख का पूजन दर्शन होता है। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजित देवता हैं। इनके अनेक स्वरूपों में यथा- विघ्न नाशक गणेश, दरिद्रतानाशक गणेश, कर्ज़ मुक्तिदाता गणेश, लक्ष्मी विनायक गणेश, बाधा विनाशक गणेश, शत्रुहर्ता गणेश, वास्तु विनायक गणेश, मंगल कार्य गणेश आदि- आदि अनेकों नाम और स्वरूप गणेश जी के जन सामान्य में व्याप्त हैं। गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार की विघ्न- बाधा और दरिद्रता दूर होती है।

जहाँ दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग केवल और केवल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। वही श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति और विघ्न बाधा की शांति हेतु किया जाता है। इसकी पूजा से सकल मनोरथ सिद्ध होते है।

गणेश शंख आसानी से नहीं मिलने के कारण दुर्लभ होता है। सौभाग्य उदय होने पर ही इसकी प्राप्ति होती है। इस भौतिक अर्थ प्रधान प्रतिस्पर्धा के युग में बिना अर्थ सब व्यर्थ है। आर्थिक, व्यापारिक और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय श्री गणेश शंख है।

अपमानजनक कर्ज़ बाधा इसकी स्थापना से दूर हो जाती है। इस शंख की आकृति भगवान गणपति के सामान है। शंख में निहित सूंड का रंग अद्भुत प्राकृतिक सौन्दर्य युक्त है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक गणेश शंख के दर्शन से मिलती है। विधिवत सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित गणेश शंख की स्थापना चमत्कारिक अनुभूति होती ही है।

किसी भी बुधवार को प्रातः स्नान आदि से निवृत्ति होकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठित श्री गणेश शंख को अपने घर या व्यापार स्थल के पूजा घर में रख कर धूप- दीप पुष्प से संक्षिप्त पूजन करके रखें। ये अपने आप में चैतन्य शंख है। इसकी स्थापना मात्र से ही गणेश कृपा की अनुभूति होने लगाती है। इसके सम्मुख नित्य धूप- दीप जलना ही पर्याप्त है किसी जटिल विधि- विधान से पूजा करने की जरुरत नहीं है। भगवान शंकर रुद्र शंख को बजाते थे। जबकि उन्होंने त्रिपुराशुर के संहार के समय त्रिपुर शंख बजाया था।

महालक्ष्मी शंखः- इसका आकार श्री यंत्र क़ी भांति होता है। इसे प्राक्रतिक श्री यंत्र भी माना जाता है। जिस घर में इसकी पूजा विधि विधान से होती है वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी का वाश होता है। इसकी आवाज़ सुरीली होती है। विद्या क़ी देवी सरस्वती भी शंख धारण करती है। वे स्वयं वीणा शंख कि पूजा करती है। माना जाता है कि इसकी पूजा वा इसके जल को पीने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है।

दक्षिणावर्ती शंखः- स्वयं भगवान विष्णु अपने दाहिने हाथ में दक्षिणावर्ती शंख धारण करते है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय यह शंख निकला था। जिसे स्वयं भगवान विष्णु जी ने धारण किया था। यह ऐसा शंख है जिसे बजाया नहीं जाता, इसे सर्वाधिक शुभ माना जाता है।

महाभारत युद्ध और शंखः- महाभारत में युद्ध के आरंभ, युद्ध के एक दिन समाप्त होने आदि मौकों पर शंख-ध्वनि करने का ज़िक्र आया है। महाभारत काल में सभी योद्धाओं ने युद्ध घोष के लिए अलग-अलग शंख बजाए थे। महाभारत काल में श्रीकृष्ण द्वारा कई बार अपना पंचजन्य शंख बजाया था। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्रीकृष्ण ने पांचजन्य शंख को बजा कर युद्ध का जयघोष किया था। कहते है कि यह शंख जिसके पास होता है उसकी यश गाथा कभी कम नहीं होती। महाभारत के इसी युद्ध में अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया था। वहीं युधिष्ठिर के पास अनंत विजय नाम का शंख था, जिसे उन्होंने रण भूमि में बजाया था। इस शंख कि ध्वनि की ये विशेषता मानी जाती है कि इससे शत्रु सेना घबराती है और खुद कि सेना का उत्साह बढता है। भीष्म ने पोडरिक नामक शंख बजाया था। इस शंख की आवाज़ से कौरवों की सेना में हलचल मच गई थी।

गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 15-19 में इसका वर्णन मिलता है --

पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय।
पौण्ड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर।।
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर।
नकुल सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ।।
काश्यश्च परमेष्वास शिखण्डी च महारथ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिताः।।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते।
सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दध्मुः पृथक्पृथक।।

अर्थात श्रीकृष्ण भगवान ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्र शंख बजाया। कुंती-पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंतविजय शंख, नकुल ने सुघोष एवं सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख का नाद किया। इसके अलावा काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यकि, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पाँचों पुत्रों और अभिमन्यु आदि सभी ने अलग-अलग शंखों का नाद किया।

शंख की उत्पत्तिः- शंख की उत्पत्ति संबंधी पुराणों में एक कथा वर्णित है। सुदामा नामक एक कृष्ण भक्त पार्षद राधा के शाप से शंखचूड़ दानवराज होकर दक्ष के वंश में जन्मा। अन्त में विष्णु ने इस दानव का वध किया। शंखचूड़ के वध के पश्चात सागर में बिखरी उसकी अस्थियों से शंख का जन्म हुआ और उसकी आत्मा राधा के शाप से मुक्त होकर गोलोक वृंदावन में श्रीकृष्ण के पास चली गई। भारतीय धर्मशास्त्रों में शंख का विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि इसका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। समुद्र-मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से छठवां रत्न शंख था। अन्य 13 रत्नों की भांति शंख में भी वही अद्भुत गुण मौजूद थे। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्रराज की पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अत यह भी मान्यता है कि जहाँ शंख है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से शंख की पूजा भक्तों को सभी सुख देने वाली है।

शंख की उत्पत्ति के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टी आत्मा से, आत्मा आकाश से, आकाश वायु से, वायु आग से, आग जल से और जल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है और इन सभी तत्व से मिलकर शंख की उत्पत्ति मानी जाती है। भागवत पुराण के अनुसार, संदीपन ऋषि आश्रम में श्रीकृष्ण ने शिक्षा पूर्ण होने पर उनसे गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह किया। तब ऋषि ने उनसे कहा कि समुद्र में डूबे मेरे पुत्र को ले आओ। कृष्ण ने समुद्र तट पर शंखासुर को मार गिराया। उसका खोल शेष रह गया। माना जाता है कि उसी से शंख की उत्पत्ति हुई। पांचजन्य शंख वही था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, शंखासुर नामक असुर को मारने के लिए श्री विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया था। शंखासुर के मस्तक तथा कनपटी की हड्डी का प्रतीक ही शंख है। उससे निकला स्वर सत की विजय का प्रतिनिधित्व करता है।

शिव और शंखः- शिव पुराण के अनुसार शंखचूड नाम का महापराक्रमी दैत्य हुआ। शंखचूड दैत्यराम दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तब उसने विष्णु के लिए घोर तप किया और तप से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा तब दंभ ने एक महापराक्रमी तीनों लोको के लिए अजेय पुत्र का वर मांगा और विष्णु तथास्तु बोलकर अंतध्यान हो गए। तब दंभ के यहां शंखचूड का जन्म हुआ और उसने पुष्कर में ब्रह्मा की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए कहा और शंखचूड ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजेय हो जाए। ब्रह्मा ने तथास्तु बोला और उसे श्रीकृष्णकवच दिया फिर वे अंतध्यान हो गए। जाते-जाते ब्रह्मा ने शंखचूड को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर तुलसी और शंखचूड का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वर के मद में चूर दैत्यराज शंखचूड ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया।

देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु से मदद मांगी परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था अतः उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुःख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्रीकृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे, तब विष्णु से ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्रीकृष्ण कवच दान में ले लिया और शंखचूड का रूप धारण कर तुलसी के शील का अपहरण कर लिया।

अब शिव ने शंखचूड को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूंकि शंखचूड विष्णु भक्त था अतः लक्ष्मी-विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव ने चूंकि उसका वध किया था अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है।

शंख की स्थापनाः- प्राचीन काल से ही प्रत्येक घर में पूजा-वेदी पर शंख की स्थापना की जाती है। निर्दोष एवं पवित्र शंख को दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, नवरात्र, रवि-पुष्य, गुरु-पुष्य नक्षत्र आदि शुभ मुहूर्त में विशिष्ट कर्मकांड के साथ स्थापित किया जाता है। रुद्र, गणेश, भगवती, विष्णु भगवान आदि के अभिषेक के समान शंख का भी गंगाजल, दूध, घी, शहद, गुड़, पंचद्रव्य आदि से अभिषेक किया जाता है। इसका धूप, दीप, नैवेद्य से नित्य पूजन करना चाहिए और लाल वस्त्र के आसन में स्थापित करना चाहिए। शंखराज सबसे पहले वास्तु-दोष दूर करते हैं।

मान्यता है कि शंख में कपिला (लाल) गाय का दूध भरकर भवन में छिड़काव करने से वास्तुदोष दूर होते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा आचमन करने से असाध्य रोग एवं दुःख-दुर्भाग्य दूर होते हैं। विष्णु शंख को दुकान, ऑफिस, फैक्टरी आदि में स्थापित करने पर वहाँ के वास्तु-दोष दूर होते हैं तथा व्यवसाय आदि में लाभ होता है। शंख की स्थापना से घर में लक्ष्मी का वास होता है। स्वयं माता लक्ष्मी कहती हैं कि शंख उनका सहोदर भ्राता है। शंख, जहाँ पर होगा, वहाँ वे भी होंगी। देव प्रतिमा के चरणों में शंख रखा जाता है।

पूजास्थली पर दक्षिणावृत्ति शंख की स्थापना करने एवं पूजा-आराधना करने से माता लक्ष्मी का चिरस्थायी वास होता है। इस शंख की स्थापना के लिए नर-मादा शंख का जोड़ा होना चाहिए। गणेश शंख में जल भरकर प्रतिदिन गर्भवती नारी को सेवन कराने से संतान गूंगेपन, बहरेपन एवं पीलिया आदि रोगों से मुक्त होती है। अन्नपूर्णा शंख की व्यापारी व सामान्य वर्ग द्वारा अन्नभंडार में स्थापना करने से अन्न, धन, लक्ष्मी, वैभव की उपलब्धि होती है। मणिपुष्पक एवं पांचजन्य शंख की स्थापना से भी वास्तु-दोषों का निराकरण होता है।

शंख का तांत्रिक-साधना में भी उपयोग किया जाता है। इसके लिए लघु शंखमाला का प्रयोग करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है।

शंख के वैज्ञानिक पहलूः- शंख का महत्त्व धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख-ध्वनि के प्रभाव में सूर्य की किरणें बाधक होती हैं। अतः प्रातः व सायंकाल में जब सूर्य की किरणें निस्तेज होती हैं, तभी शंख-ध्वनि करने का विधान है। इससे आसपास का वातावरण तता पर्यावरण शुद्ध रहता है। आयुर्वेद के अनुसार शंखोदक भस्म से पेट की बीमारियाँ, पीलिया, कास प्लीहा यकृत, पथरी आदि रोग ठीक होते हैं।

ऋषि श्रृंग की मान्यता है कि छोटे-छोटे बच्चों के शरीर पर छोटे-छोटे शंख बाँधने तथा शंख में जल भरकर अभिमंत्रित करके पिलाने से वाणी-दोष नहीं रहता है। बच्चा स्वस्थ रहता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मूक एवं श्वास रोगी हमेशा शंख बजायें तो बोलने की शक्ति पा सकते हैं।

रूक-रूक कर बोलने व हकलाने वाले यदि नित्य शंख-जल का पान करें, तो उन्हें आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। दरअसल मूकता व हकलापन दूर करने के लिए शंख-जल एक महौषधि है।

हृदय रोगी के लिए यह रामबाण औषधि है। दूध का आचमन कर कामधेनु शंख को कान के पास लगाने से 'ॐ' की ध्वनि का अनुभव किया जा सकता है। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करता है।

यजुर्वेद में कहा गया है कि यस्तु शंखध्वनिं कुर्यात्पूजाकाले विशेषतः, वियुक्तः सर्वपापेन विष्णुनां सह मोदते अर्थात पूजा के समय जो व्यक्ति शंख-ध्वनि करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु के साथ आनंद करता है।

1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने कि उत्तम औषधि है।

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, पूजा के समय शंख में जल भरकर देवस्थान में रखने और उस जल से पूजन सामग्री धोने और घर के आस-पास छिड़कने से वातावरण शुद्ध रहता है। क्यो।

मत्स्य द्वादशी आज

मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को मनाया जाने वाला यह मत्स्य द्वादशी का पर्व अत्यंत पावन माना जाता है इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से घर परिवार में सुख शांति आती है और संकट दूर होते हैंकहा जाता है कि भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण करके दैत्य हयग्रीव से चारों वेदो को वापस लिया था।

इस दिन भगवान विष्णु के मत्स्य रूप की पूजा करने से उनकी कृपा भक्ति पर बनी रहती है और सुख-समृद्धि, पुण्य की प्राप्ति होती है, कहां जाता है की धरती पर जब भी पाप बढ़ेगा तो भगवान विष्णु समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अवतार लेते रहेंगे।

मत्स्य द्वादशी पर्व कब है? इस साल मत्स्य द्वादशी पर्व मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि यानी की 2 दिसंबर 2025 को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी, मत्स्य द्वादशी की पूजा 1 दिसंबर 2025 के 7:01PM से शुरू होकर 2 दिसंबर 2025 को 3:57 p.m में समाप्त यानी कि पारण होगी।

मत्स्य द्वादशी पूजा विधि मत्स्य द्वादशी की रस्में भोर में शुद्धि स्नान से शुरू होती हैं। स्वयं को शुद्ध करने के बाद, भक्त भगवान विष्णु के मत्स्य रूप की पूजा के लिए एक वेदी स्थापित करते हैं पूजा की चरण-दर-चरण विधि इस प्रकार हैः

* एक साफ मंच पर पीला कपड़ा बिछाएं।
* वेदी पर भगवान मत्स्य की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
* पीले फूल, फल, धूपबत्ती, दीप, चंदन, सिंदूर और पवित्र भोजन (प्रसाद) चढ़ाएं।
* भगवान विष्णु को समर्पित मंत्रों का पाठ करें और आशीर्वाद के लिए मत्स्य अवतार स्तुति मंत्र का जाप करें।
* भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी दिव्य सुरक्षा और ज्ञान की कामना करें।
* मत्स्य द्वादशी का व्रत भी अत्यंत शुभ माना जाता है, जो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक है।

मत्स्य द्वादशीः महत्व मत्स्य द्वादशी पर दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और कर्म संतुलन में सुधार होता है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार, हयग्रीव नामक एक राक्षस ने ब्रह्मा से पवित्र वेदों को चुराकर उन्हें समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था, जिससे संसार अंधकार और अज्ञान में डूब गया था।

ब्रह्मांड के संतुलन को बहाल करने के लिए, भगवान विष्णु ने एक शक्तिशाली मत्स्य का रूप धारण किया और समुद्र में अवतरित हुए। इस अवतार में, उन्होंने हयग्रीव का वध किया, वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा को लौटा दिया। यह कार्य ज्ञान के संरक्षण, धर्म की पुनर्स्थापना और सृष्टि की रक्षा का प्रतीक है।

मत्स्य अवतार की कथा भगवद् गीता, महाभारत और विष्णु पुराण सहित कई हिंदू धर्मग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यह अज्ञानता पर विजय पाने और विश्व में व्यवस्था बहाल करने में ईश्वरीय हस्तक्षेप के महत्व पर बल देती है। मत्स्य द्वादशी न केवल भगवान विष्णु के प्रथम अवतार के सम्मान का दिन है, बल्कि ज्ञान और अज्ञान के बीच शाश्वत संघर्ष की याद भी दिलाता है। उपवास, पूजा और दान-पुण्य के माध्यम से, भक्त ईश्वर से जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति कर सकते हैं।

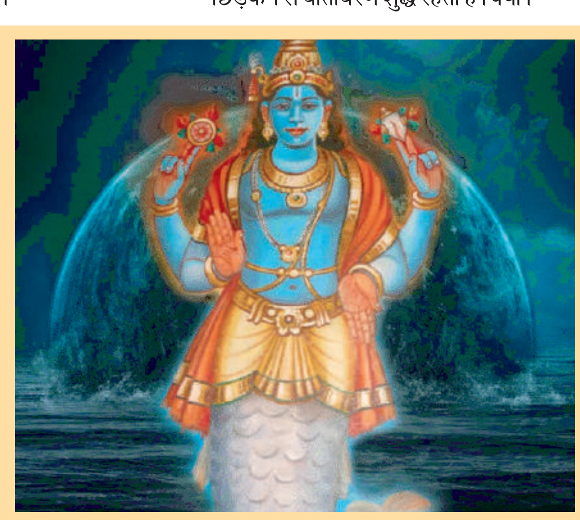

श्रीमद्भगवद्गीता को अपने जीवन में धारण करने से होगा देश व समाज की अनेकों बुराइयों का समाधान : आचार्य बसन्त लाल चतुर्वेदी

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। राधा निवास क्षेत्र स्थित श्रीभक्तिकुसुम गौडीय मठ में श्रीधर गौडीय गुरुकुल सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रील भक्तिकुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज का त्रिदिवसीय 39वां तिरोभाव महोत्सव और 17वां गीता जयंती वार्षिक महोत्सव के दूसरे दिन गौडीय सम्प्रदायाचार्य श्रील भक्ति किंकर श्रीधर गोस्वामी महाराज के पावन सानिध्य में गीता जयंती प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता, ठाकुरजी की मंगला आरती एवं भजन संध्या आदि के कार्यक्रम भी सम्पन्न हुए।

इस अवसर पर आयोजित संत-विद्वत सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पुष्टि मार्ग के प्रकांड विद्वान आचार्य बसन्त लाल चतुर्वेदी महाराज ने कहा कि श्रीमद्भगवदगीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, जिसकी जयंती मनाई जाती है ।इसका उद्भव स्वयं अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण की जिह्वा से हुआ है ।हम लोग यदि इस ग्रंथ को अपने जीवन में धारण करलें, तो देश व समाज की अनेकों बुराइयों का समाधान हो सकता है।

श्रीभक्तिकुसुम गौडीय मठ के अध्यक्ष श्रील भक्ति किंकर श्रीधर गोस्वामी महाराज ने कहा कि हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्रील भक्तिकुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज गौडीय संप्रदाय की बहुमूल्य विभूति थे ।उन्होंने अपना समूचा जीवन गौडीय संप्रदाय के संवर्धन व उत्थान के लिए समर्पित किया ।इसके लिए हम उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं।

प्रख्यात साहित्यकार "यूपी रत्न" डॉ. गोपाल चतुर्वेदी एवं

ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पण्डित बिहारीलाल वशिष्ठ ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है ।इस ग्रंथ से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है ।साथ ही हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है ।इसीलिए आज गीता जयंती के अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से गीता की उद्गम स्थली कुरुक्षेत्र में वृहद स्तर पर गीता जयंती महामहोत्सव मनाया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंतर्गत गीता जयंती प्रतिभा प्रदर्शन प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुए माधव दास, गोपाल बैनर्जी, गोविंद बनर्जी, आकाश दीक्षित, आसाराम तिवारी, ओम ओझा, गौरव द्विवेदी एवं निहाल मिश्र को पुरुस्कृत किया गया ।साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र, शील्ड एवं पटुका ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर चतुः संप्रदाय के श्रीमहन्त फूलडोल बिहारीदास महाराज, पूर्वप्राचार्य डॉ. राम सुदर्शन मिश्र, चार संप्रदाय आश्रम के महंत ब्रज बिहारी दास महाराज, पण्डित रामगोपाल शास्त्री, संत रामदास महाराज, वेदप्रकाश सोनी, प्रमुख शिक्षाविद् जगदीश नीलम, युवा साहित्यकार डॉ. राधाकांत शर्मा, पंडित प्रभाकर झा, पंडित अरुण दीक्षित आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे ।संचालन डॉ. रमेश चंद्राचार्य विधिशास्त्री महाराज ने किया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय का कार्यालय
द्वितीय तल, एफ-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002
फोन नंबर 23370225 ईमेल आईडी: dge. 2011@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली सरकार के सभी 46 गुरुद्वारा वार्डों की नई फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु दिनांक 20.09.2025, 01.10.2025, 20.10.2025 एवं 18.11.2025 की सार्वजनिक सूचना के क्रम में, दिल्ली के सभी सिख नागरिकों को सूचित किया जाता है कि सिख मतदाताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र (फॉर्म-2) प्राप्त करने की अंतिम तिथि जनहित में 30.11.2025 से बढ़ाकर 31.12.2025 की जाती है। दिल्ली के सभी सिख नागरिकों से अनुरोध है कि वे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की नई फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के अवसर का लाभ उठाएँ।

हस्ता./-(मनविंदर सिंह)
निदेशक (गुरुद्वारा चुनाव)

DIP/Shabdarth/Classified/0354/25-26

7 दिसम्बर को राजस्थान के महवा में होगा अखिल भारतीय जाटव समाज का समाज उत्थान समारोह

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा: भारतीय जाटव समाज संगठन महवा, जिला दौसा, राजस्थान के तत्वावधान में आगामी 7 दिसम्बर, रविवार को भव्य समाज उत्थान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस प्रमुख कार्यक्रम का संयोजन भारतीय जाटव समाज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान ठेकेदार के नेतृत्व में किया जा रहा है।

समारोह में राजस्थान के उपमुख्यमंत्री श्री पी सी बैरवाल, कई मंत्रीगण, सांसद-विधायक, प्रतिष्ठित समाजसेवी, तथा देशभर से भारतीय जाटव समाज के पदाधिकारी व बुद्धिजीवी शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जाटव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह द्वारा की जाएगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने बताया कि इससे पूर्व "समानता एवं समृद्धि" पर आधारित भारतीय जाटव समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन 7 सितंबर को धनोली (आगरा) में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण शामिल हुए थे। उस अधिवेशन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों के जाटव समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज उत्थान का मुख्य उद्देश्य

समाज में शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व विकास, एवं संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा देना है, ताकि भविष्य में समाज के सर्वांगीण उत्थान हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा सके। यह समारोह समाज को एकजुट करने और नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा विश्व एड्स दिवस पर विशेष जागरूक अभियान चलाया गया : डॉ हृदयेश कुमार

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद। हरियाणा से अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक डॉ हृदयेश कुमार ने स्वास्थ्य भारत बनाने का संकल्प किया था इस लिए तिरखा कॉलोनी शिव मंदिर पर विशेष जागरूक अभियान चलाया गया और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान पर चर्चा करते हुए बताया

हमारा मानना है कि अगर हम सब लोग एक साथ मिल कर जागरूक हों तो स्वास्थ्य भारत खुद बन सकता है बस हम सभी लोगों को स्वास्थ्य भारत बनाने के लिए पहले खुद स्वास्थ्य होना जरूरी है

दुनियाभर में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस 2025 मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे 2025 को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच एड्स महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, एचआईवी से संबंधित बीमारियों से मरने वालों को याद करने और एचआईवी / एड्स के साथ रहने वाले लोगों का समर्थन करना है। बता दें, विश्व एड्स दिवस एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है जो पिछले 37 सालों से हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह यानी विश्व

एड्स दिवस 2025 का इतिहास, महत्व और साल 2025 के लिए थीम।

एड्स एक लाइलाज बीमारी है। जिससे सिर्फ जागरूक रहकर ही बचा जा सकता है। HIV यानी ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस रेट्रोवायरस परिवार का एक हिस्सा है, जो लेन्टिवायरस है। यह इंफेक्शन समय बढ़ाने के साथ एड्स बन जाता है। बता दें, यह वायरस इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाकर शरीर में मौजूद CD4 सेल्स को खत्म करने का काम करता है। ऐसे में लोगों के बीच AIDS को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल विश्व एड्स दिवस के लिए क्या थीम निर्धारित की गई है और इस दिन का क्या महत्व और इतिहास क्या है।

विश्व एड्स दिवस का इतिहास - History Of World Aids Day

विश्व एड्स दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1987 में की गई थी। सबसे पहले WHO के पब्लिक इनफार्मेशन ऑफिसर, जेम्स डब्ल्यू. बन और थॉमस नेटर ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की। बता दें कि पहली बार विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य HIV/AIDS के बारे में जागरूकता फैलाना, जानकारी शेयर करना और इंफेक्शन से पीड़ित मरीजों को सपोर्ट करना था। साल 1996 तक WHO ही इस दिन को मनाता था, लेकिन उसके बाद UNAIDS (संयुक्त राष्ट्र HIV/एड्स कार्यक्रम) ने इस दिन को मनाने का फैसला किया। जिसके बाद 1997 में UNAIDS ने विश्व एड्स अभियान (World AIDS Campaign, WAC) की शुरुआत की और 1988 से लेकर आज तक विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाए जाने लगा।

एड्स डे का महत्व क्या है ? (World Aids Day Significance(

HIV संक्रमण को एक लाइलाज बीमारी के रूप में देखा जाता है। ऐसे में एड्स जागरूकता दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य उन लोगों को जागरूक करना है, जो इसके कारणों और प्रभाव के बारे में नहीं जानते हैं। इस बीमारी के बारे में लोगों के बीच उचित जागरूकता फैलाकर, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

। इस साल एड्स डे का थीम है 'Overcoming disruption, transforming the AIDS response' जिसका मतलब यह है कि 'बाधाओं पर विजय, एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन'। यह थीम साल 2030 तक एड्स को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए निरंतर राजनीतिक नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवाधिकार-केंद्रित दृष्टिकोणों का आह्वान करता है।

सुप्रीम कोर्ट की नई लिस्टिंग नीतिः "तारीख पर तारीख" पर रोक की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम

वर्षों से "तारीख पर तारीख" यानें मामलों के लगातार आगे बढ़ते जाने, सुनवाई में देरी और मामलों की अनावश्यक मेंशनिंग जैसे मुद्दों से मुक्ति मिलने की संभावना - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत के न्यायिक इतिहास में 1 दिसंबर 2025 एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में दर्ज हो गई है ।लागू किए गए नए नियम सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक न्यायिक सुधार का संकेत हैं।

नई नीति का केंद्र बिंदु वही पुराना सवाल है, किस अधिकार से किसी व्यक्ति को सालों तक सिर्फ प्रक्रिया के इंतज़ार में रखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यही प्रश्न खुद से पूछा और इसका समाधान "रीस्ट्रक्चर्ड लिस्टिंग सिस्टम" के रूप में प्रस्तुत किया। कोर्ट अब यह मानता है कि न्याय तभी न्याय कहलाता है जब वह समय पर मिले, और यह सिद्धांत पूरी नीति के मूल में स्पष्ट दिखाई देता है ।सुप्रीम कोर्ट ने फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए यह व्यवस्था लागू की है कि अदालत के सामने गैर-ज़रूरी मेंशनिंग बिना आधार वाली अर्जेंट मांगें और अनावश्यक स्थगन अब सीमित किए जाएँ। वर्षों से सुप्रीम कोर्ट की सुबहें मेंशनिंग की भारी भीड़ से शुरू होती थीं, एक भीड़ जिसमें सच्ची अर्जेंसी वाले मामलों की आवाज़ अक्सर दब जाती थी। नए सिस्टम में यह अव्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई है। अदालत की ऊर्जा अब प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि सुनवाई पर खर्च होगी, और यह अपने आप में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है ।वर्षों से तारीख पर तारीख यानें मामलों के लगातार आगे बढ़ते जाने, सुनवाई में देरी, और मामलों की अनावश्यक मेंशनिंग जैसे मुद्दे भारतीय न्याय-प्रणाली पर बोझ बढ़ाते रहे हैं। न्यायिक देरी न सिर्फ मुकदमों को लंबा करती है बल्कि आम लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, और न्याय पाने के मूल अधिकार को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टिंग, मेंशनिंग और एडजॉर्नमेंट यानें स्थगन प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य न्याय को तेज़, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से अधिक कुशल बनाना है। यह सुधार न केवल प्रशासनिक बदलाव हैं, बल्कि न्यायपालिका के भीतर एक नई सोच, एक नई संस्कृति को जन्म देते हैं। यह जानकारी मीडिया से उठाई गई है

साथियों बात अगर हम ज़ारी किए गए चार प्रमुख सर्कुलरों क़ो सरल भाषा में समझनें की करें तो, सुप्रीम कोर्ट ने सुधारों को लागू करने के लिए चारमहत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किए हैं। इनका उद्देश्य कोर्ट प्रशासन, तकनीकी प्रक्रिया और न्यायिक कार्य को सुव्यवस्थित करना है। सरल भाषा में ये चार सर्कुलर इस प्रकार हैं (1) मेंशनिंग पर नियंत्रण वाला सर्कुलर-इस सर्कुलर में कहा गया कि अब से मामलों की ओरल मेंशनिंग सीधेसीजेआई की बेंच के सामने नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं मामलों को सीजेआई बेंच के सामने ओरल मेंशनिंग की अनुमति होगी जिनके लिए विशेष अनुमति दी गई हो। यह कदम उन वकीलों की भीड़ को नियंत्रित करेगा जो रोज़ाना सीजेआई के सामने मेंशनिंग के लिए खड़े हो जाते थे (2) केस लिस्टिंग में ऑटोमेशन का सर्कुलर-कोर्ट ने एक नया तकनीकी सिस्टम लागू किया है जिसमें फाइलिंग के बाद केसों की छंटनी, स्क्रूटनी और लिस्टिंग स्वतः होती है। अब वकीलों को मैनुअली जाकर या मेंशनिंग करके केस की जल्दी तारीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। सिस्टम अपने आप अर्जेंट मामलों को प्राथमिकता देगा (3) अर्जेंट मामलों की 48 घंटे में ऑटो-लिस्टिंग का सर्कुलर -इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अर्जेंट अंतरिम राहत से जुड़े सभी नए मामलों को दो वर्किंग डेज़ यानी 48 घंटे के अंदर स्वतःसुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। (4) एडजॉर्नमेंट कंट्रोल वाला सर्कुलर-यह सर्कुलर बताता है कि अनावश्यक एडजॉर्नमेंट, बार -बार तारीख लेने की आदत, और बिना उचित कारण सुनवाई को आगे बढ़ाने पर रोक लगाई जाए। कोर्ट चाहता है कि वकील सुनवाई की तारीख तय होने के बाद तैयार रहें और सुनवाई अनावश्यक रूप से लंबी न खिंचे ।इन चारों सर्कुलरों का सामूहिक लक्ष्य है, मुकदमों की गति तेज़ करना और तारीख पर तारीख की समस्या खत्म करना।

साथियों बात अगर हम ओरल मेंशनिंग, अर्जेंट लिस्टिंग और एडजॉर्नमेंट का नया ढांचा इसको सरल भाषा में समझनें की करें तो, सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई, उनकी लिस्टिंग और मेंशनिंग का सिस्टम अक्सर जटिल और धीमा माना जाता था। वकील रोज़ाना बड़ी संख्या में "ओरल मेंशनिंग" करते थे, यानें कोर्ट में खड़े होकर अपने केस को जल्दी सूचीबद्ध करने का मौखिक अनुरोध। इससे बेंच का काफी समय सिर्फ मेंशनिंग सुनने में जाता था। कई बार वास्तविक अर्जेंट मामलों को इस भीड़ में से अलग पहचानना मुश्किल होता था। इसी स्थिति को समझते हुए कोर्ट ने 1 दिसंबर 2025 से एक रीस्ट्रक्चर्ड सिस्टम लागू किया है।

साथियों बात कर हम उनके उद्देश्यों को समझने की करें तो अब से वकीलों को ओरल मेंशनिंग में जाने वाली ऊर्जा समय और प्रयास को कम कर दिया गया है। सिस्टम को अधिक डिजिटल, अधिक पारदर्शी और प्राथमिकता आधारित बनाया गया है। (1) फाइलिंग को आसान बनाना (2) बेंच के सामने गैर-ज़रूरी मेंशनिंग को खत्म करना (3) व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को तेज़ सुनवाई देना (4) अर्जेंट अंतरिम राहत की मांग करने वाले मामलों को स्वतः प्राथमिकता देना (5) वकीलों की अनावश्यक भीड़ और अदालत के समय की अनावश्यक बर्बादी को रोकना ।यह बदलाव न्यायपालिका को अधिक न्याय-केंद्रित और कम प्रक्रियात्मक बोझ-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी प्रगति माने जा रहे हैं।

साथियों बातें कर हम ओरल मेंशनिंग पर रोक, नई नीति और जूनियर वकीलों को बढ़ावा, इसको सरल भाषा में समझनें की करें तो, पहले सुप्रीम कोर्ट में रोज़ सुबह की शुरुआत में ओरल मेंशनिंग का समय सबसे शोरगुल वाला माना जाता था। हर वकील चाहता था कि उसका केस जल्दी लगे, चाहे वह अर्जेंट हो या नहीं। इससे अदालत का कीमती समय खर्च होता था और कई बार वास्तविक अर्जेंट मामलों को प्राथमिकता नहीं मिल पाती थी ।नई नीति के अनुसार, अब (1) सीजेआई की बेंच के सामने सीनियर वकील ओरल मेंशनिंग नहीं कर पाएंगे, इससे मेंशनिंग की भीड़ कम होगी और सीजेआई बेंच वास्तविक न्यायिक कार्य में अधिक समय दे पाएगी ।(2) केवल विशेष अनुमति वाले मामलों को ही सीजेआई के सामने मेंशन किया जा सकेगा, यानी पहले हर वकील मेंशन करता था; अब सिर्फ वही करेगा जिसे असल में इसकी जरूरत हो। (3) जूनियर वकीलों को बढ़ावा दिया गया है, यह बदलाव ऐतिहासिक है ।पहले मेंशनिंग का मंच हमेशा सीनियर वकीलों के पास होता था, जिससे जूनियर वकील छाया में रह जाते थे। अब उन्हें आगे आकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और न्यायपालिका में इक्वल अपॉर्च्युनिटी की भावना मजबूत होगी ।यह कदम सुप्रीम कोर्ट की उस नई सोच को दर्शाता है जिसमें वह भविष्य की पीढ़ी के वकीलों को सशक्त बनाना चाहता है ।(4) 48 घंटे में ऑटोमैटिक लिस्टिंग लोगों की लिबर्टी वाले मामलों मेंक्रांतिकारी सुधार-नया सर्कुलर कहता है कि निम्न प्रकार के सभी मामलों को 48 घंटे के अंदर सूचीबद्ध किया जाएगा। यह बदलाव इस विचार पर आधारित है कि यदि मामला किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है, तो हर मिनट की देरी अन्याय के समान है।

साथियों बात अगर हम कौन- कौन से मामले इसमें शामिल हैं? इसको सरल भाषा में समझने की करें तो (1) स्थायी जमानत (रेगुलर बेल)-जब किसी व्यक्ति को लंबी जांच या लंबी सुनवाई के कारण जेल में रखा गया हो और वह स्थायी जमानत चाहता हो ।(2) अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) -जब किसी को गिरफ्तारी का डर हो और वह अग्रिम जमानत मांग रहा हो ।(3) जमानत रद्द करना (कैंसिललेशन ऑफ़ बेल) -जब किसी व्यक्ति की जमानत व्यवहार के कारण रद्द करने की मांग हो ।(4) मृत्यु दंड वाले मामले (डेथ पेनल्टी केसेस)-ऐसे मामलों में देरी जीवन और मृत्यु के बीच फर्क पैदा कर सकती है, इसलिए इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।(5) हेबियस कॉर्पस याचिकाएँ -जब कोई व्यक्ति गलत या अवैध कस्टडी में है तो ऐसे मामलों को तुरंत सुनना जरूरी है ।(6) बेदखली कब्ज़ा हटाने या ध्वस्तीकरण (डेमोलीशन) के मामले-क्योंकि यदि देरी होती है तो कभी-कभी व्यक्ति की संपत्ति या घर खोने का खतरा होता है ।(7) कोई भी मामला जिसमें तुरंत अंतरिम आदेश (अर्जेंट इंटीरिम रिलीफ) की जरूरत हो-चाहे वह महिला की सुरक्षा का मामला हो, किसी छात्र का भविष्य जुड़ा हो, किसी डॉक्टर की मेडिकल रजिस्ट्रेशन पर तत्काल रोक का मसला हो या किसी कंपनी के बैंक खाते के फ्रीज होने की वजह से रोज़ी-रोटी रुक गई हो, ऐसे सभी मामलों को दो दिन के भीतर सुनवाई मिलेगी ।यह व्यवस्था न्यायपालिका की उस संवेदनशीलता को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति पहले और प्रक्रिया बाद में रखी गई है।

साथियों बात अगर हम नई नीति का व्यापक असर, न्याय पारदर्शिता और गति की दिशा में बड़ा कदम इसको समझने की करें तो, इन सुधारों के कई गहरे और सकारात्मक प्रभाव होंगे ।(1) तारीख पर तारीख संस्कृति टूटेगी-कोर्ट अब अनावश्यक एडजॉर्नमेंट रोक रहा है, जिससे मुकदमे वर्षों तक नहीं खिंचेंगे। इससे लाखों लंबित मामलों पर सकारात्मक असर पड़ेगा ।(2) लोगों की आज़ादी को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी- किसी भी सभ्य देश का न्याय तंत्र तब ही विश्वसनीय बनता है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है। यह सुधार भारत की वैश्विक न्याय-छवि को मजबूत करेगा। (3) वकीलों की अनावश्यक भीड़ खत्म होगी-हर सुबह सभी वकील मेंशनिंग के लिए दौड़ते थे, अब यह रुक जाएगा। कोर्ट का समय बचेगा, और सुनवाई सुव्यवस्थित होगी ।(4) जूनियर वकीलों को न्यायिक प्रणाली में अधिक अवसर-यह भारतीय लीगल प्रोफेशन में एक प्रकार का डेमोक्रेटाइजेशन है। अब सिर्फ बड़े-सीनियर वकीलों की आवाज़ अदालत तक नहीं पहुँचेगी, बल्कि युवा वकील भी अपने केस को प्रस्तुत कर सकेंगे। (5) न्यायपालिका की डिजिटल क्षमताएँ मजबूत होंगी- ऑटोमैटिक स्क्रूटनी, डिजिटल लिस्टिंग और प्राथमिकता चयन से सुप्रीम कोर्ट तकनीकी रूप से दुनिया के अग्रणी न्यायालयों में शामिल हो जाएगा। (6) जनता का भरोसा बढ़ेगा-कानून का मूल उद्देश्य जनता में भरोसा पैदा करना है और जब सुनवाई तेज़ होती है तो लोग न्याय-व्यवस्था पर अधिक विश्वास करते हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़न्यायिक सुधारों के नए युग की शुरुआत1 दिसंबर 2025 से लागू की गई यह लिस्टिंग और मेंशनिंग पॉलिसी सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है। यह भारतीय न्यायिक संस्कृति में एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत है, जहां न्याय जल्दी मिले, सटीक मिले और बिना अनावश्यक प्रक्रिया के मिले। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह न्याय में देरी को अन्याय मानता है ।यह सुधार भारत को न केवल एक विकसित न्याय-व्यवस्था की ओर बढ़ाएगा बल्कि दुनिया के उन देशों की कतार में भी लाएगा जहां न्याय में तकनीक, पारदर्शिता और व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च है। भारत का सुप्रीम कोर्ट वैश्विक स्तर पर अपने आप को एक आधुनिक, पारदर्शी और संवेदनशील न्यायिक संस्था के रूप में स्थापित कर रहा है ।इन सुधारों के लागू होने के साथ ही उम्मीद है कि "तारीख पर तारीख" की पुरानी छाया अब धीरे-धीरे खत्म होगी, और भारतीय न्यायालय वास्तव में आम नागरिक के लिए सुलभ, तेज़ और प्रभावी मंच बनकर उभरेंगे।

लोकतंत्र की असली ताकतः शांतिपूर्ण और सुचारू संसदीय सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 सोमवार से शुरू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यह सत्र 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा।इस सत्र से ठीक पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर चर्चा नहीं कराने पर विरोध करने का अपना इरादा जाहिर कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्र के दौरान एसआइआर,वोट चोरी और दिल्ली ब्लास्ट का मुद्दा उठाया जाएगा। यहां तक कि सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए गए हैं।सपा के एक नेता ने यह बात कही है कि एसआइआर के दबाव और तनाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। देश की सुरक्षा, प्रदूषण और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा गया है। इससे यह संकेत मिल गए है कि सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा हो सकता है। जानकारी के अनुसार सरकार की 14 बिल पेश करने की तैयारी है। इनमें क्रमशः जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025; दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025; मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (जो एक ऑर्डिनेंस की जगह लेगा); निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक, 2025; राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025; परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025; कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025; प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक (एसएमसी), 2025; बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025; मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2025; भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025; केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 ; स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 तथा वित्तीय कार्य (वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार और पारित/वापसी) आदि शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें से कुछ बिलों पर चर्चा भी हो सकती है। इनमें जन विश्वास, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ आर्थिक सुधारों से जुड़े और मणिपुर में लागू ऑर्डिनेंस को बदलने वाला बिल भी है। इसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है, वहीं विपक्षी गठबंधन भी कमर कस चुका है।कुल मिलाकर सच तो यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र पर विपक्ष ने अपने मुद्दे साफ कर दिए हैं। मॉनसून सेशन अगर ऑपरेशन सिंदूर के नाम था, तो इस बार बहस के केंद्र में एसआइआर है। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि संसद सत्र सुचारु रूप से चलना ही लोकतंत्र के हित में है, क्योंकि प्रत्येक सत्र पर देश का कीमती समय और भारी धनराशि खर्च होती है। इसलिए अपेक्षा केवल सरकार से नहीं, बल्कि विपक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधियों से है कि वे सदन में अधिक परिपक्वता, संयम और सहयोग दिखाएँ। जब राजनीतिक टकराव की जगह रचनात्मक चर्चा को प्राथमिकता मिलेगी, तभी सत्र अपनी सार्थकता साबित करेगा और देशहित से जुड़े कार्य समय पर पूरे हो सकेंगे। जैसा कि इस आलेख में ऊपर भी चर्चा कर चुका हूं कि शीत सत्र एक से 19 दिसंबर तक चलना है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस शीतकालीन सत्र में लगभग 15 दिन काम होगा। इन दिनों में शिक्षा, सड़क निर्माण और कॉरपोरेट कानून से जुड़े कई जरूरी बिल पेश किए जाएंगे। साथ ही हेल्थ सिक्यॉरिटी एंड नैशनल सिक्यॉरिटी सेस बिल, 2025 भी लाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य देश की स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नया टैक्स (उपकर) लगाना है। वास्तव में, ये सभी प्रस्ताव बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन पर संसद में गंभीर और उपयोगी चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष की भी अपनी अलग-अलग मांगें व मुद्दे हैं, जिसे सर्वदलीय बैठक में रखा गया था। विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, एस आइ आर, वायु प्रदूषण और विदेश नीति पर विस्तृत चर्चा चाहता है। वास्तव में यह बहुत ही अच्छी बात है कि विपक्षी दलों ने इस बारे में पहले ही अवगत करा दिया है और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के ही मुताबिक, किसी ने भी यह नहीं कहा कि संसद नहीं चलने दी जाएगी। सरकार और विपक्ष, दोनों का इस पर सहमत होना कि सदन चलनी चाहिए, स्वागत योग्य है। कहना ग़लत नहीं होगा कि संसद की कार्यवाही शुरू होने के बाद राजनीति नहीं होनी चाहिए और संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए, क्यों कि पिछला प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा है।सरल शब्दों में कहें तो पिछला मानसून सत्र ज्यादा कामकाज वाला नहीं था।लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामे के कारण काफी समय बर्बाद हुआ। इस बार भी बाहर की राजनीतिक तनातनी संसद में असर डाल सकती है, क्योंकि 12 राज्यों में चल रही वोटर लिस्ट की विशेष समीक्षा को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल लगातार उठा रहा है, लेकिन सच यह है कि बहस और कामकाज तभी आगे बढ़ेगा, जब दोनों पक्ष शांत रहकर मुद्दों पर बात करेंगे, न कि हंगामा करके। वास्तव में, सदन को प्रभावी और सुचारु रूप से चलाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल व मुख्य शर्त है। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों की अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ और भूमिकाएँ तय हैं। सरकार का दायित्व है कि वह एजेंडा को आगे बढ़ाए, बहस के लिए माहौल बनाए और प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे। वहीं विपक्ष की भूमिका है कि वह सरकार को जवाबदेह बनाए, सरकार का गलतियों की ओर ध्यान दिलाए और नीतियों पर सार्थक चर्चा कराए।लेकिन इन दोनों भूमिकाओं का सार्थक परिणाम तभी निकलता है जब सदन की गरिमा, मर्यादा और समय की अहमियत को समझा जाए। लगातार हंगामा, नारों के बीच बहस का रुक जाना, या विपक्ष-सरकार का एक-दूसरे को सुनने से इंकार कर देना, ये सब हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर ही करते हैं। संसद सिर्फ राजनीतिक संघर्ष का मंच नहीं, बल्कि नीति-निर्माण, सुधार और जनता की आवाज को आगे बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हमारे जनप्रतिनिधि बीते सत्र की कमियों से सीख लेते हैं, जैसे कम उत्पादकता, बार-बार बाधित होती कार्यवाही, और जरूरी विधेयकों पर अधूरी चर्चा आदि तो आने वाले सत्र अधिक उपयोगी और परिणामदायी बन सकते हैं। संसद लोकतंत्र का वह मंच है जहाँ देश की नीतियाँ तय होती हैं, कानून बनते हैं और जनता की समस्याओं के समाधान पर गंभीरता से चर्चा की जाती है। यह हंगामा और शोर-शराबा करने की जगह नहीं, बल्कि विचार-विमर्श, तर्क, जवाबदेही और सहमति का केंद्र है। लेकिन दुख की बात है कि आज अक्सर बहस और मुद्दों से ज़्यादा राजनीतिक दिखावा, तकरार और अव्यवस्थित व्यवहार देखने को मिलता है। जब हमारे जन-प्रतिनिधि बात-बात पर हंगामा करते हैं, तो उसका सीधा नुकसान जनता को होता है। मूल्यवान समय बर्बाद होता है, सत्र की उत्पादकता गिरती है और कई महत्वपूर्ण बिल बिना बहस के ही पारित करने पड़ते हैं या लंबित रह जाते हैं। हम सब यह जानते हैं कि संसद का समय करोड़ों रुपये की लागत से चलता है।यह समय देश और समाज के हित में उपयोग होना चाहिए, न कि राजनीतिक और व्यक्तिगत बयानबाज़ी में। संसद में असहमति होना लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन असहमति को अभद्रता, नारेबाज़ी या वॉकआउट में बदल देना उचित नहीं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सरकार और विपक्ष दोनों सीमाओं के भीतर रहकर अपनी बात रखें, तर्कों और तथ्यों से एक-दूसरे को चुनौती दें और समाधान का रास्ता निकालें।यदि हमारे जन-प्रतिनिधि संसद की गरिमा को समझें, उसके महत्व को प्राथमिकता दें और सार्थक बहस को आगे बढ़ाएँ, तो न केवल संसद की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। संसद तभी वास्तव में लोकतंत्र का मंदिर बनेगी, जब उसमें शोर नहीं, बल्कि सार्थक संवाद गूँजेगा। अंत में यही कहूंगा कि संसद जितनी प्रभावी तरह से काम करेगी, देश की तरक्की और लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

कानपुर में पेड़ पर लटका मिला दोस्तों के साथ निकले युवक का शव, हत्या की आशंका : बवाल

सुनील बाजपेई

कानपुर। तीन दोस्तों के साथ घर से निकले युवक का शव आज सोमवार को सचेंडी थाना क्षेत्र में पेड़ पर लड़का मिला। परिजनों ने उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल भी किया, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको समझ बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने बताया कि उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ,जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना में पुलिस और फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए।

परिजनों ने गांव के कुछ युवकों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटना की जांच पड़ताल कर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। दोस्तों और उनके परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

घटना के बारे में प्राप्त विवरण के मुताबिक बिठूर के तिवारीपुर गांव के मजरे बनी निवासी गौरव उर्फ मनीष तिवारी (28) प्राइवेट नौकरी करता था।

पुलिस ने बताया कि परिवार में पिता रामदत्त तिवारी और छोटा भाई सौरभ है। मां की मौत करीब दस साल पहले हो चुकी है। गौरव का शव सोमवार सुबह सचेंडी के रैकेपुर इलाके में रिंग रोड के पास स्थित खेतों में नीम के पेड़ से इनर के सहारे लटका मिला। जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने गांव के ही युवकों पर हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। छोटे भाई सौरभ के मुताबिक गौरव रविवार सुबह घर से गांव के तीन युवकों के साथ निकला था। शाम तक वापस नहीं आया तो खोजबीन की। सुबह मौत की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं। उस आधार पर जांच कराई जा रही है। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है।

युवाओं में बढता 'रील्स कल्चर' समय प्रबंधन में बाधक

डा वीरेन्द्र भाटी मंगल

आज का युवा तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में जी रहा है। तकनीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया जहां सूचना, अभिव्यक्ति और अवसरों का नया दरवाजा खोलते हैं, वहीं इन माध्यमों का गलत और अत्यधिक उपयोग युवा वर्ग के सामने एक नई सामाजिक चुनौती बनकर उभर रहा है। इनमें सबसे प्रमुख है '''रील्स कल्चर' का बढ़ता प्रभाव''। छोटी वीडियो की इस दुनिया ने युवाओं की सोच, आदतों, दिनचर्या और समय प्रबंधन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है।

रील्स देखने का यह आकर्षण सही मायने में मनोरंजन है या मानसिक जाल, यह विचारणीय प्रश्न है। रील्स को बेहद आकर्षक बनाने के लिए प्लेटफॉर्मस रंग, संगीत, तेज विजुअल और छोटी-छोटी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं। पन्द्रह से तीस सेकेंड की यह सामग्री तुरंत डोपामिन रिलीज करती है जिसके कारण दिमाग इसे बार-बार देखने के लिए प्रेरित करता है। आज के युवा कहते हैं बस एक ही रील और, लेकिन यह 'एक' रील धीरे-धीरे 'एक घंटे' से कई घंटो में कब बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। यह वही समय है जो पढ़ाई, करियर निर्माण, परिवार से बातचीत या अपने कौशल को विकसित करने में लगाया जा सकता था।

रील्स देखने से समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही मानसिक ऊर्जा भी टूटकर बिखर जाती है। इसके नियमित व अति उपयोग से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। लंबी बात या गहन अध्ययन में मन नहीं लगता। काम शुरू करने के कुछ मिनट बाद ही फोन उठ जाने की आदत बनने लगती है। दिमाग लगातार 'त्वरित मनोरंजन' की मांग करने लगता है। परिणामस्वरूप युवा 'सही दिशा में काम करने का समय निकाल ही नहीं पाते' और स्वयं को "टाइम नहीं मिलता" की शिकायत में फंसा पाते हैं।

जीवन में समय प्रबंधन पर रील्स कल्चर का असर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है जिसके अन्तर्गत युवाओं की सुबह की दिनचर्या बिगड़ जाना तय है। युवा देर रात तक रील्स देखते हैं और सुबह सुस्ती के साथ उठते हैं। न पढ़ाई की ऊर्जा बचती है, न नौकरी का फोकस बनता है। इसी प्रकार काम व पढ़ाई के बीच रुकावटें पैदा होने लगती है। कुछ देर पढने के बाद ही दिमाग रील्स की तरफ भागता है। यह 'गहरी सीखने की प्रक्रिया को बाधित' करता है। इस रील्स कल्चर के दुष्परिणाम से होमवर्क, पढ़ाई, लेखन और लक्ष्य निर्धारण में भारी गिरावट देखने को मिली है। किसी भी लंबी गतिविधि के लिए धैर्य चाहिए लेकिन रील्स कल्चर धैर्य को कमजोर कर देता है, जिसके कारण समय का सदुपयोग नहीं हो पाता।

युवाओं का अधिकांश समय कब रील्स में बीत जाता है कि जिससे सामाजिक समय में कमी देखने को मिलती है। परिवार से बातचीत, दोस्तों से मिलना, खेल-कूद सब कुछ स्क्रीन टाइम में बदल रहा है, जो चिंताजनक है। रील्स का बढता यह जाल युवाओं के लिए नई सामाजिक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है।

''रील्स कल्चर'' सिर्फ समय संकट ही नहीं पैदा करता बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक चेतना पर भी असर डालता है। जिसके कारण व्यक्ति में तुलना और हीनभावना बढ़ती है, अवास्तविक जीवनशैली का दबाव बनता है, आत्मविश्वास में कमी आती है, क्रिएटिविटी घटती है। लेकिन युवा 'लाइक' और 'व्यूज' में अपना किमती समय गवाने हैं। इस कारण समाज का वास्तविक संवाद कमजोर होता जा रहा है।

रील्स कल्चर से बचाव और समय प्रबंधन की राह में समाधान भी है। इसके लिए स्क्रीन टाइम की स्वयं-निगरानी करते हुए स्वयं के विवेक से निर्णय लेना होगा। मोबाइल की डिजिटल वेलनेस सेटिंग में समय सीमा लगाना जरूरी है। प्रतिदिन अधिकतम तीस मिनट का शॉर्ट वीडियो का समय तय करे। इसके साथ ही रात दस बजे के बाद कोई सोशल मीडिया नहीं।

युवाओं को चाहिए कि सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या तय करे। इससे मानसिक संतोष होने के साथ ही कार्यशैली व्यापक बनेगी। सुबह उठते ही करीब 30 मिनट फोन से दूर रहें। इस दौरान हल्की स्ट्रेचिंग, प्राणायाम, या पानी पीना मानसिक संतुलन बनाता है। इसके अलावा नो-रील्स' जोन्स भी बनाएं जिसके अन्तर्गत पढ़ाई की टेबल, भोजन का समय, सोने से एक घंटा पहले इन स्थानों पर मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल न करें। इसके साथ साथ जीवन में वास्तविक गतिविधियों को बढ़ाएं जैसे कोई नया कौशल सीखें, संगीत, खेल, योग, लेखन आदि के साथ प्रतिदिन कम से कम तीस मिनट किताब अवश्य पढ़ें। जब वास्तविक जीवन रोचक बनता है, डिजिटल व्यसन अपने आप कम हो जाता है।

परिवार और समाज की भूमिका को भी समझना जरूरी है। परिवार को भी यह समझना होगा कि केवल डांटने से युवा फोन छोड़ नहीं देंगे। उन्हें संवाद, सहयोग, सकारात्मक माहौल, लक्ष्य और दिशा की आवश्यकता होती है। स्कूल, कॉलेज और समाज को भी समय-प्रबंधन व डिजिटल साक्षरता पर नियमित वर्कशॉप शुरू करनी चाहिए। रील्स कल्चर आज की युवा पीढ़ी को तेज मनोरंजन देता है, लेकिन इसके बदले उनका कीमती समय, ध्यान और मानसिक शांति हर ली जाती है। यदि समय पर जागरूकता नहीं आई, तो आने वाले वर्षों में यह केवल एक डिजिटल समस्या नहीं बल्कि उत्पादकता और सामाजिक संरचना के लिए बडी चुनौती बन जाएगी। सही दिशा, संतुलित उपयोग और समय प्रबंधन के साथ ही युवा इस डिजिटल तूफान में अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं।

3 दिसम्बर विश्व विकलांग दिवस पर विशेष

दिव्यांग लोगों के बारे में बढ़ानी होगी जागरूकता

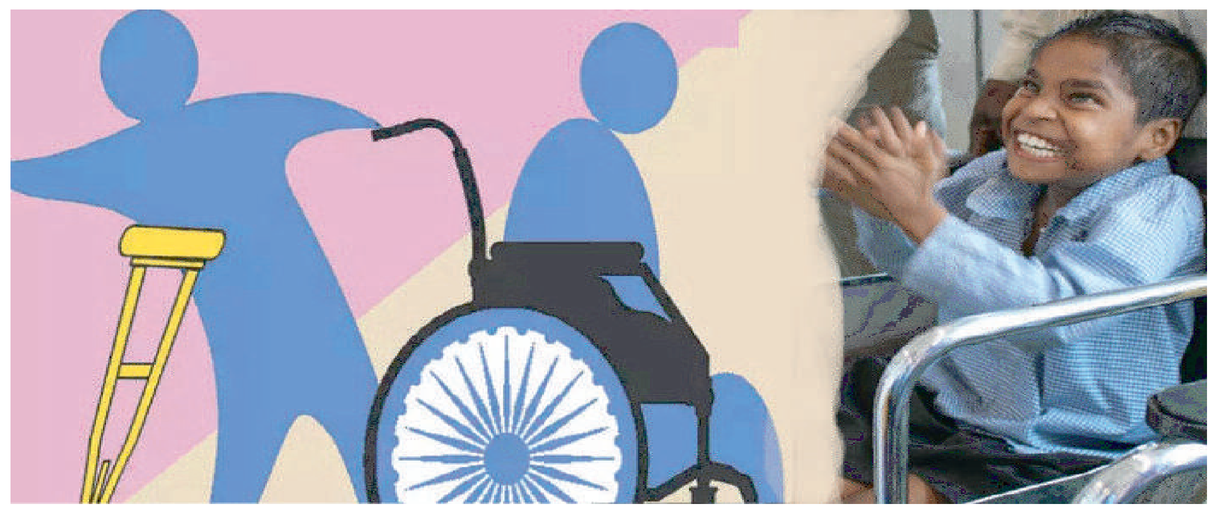

रमेश सर्राफ धमोरा

समाज में दिव्यांगता को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। जिसे सुधारने की आवश्यकता है। विश्व विकलांग दिवस पर इस वर्ष का विषय है सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए विकलांगता समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। विकलांग व्यक्तियों को अपने भाग्य को आकार देने और समाज में योगदान देने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में हर वर्ष 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाने घोषणा की गयी।

सरकार द्वारा देश में दिव्यांगो के लिए कई नीतियां बनायी गयी है। उन्हें सरकारी नौकरियों, अस्पताल, रेल, बस सभी जगह आरक्षण प्राप्त है। दिव्यांगो के लिए सरकार ने पेंशन की योजना भी चला रखी है। लेकिन ये सभी सरकारी योजनाएं उन दिव्यांगो के लिए महज एक मजाक बनकर रह गयी हैं। जब इनके पास इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ही नहीं है। इसको मानाने का उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। मगर आज भी लोगों को तो इस बात का भी पता ही नहीं होता है कि हमारे आस-पास कितने दिव्यांग रहतें हैं। उन्हे समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं। किसी को इस बात की कोई फिकर नहीं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक 'दिव्य क्षमता' है और उनके लिए 'विकलांग' शब्द की जगह दिव्यांगशब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील की थी। जिसके पीछे उनका तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हे हतोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश के लोगों ने विकलांगो को दिव्यांग तो कहना शुरू कर दिया लेकिन लोगों का उनके प्रति नजरिया आज भी नहीं बदल पाया है। आज भी समाज के लोगों द्वारा दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से ही देखा जाता है। भले ही देश में अनेको दिव्यांगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया हो मगर लोगों का उनके प्रति वहीं पुराना नजरिया बरकरार है।

दुनिया में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो बताते है कि सही राह मिल जाये तो अभाव एक विशेषता बनकर सबको चमत्कृत कर देती है। भारत में दिव्यांगो की मदद के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन इतने वर्षो बाद भी देश में आज तक आधे दिव्यांगो को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है। ऐसे में दिव्यांगो के लिए सरकारी सुविधाएं हासिल करना महज मजाक बनकर रह गया हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे दिव्यांग हुए हैं जिन्होंने अपने साहस संकल्प और उत्साह से विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है। शक्तिशाली शासक तैमूर लंग हाथ और पैर से शक्तिहीन था। मेवाड़ के राणा सांगा तो बचपन में ही एक आंख गवाने तथा युद्ध में एक हाथ एक पैर तथा 80 घावों के बावजूद कई युद्धों में विजेता रहे थे। सिख राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख बचपन से ही खराब थी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन के दाई टांग नहीं थी। फिल्मी गीतकार कृष्ण चंद्र डे तथा संगीतकार रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे। पूर्व क्रिकेटर अंजन भट्टाचार्य मूकबधिर थे। वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप खेलों में झुंझुनू जिले के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप कुमार व जयपुर के सुन्दर गुर्जर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के पांचवें दौर का पहला चरण 2019-20 में आयोजित किया गया था। एनएफएचएस जनसंख्या, परिवार नियोजन, बाल और मातृ स्वास्थ्य, पोषण, वयस्क स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा से संबंधित प्रमुख संकेतकों पर अनुमान प्रदान करता है। एनएफएचएस-5 सर्वेक्षण से एकत्र किए गए द्वितीयक डेटा के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रकाशन के विश्लेषण के अनुसार भारत में विकलांग लोगों की कुल व्यापकता जनसंख्या का 4.52 प्रतिशत है। भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक पक्ष है। यह डेटा दर्शाता है कि भारत में लगभग 6 करोड़ 32 लाख 80 हजार लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ जीवन यापन करते हैं। लोकोमोटर (गतिशील) विकलांगता सभी विकलांगताओं में सबसे आम है, इसके बाद मानसिक और वाक (बोलने से संबंधित) विकलांगताएँ हैं।

यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में दिव्यांग आज भी अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर 15 प्रतिशत आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता के साथ रहती है। जबकि उसमें से 80 प्रतिशत से अधिक लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। जबकि भारत में 140 करोड़ से अधिक लोग है। इस आबादी का 2.2 प्रतिशत से अधिक लोग किसी न किसी रूप में गंभीर मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित हैं। आज के प्रगतिशील युग में जहाँ सभी लोगों के एकीकरण और समावेशन पर सतत विकास के प्रवेश द्वार के रूप में जोर दिया जाता है। भारत में विकलांग लोगों को वर्गीकृत करने वाले मानदंडों की सूची को 2016 में नया रूप दिया गया था। 2016 के आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम पर आधारित संशोधित परिभाषा में एसिड हमलों से संबंधित शारीरिक विकृति और चोटों को विकलांगता के रूप में मान्यता देना भी शामिल है। जो इन पीड़ितों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सहायता और समर्थन का हकदार बनाता है ।

भारत में आज भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को मायूस होना पड़ता है। हालांकि सरकारी दावे कहते हैं कि इस प्रक्रिया को काफी सरल बनाया गया है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर नजर आती है। दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जारी करने के सरकार ने जो मापदण्ड बनाये हैं। अधिकांश सरकारी अस्पतालों के चिकित्सक उनके अनुसार दिव्यांगो को दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र जारी ही नहीं करते है। जिसके चलते दिव्यांग व्यक्ति सरकारी सुविधायें पाने से वचिंत रह जाते हैं।

देश में दिव्यांगो को दी जाने वाली सुविधाएं कागजों तक सिमटी हुई हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां दिव्यांगो को एक चौथाई सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। केन्द्र सरकार ने देशभर के दिव्यांग युवाओं को केन्द्र सरकार में सीधी भर्ती वाली सेवाओं के मामले में दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में दिव्यांगता या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। दिव्यांगता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है किन्तु सबसे बड़ी दिव्यांगता हमारे समाज की उस सोच में है जो दिव्यांग जनों से हीन भाव रखती है। जिसके कारण एक असक्षम व्यक्ति असहज महसूस करता है।

अब दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। दिव्यांगो को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे। इसके लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान की जरूरत है। हाल के वर्षों में दिव्यांगो के प्रति सरकार की कोशिशों में तेजी आयी है। दिव्यांगो को कुछ न्यूनतम सुविधाएं देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। हालांकि योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों क्रियान्वयन की सुस्त चाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगायी थी। दिव्यांगो को शिक्षा से जोडना बहुत जरूरी है। मूक-बधिरों के लिए विशेष स्कूलों का अभाव है। जिसकी वजह से अधिकांश विकलांग ठीक से पढ़-लिखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

हुमायूं कबीर, अरशद मदनी और महमूद मदनी के बयान

आखिर कैसे भारत का माहौल खराब कर रहे हैं?

कमलेश पांडेय

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सहिष्णु मुल्क है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर देश है लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि राजनेताओं की दंगाई प्रवृत्ति को शह दिया जाए। गुलाम भारत में, आजाद भारत में जो राजनीतिक नौटंकी दिखाई दे रही है, इस जनद्रोही प्रवृत्ति पर अविलंब अंकुश लगना चाहिए।

कहना न होगा कि जिस तरह से 'मुस्लिम नेता व धर्मगुरु' यथा- हुमायूं कबीर, अरशद मदनी और महमूद मदनी के सार्वजनिक बयान भारत का माहौल खराब कर रहे हैं, वह बेहद चिंता की बात है। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तरह ही ये लोग विवादित और उत्तेजक बयान दे रहे हैं जो सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ाने वाले हैं।

लिहाजा, ऐसे बयानों पर हमारे सही राजनेताओं का खामोश रहना, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा त्वरित एक्शन नहीं लेना और सक्षम न्यायिक अधिकारियों द्वारा ऐसे मसलों पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना इस आशंका को बल देता है कि इन नए नए जिन्ना को नया नया पाकिस्तान आज नहीं तो कल देना ही होगा। भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके माकूल प्रबंधन किये जाने चाहिए।

साथ ही, अफगानिस्तान से म्यामांर तक शांतिपूर्ण स्थिति हर हाल में बनाए रखने की कूटनीति व सियासत को तवज्जो देनी चाहिए और इस दिशा से भटकते नेताओं की नकेल कसना प्रशासनिक व न्यायिक अधिकारियों की प्रथम दृष्टि होनी चाहिए। सैन्य अधिकारियों को आसेतु हिमालय में उधम मचाने वाले लोगों को सैंतने की खुली छूट मिलनी चाहिए। इस मामले में अमेरिकी या चीनी हस्तक्षेप बिल्कुल अस्वीकार्य होना चाहिए।

अब पहले हुमायूं कबीर के बयान पर गौर फरमाते हैं। इन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर धमकी भरे बयान दिये हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद बनानी होगी और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो शहीद भी होंगे। उनके ऐसे उकसावे वाले बयान से सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक दंगल की आशंका बढ़ रही है जिससे माहौल बिगड़ रहा है। उनकी बयानबाजी को राजनीतिक स्वार्थ साधने वाली और समाज में फूट डालने वाली माना जा रहा है।

ऐसे में भारत के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा है कि कबीर जैसे लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसी भी विदेशी आक्रांता के नाम पर भारत में अब कोई नया निर्माण नहीं होगा और पुराने निर्माणों को भी चरणबद्ध ढंग से हटाया जाएगा या फिर नामान्तरित किया जाएगा।

अब मौलाना अरशद मदनी के बयान पर नजर डालते हैं क्योंकि उन्होंने भारत-पाक रिश्तों और कश्मीर मामले पर सावधानी से विवादित बयान दिये हैं। उन्होंने भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की पॉलिसी की आलोचना की और पाकिस्तानी आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई जो कई लोगों को विरोधाभासी और देशविरोधी लगा। इसके अलावा, उन्होंने भारत में मुसलमानों के प्रति भेदभाव और निशाने पर लिए जाने की बात कही जिससे विवादित माहौल बन गया है।

ऐसे में भारत के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा है कि अब अरशद मदनी जैसे लोगों को यह समझा देना चाहिए कि पाकिस्तान व पूर्वी पाकिस्तान यानी बंगलादेश बतौर हिस्सा दिया जा चुका है। यह हिंदुओं का हिंदुस्तान है जहां पाकिस्तान व बंगलादेश से हमदर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अब महमूद मदनी के बयान की चर्चा करते हैं। उन्होंने वंदे मातरम, जिहाद और सुप्रीम कोर्ट पर कट्टरपंथी और विवादित टिप्पणियां की हैं। उन्होंने जिहाद को न्यायसंगत लड़ाई बताई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर सवाल उठाए। उनके इन बयानों पर राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई है जिसमें कहा गया है कि ऐसे बयान देश के विरोधी हैं और माहौल खराब कर रहे हैं। विहिप समेत कई संगठनों ने उनके बयानों की निंदा की है।

ऐसे में भारत के बहुसंख्यक लोगों की इच्छा है कि महमूद मदनी जैसे लोगों को भी यह समझा देना चाहिए कि मौजूदा प्रशासन ब्रिटिश प्रशासन नहीं है और भारत का प्रशासन शांतिप्रियता को बढ़ावा देता है। लिहाजा किसी भी तरह की आक्रामक प्रवृत्ति को कुचल दिया जाएगा।

यहां सर्वाधिक गौर करने वाली बात यह है कि यदि भारत का प्रशासन इन अराजक तत्वों से शीघ्र नहीं निबटेगा तो ऐसे उग्र लोग देर सबेर भारत के नरम प्रशासन का खात्मा करके ही रहेंगे। ये भारत की स्थिति भी पाकिस्तान-बंगलादेश की तरह कर देंगे। आज जैसे अरब अशांत है, उसी तरह से कल हिंदुस्तान को भी अशांत बना देंगे। इसलिए इनकी शिक्षा व खान-पान को हिंसक बनने से रोकना बदलते वक्त की पहली जरूरत है।

सच कहूं तो ये बयान धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संवेदनाओं को भड़काने वाले हैं और भारत की सामाजिक समरसता को हिला सकते हैं। यह माहौल खराब करना समझा जा रहा है क्योंकि ऐसे बयान उकसावे और विवाद पैदा करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए ऐसे बयान अप्रामाणिक और खतरनाक माने जा रहे हैं। इसलिए समय रहते ही नए नए जिन्नों की प्रवृत्ति को कुंद करना होगा। इसके लिए हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कठोर कदम उठाने होंगे। साथ ही धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया को बढ़ावा देकर समाजिक समरसता को बढ़ावा दिया जाए और इस राह में बाधक लोगों को अरब मुल्कों की तरफ भेज दिया जाए।

ऐसा इसलिए कि उनके इन बयानों का सामाजिक तनाव पर काफी नकारात्मक असर हुआ है। महमूद मदनी ने मुसलमानों के खिलाफ कथित अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि जब जुल्म होगा, तब जिहाद होगा जो एक उग्र और संवेदनशील माहौल बनाने वाला बयान है। ऐसा बयान समाज में धार्मिक पक्षपात और अलगाव को और बढ़ाता है जिससे तनाव की विभीषिका और बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, कानूनी और आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा और बेचैनी बढ़ रही है।

प्री-प्राइमरी शिक्षा की उच्च कीमत: क्या एक महंगा स्कूल सिर्फ छोटे बच्चों के लिए शो-ऑफ है?

● विजय गर्ग

यह निर्णय कि छोटे बच्चे को उनकी बुनियादी स्कूली शिक्षा के लिए कहां भेजना है, चाहे वह प्लेग्रुप हो, नर्सरी हो या किंडरगार्टन हो, माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे निजी स्कूल की फीस, विशेष रूप से प्री-प्राइमरी स्तर पर, आसमान छूती है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है: क्या ₹अभिजात्य₹ संस्थान की खगोलीय लागत वास्तव में एक छोटे बच्चे के लिए बेहतर शैक्षिक परिणाम में अनुवाद करती है, या यह केवल वित्तीय रूप से थका देने वाला स्थिति प्रतीक है? एक सम्मोहक तर्क मौजूद है कि छोटे बच्चों के लिए, उच्च लागत वाले स्कूलों पर भारी खर्च अक्सर शो-ऑफ से थोड़ा अधिक काम करता है, जो अच्छी तरह से संचालित, छोटे और अधिक किफायती पड़ोस स्कूल की तुलना में मौलिक रूप से बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करने में विफल रहता है। युवा शिक्षार्थियों के लिए वास्तविक मूल्य प्रस्ताव एक छोटे बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताएं मौलिक रूप से सरल हैं और विकास के इर्द-गिर्द घूमती हैं, न कि उच्च दांव वाले शिक्षाविदों। 2 से 6 साल के बच्चे के लिए महत्वपूर्ण तत्व हैं व्यक्तिगत ध्यान: छोटे बच्चों को व्यक्तिगत देखभाल और निगरानी की आवश्यकता होती है। सुरक्षा और समुदाय: एक सुरक्षित, पोषणकारी और समावेशी वातावरण। आधारभूत कौशल पर ध्यान केंद्रित करें: सामाजिक संपर्क, भावनात्मक विनियमन, खेल-आधारित शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और अंकगणित। मजबूत शिक्षक-छात्र संबंध: शिक्षक के साथ एक भरोसेमंद बंधन प्रारंभिक सीखने और आत्मविश्वास की कुंजी है। छोटे, स्थानीय स्कूलों के लाभ वे विशेषताएं जो अक्सर कम महंगे, छोटे या स्थानीय स्कूल को परिभाषित करती हैं, अक्सर वे होती हैं जो एक छोटे बच्चे की मुख्य विकासात्मक आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह से पूरा करती हैं व्यक्तिगत शिक्षा: छोटे वर्ग आकार में अक्सर छोटी स्कूलों की एक विशेषता कीमत के बावजूद शिक्षक प्रत्येक बच्चे की प्रगति को अधिक आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सीखने और किसी भी व्यवहार या शैक्षणिक मुद्दों को जल्दी से संबोधित कर सकते हैं। मजबूत समुदाय और सुरक्षा: एक घनिष्ठ वातावरण संबंधित की गहरी भावना को बढ़ावा देता है। संकाय और माता-पिता अक्सर अधिक जुड़े होते हैं, जिससे बच्चे की जरूरतों पर त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। छोटे पैमाने पर भी एक सुरक्षित, अधिक प्रबंधनीय वातावरण में अनुवाद कर सकते हैं जहां सभी बच्चों को स्टाफ द्वारा बेहतर तरीके से जाना जाता है। कम दबाव: कम महंगे स्कूल आमतौर पर ₹शैक्षणिक आउटपुट₹ और एक कोमल उम्र में भयंकर प्रतिस्पर्धा पर कम केंद्रित होते हैं। वे बच्चों को खेल और अन्वेषण के माध्यम से सीखने की अनुमति देते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है, न कि एक तीव्र, उच्च-स्टेक शैक्षणिक संस्कृति से जुड़े तनाव और चिंता को लागू करना। उच्च लागत कहां जाती है और वे क्या खरीदते हैं उच्च शुल्क वाले स्कूल अक्सर फैंसी बुनियादी ढांचे, विशाल मैदानों, अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (आईबी, आईजीसीएसई) और छोटे बच्चों के लिए रोबोटिक्स, कोडिंग और विशेष विदेशी भाषाओं जैसे परिष्कृत पाठ्येतर कार्यक्रमों की

एक श्रृंखला के साथ अपनी कीमत को उचित ठहराते हैं। एक किंडरगार्टन के लिए, हालांकि, ये सुविधाएं अनावश्यक हो सकती हैं पाठ्यक्रम जटिलता: एक दो साल के बच्चे को अत्यधिक विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय बोर्ड पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। उनकी शिक्षा स्थानीय, विकासात्मक रूप से उपयुक्त और खेल-आधारित शिक्षण द्वारा सर्वोत्तम सेवा प्रदान की जाती है। ₹ब्रांडेडर₹ सुविधाएं: जबकि हाई स्कूल के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण हैं, एक छोटा बच्चा अप्रयुक्त रोबोटिक्स किटों वाली चमकदार सुविधा की तुलना में देखभाल करने वाले शिक्षक और सरल, सुरक्षित खेल क्षेत्र से अधिक लाभ प्राप्त करता है। समृद्धि की सामाजिक लागत: उच्च लागत वाले स्कूल अक्सर समान अति-समृद्ध जीवन शैली के साथ परिवारों को आकर्षित करते हैं। यह अनजाने में एक सामाजिक रूप से प्रतिस्पर्धी वातावरण बना सकता है जहां बच्चे की आत्म-मूल्य भावना महंगी सामान, यात्राओं और सहकर्मी दबाव के साथ बंधी हो सकती है, जिससे अलगाव की भावनाओं या अवांछित सामाजिक व्यवहारों को अपनाने का कारण बनता है। नीचे पंक्ति: फिट पर ध्यान केंद्रित करें, शुल्क नहीं एक स्कूल की कीमत सीधे बच्चे के शुरुआती शैक्षिक अनुभवों की गुणवत्ता से संबंधित नहीं है। जबकि एक अच्छी तरह से संसाधन वाले निजी स्कूल उत्कृष्ट संकाय और सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, भावुक शिक्षकों के साथ एक किफायती, छोटा स्कूल छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल वही— और कभी-कभी बेहतर—फाउंडेशनल समर्थन प्रदान कर सकता है। माता-पिता को बातचीत की गुणवत्ता, शिक्षकों की गर्मजोशी और कक्षा के माहौल के आधार पर एक स्कूल का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि शुल्क संरचना या ब्रांड नाम। एक छोटे बच्चे को मुख्य रूप से सामाजिक स्थिति का संकेत देने के लिए एक महंगे स्कूल में भेजना एक महंगा और अनावश्यक निर्णय हो सकता है, क्योंकि देखभाल, समुदाय और कोर विकास पर ध्यान केंद्रित करने से उन्हें लागत का एक अंश नहीं तो समान सिखा जा सकता है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल एजुकेशनल कॉलमिस्ट एमिनेंट एजुकेशनिस्ट स्ट्रीट कुर चंद एमएचआर मलुत

भूजल में यूरेनियम के लिए तत्काल शमन की आवश्यकता है

डॉ विजय गर्ग

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) जैसे संगठनों के हालिया अध्ययन और रिपोर्टों ने भूमिगत जल में यूरेनियम संदूषण के कारण बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को उजागर किया है, विशेष रूप से भारत के क्षेत्रों में। निष्कर्ष सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए शमन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। प्रमुख चिंताएं और स्वास्थ्य जोखिम यूरेनियम, एक प्राकृतिक रूप से होने वाला रेडियोधर्मी तत्व, मुख्य रूप से इसकी रासायनिक विषाक्तता के कारण महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है, हालांकि इसका रेडियोलॉजिकल खतरा भी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य प्रभाव: यूरेनियम से दूषित पानी का लंबे समय तक सेवन गुर्दे की क्षति (नेफ्रोटॉक्सिसिटी), हड्डी के नुकसान और कैंसर और न्यूरोलॉजिकल मुद्दों के संभावित बढ़ते जोखिम से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। कमजोर आबादी: शिशु और बच्चे विशेष रूप से अपने विकासशील अंगों और शरीर के वजन की तुलना में अधिक विषाक्त अवशोषण के कारण असुरक्षित हैं। हाल ही में एक अध्ययन ने बिहार के गंगा मैदानों में स्तनपान कराने वाली माताओं के स्तन दूध में यूरेनियम का पता लगाया, जिससे शिशु जोखिम की चिंता बढ़ गई। प्रदूषण हॉटस्पॉट: उत्तर-पश्चिमी भारत में क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश सहित) को प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। उदाहरण के लिए, रिपोर्टों से पता चलता है कि पंजाब में भूजल के 60% से अधिक नमूने मानसून के बाद यूरेनियम की सुरक्षित सीमा से अधिक थे। दिल्ली में, 15% तक नमूने स्वीकार्य सीमा (30 भागों प्रति बिलियन, या पीपीबी) को तोड़ते हैं। योगदान कारक: प्रदूषण काफी हद तक भूगर्भीय (प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं) है लेकिन अक्सर मानव कारकों द्वारा बढ़ाया जाता है जैसे भूजल की कमी (ओवर-एक्सट्रैक्शन)। नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे सह-प्रदूषक के उच्च स्तर, जो जलभृत में यूरेनियम घुलनशीलता और गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं। शमन और उपचार रणनीतियाँ इस व्यापक संदूषण से निपटने के लिए निगरानी, नीतिगत परिवर्तन और तकनीकी समाधानों को शामिल करने वाले बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है 1। नीति और निगरानी संशोधित मानक: भारतीय मानकों के ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा पेयजल विनिर्देश में एक विशिष्ट, स्वास्थ्य-आधारित यूरेनियम मानक को शामिल करने का जोरदार आह्वान किया गया है। बढ़ी हुई निगरानी: जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने और समय के साथ संदूषण के स्तर को ट्रैक करने के लिए कठोर, नियमित निगरानी प्रणालियों की स्थापना आवश्यक है, विशेष रूप से मानसून से पहले और बाद में। सार्वजनिक प्रकटीकरण: पर्यावरण समूह मांग कर रहे हैं कि स्थानीय जल बोर्ड सभी परिचालन जल स्रोतों के लिए नवीनतम जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से जारी करें। 2। उपचार प्रौद्योगिकियां यूरेनियम हटाने के लिए प्रभावी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं, हालांकि उनके कार्यान्वयन का पैमाने और लागत प्रमुख विचार हैं पारंपरिक तरीके: संयुक्त राज्य अमेरिका ईपीए आयन एक्सचेंज, रासायनिक वर्षा, और झिल्ली फ़िल्टरिंग (जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस - आरओ) को सबसे अच्छा प्रदर्शन उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के रूप में मानता है। आरओ बड़े पैमाने पर ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए अत्यधिक प्रभावी लेकिन अक्सर महंगा है। उन्नत तरीके: अवशोषण: यूरेनियम को बांधने और हटाने के लिए सामग्री का उपयोग करना, अक्सर उच्च निष्कासन दक्षता प्रदान करता है। हाइब्रिड सिस्टम: अधिकतम निष्कासन के लिए थक्के-प्लस-एडसर्पशन जैसी प्रक्रियाओं को संयोजित करना। बायोरेमेडिएशन: पर्यावरण के अनुकूल, लेकिन आमतौर पर धीमी गति से, दीर्घकालिक समाधान के रूप में चयनित पौधों और सूक्ष्मजीवों का उपयोग। 3। निवारक प्रबंधन सतत भूजल उपयोग: जलभृत तनाव को कम करने के लिए भूजल निष्कर्षण पर सख्त नियंत्रण लागू करना। उर्वरक प्रबंधन: फॉस्फेट उर्वरकों के उपयोग को नियंत्रित करना, जो यूरेनियम संदूषण का स्रोत हो सकता है। स्रोत संरक्षण: स्रोत जल की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजनाएं विकसित करना, जो हमेशा महंगे दीर्घकालिक उपचार से अधिक पसंद किया जाता है। विशेषज्ञों के बीच आम सहमति यह है कि एक सक्रिय, एकीकृत प्रबंधन दृष्टिकोण जो सख्त निगरानी, लक्षित उपचार और निवारक उपायों को जोड़ता है, यूरेनियम-संदिग्ध भूजल के मौन खतरे से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल एजुकेशनल कॉलमिस्ट

नई तकनीक में असुरक्षित पुरानी दुनिया

डॉ विजय गर्ग

इस साल की शुरुआत में, नोएडा में 78 वर्षीय एक व्यक्ति ने 15 दिन उस भयावह स्थिति में बिताए, जिसे साइबर विशेषज्ञ डिजिटल हिरासत कहते हैं।

साइबर अपराधियों ने ट्राई, पुलिस, सीबीआइ और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि बनकर उन्हें यकीन दिलाया कि वे धनशोधन के एक मामले में फंस गए हैं। एक पुराने मोबाइल नंबर के सत्यापन के बारे में एक साधारण फोन से शुरू हुई बात जल्द ही बैंक खाते जब्त करने, फर्जी अदालती समन भेजने और फर्जी लोगों के साथ वीडियो संवाद करने की धमकियों में बदल गई। गिरफ्तारी और सार्वजनिक अपमान के डर से, उन बुजुर्ग ने 3.14 करोड़ रुपए एक गुप्त निगरानी खाते में हस्तांतरित कर दिए-यह मानते हुए कि यह केवल सत्यापन के लिए हैं और वापस कर दिए जाएंगे।

दो हफ्तों तक, वे और उनकी 71 वर्षीय पत्नी लगातार वीडियो काल के जरिए निगरानी में रहे और उन्हें सिर्फ सामान्य काम करने की इजाजत थी। सुप्रीम कोर्ट के एक फर्जी आदेश ने उन्हें कुछ समय के लिए उम्मीद दी, लेकिन जब पैसे वापस नहीं मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

वरिष्ठ नागरिकों को क्यों निशाना बनाया जाता है

सेफर इंटरनेट इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के आनलाइन धोखाधड़ी के अनुभव को समझने की कोशिश की। एक सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन (2025) के अनुसार, 2020 और 2022 के बीच वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ साइबर अपराध में 86 फीसद की वृद्धि हुई है। एनसीआरबी डेटा फिशिंग

घोटालों, नकली विज्ञापनों और सरकारी प्रतिरूपण के मामलों में वृद्धि की करता है, जो अक्सर पर्याप्त बचत वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को निशाना बनाते हैं।

तीन मुख्य वजहें

को असुरक्षित बनाती हैं

1 - संज्ञानात्मक गिरावट और डिजिटल साक्षरता

का अभाव।

2 - अकेलापन और अलगाव, गलत विश्वास को जन्म देता है।

3- वित्तीय स्थिरता, हाथ में बड़ी धनराशि। साइबर सुरक्षा जानकारों का कहना है कि आजकल घोटाले भरोसे और तात्कालिकता का फायदा उठाने के लिए रचे जाते हैं। बुजुर्ग लोग 'डीपफेक वायस' या 'फिशिंग' वेबसाइटों जैसी नई-नई तरकीबों को हमेशा नहीं पहचान पाते। इससे वे आसान शिकार बन जाते हैं। आम घोटालों में फिशिंग, प्रेम प्रकरण, सरकारी प्रतिरूपण और बुजुर्गों के घोटाले शामिल हैं, जहां अपराधी मुसीबत में फंसे रिश्तेदारों का रूप धारण करते हैं।

बुजुर्गों को निशाना बनाने वाले अपराध क्या हैं

साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं के अनुसार, निम्नलिखित घोटाले बुजुर्गों को सबसे अधिक निशाना बनाते हैं: डिजिटल गिरफ्तारी : फर्जी वीडियो काल में फंसे पीड़ितों को जबरन वसूली के दौरान आनलाइन हिरासत में रखा जाता है। निवेश धोखाधड़ी : फर्जी एप या वेबसाइट के जरिए ऊंचे रिटर्न के झूठे वादे। साइबर भयादोहन : छेड़छाड़ या गुप्त रूप से रिकार्ड किए गए वीडियो का इस्तेमाल।

डीपफेक और वायस क्लोन

परिवार के सदस्यों की कृत्रिम मेधा से बने क्लिप पीड़ितों को पैसे भेजने के लिए फंसाती हैं। फर्जी छापे और प्रतिरूपण: घोटालेबाज पुलिस अधिकारी बनकर कार्रवाई की धमकी देते हैं।

केवाईसी के लिए ओटीपी : धोखेबाज पीड़ितों को ओटीपी साझा करने के लिए फंसाते हैं, जिससे बैंक खाते खाली हो जाते हैं। ये घोटाले डर और जल्दबाजी पर पनपते हैं। डिजिटल के आदी लोगों के विपरीत, वरिष्ठ नागरिक अक्सर डीपफेक या फिशिंग तकनीकों की पहचान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मजबूत प्रणालीगत सुरक्षा जैसे वास्तविक समय में स्पैम काल का पता लगाना और जागरूकता अभियान आवश्यक है।

सुरक्षा सुझाव

वरिष्ठ नागरिकों को इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, आनलाइन अपनी निजी जानकारी को ज्यादा साझा करने से बचें और अनजान लोगों पर कभी भी अंधविश्वास न करें, क्योंकि धोखेबाज अक्सर भरोसा हासिल करने के लिए जाने-पहचाने नामों का गलत इस्तेमाल करते हैं।

लिंक के प्रति सतर्क रहें। अनजान नंबरों से भेजे गए शादी या जन्मदिन के निमंत्रण जैसी अनचाही फाइल डाउनलोड करने से बचें। किसी भी अनचाहे फोन काल, एसएमएस या वाट्सएप संदेश पर बिना पुष्टि भरोसा न करें।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

डिजिटल मेमोरी इनसाइट और भूलने की उम्र

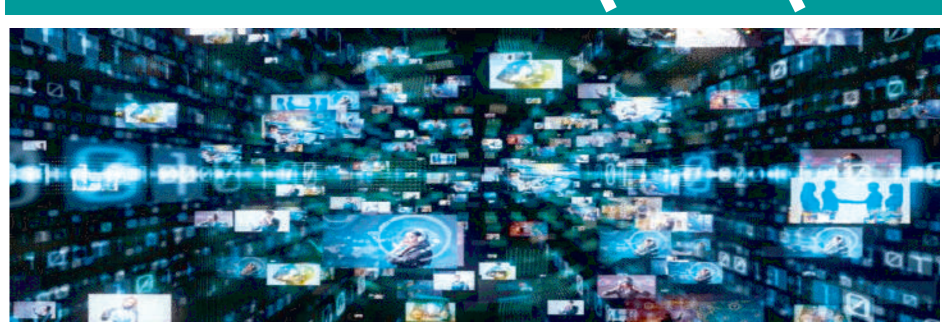

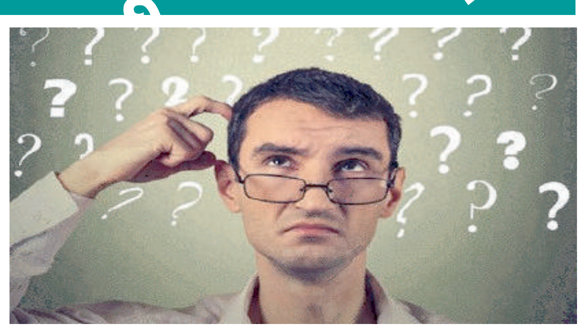

डॉ विजय गर्ग

"डिजिटल मेमोरी इनसाइट मेमरी क्राइसिस: एज ऑफ भूलने" की अवधारणा इस विरोधाभास का वर्णन करती है कि सूचना को रिकॉर्ड करने और संग्रहीत करने कए डिजिटल प्रौद्योगिकी की अपार क्षमता के बावजूद, इन उपकरणों पर मानव निर्भरता डिजिटल स्मृति के संकट और मानव स्मृति प्रतिधारण और संज्ञानात्मक कार्यों में गिरावट ला रही है। यह बदलाव इस बात में एक गहरा परिवर्तन दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति और समाज जानकारी का प्रबंधन करते हैं और आंतरिक रूप से मशीनों को स्मृति आउटसोर्स करते हैं। मानव स्मृति को आउटसोर्स करना: केंद्रीय विरोधाभास इस संकट का मूल आसानी से उपलब्ध डिजिटल जानकारी की अभूतपूर्व मात्रा और संज्ञानात्मक व्यवहार में परिणामी परिवर्तन है असीमित भंडारण, कम याद: हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है और कैलेंडर पर आसानी से पुनर्प्राप्त होता है। विडंबना यह है कि इस निरंतर उपलब्धता के परिणामस्वरूप सूचना को संसाधित करने, बनाए रखने और याद करने के लिए समर्पित प्रयास में कमी आती है। जितना अधिक हम रिकॉर्ड करते हैं, उतना ही कम हमें याद है। संज्ञानात्मक ऑफलोडिंग: मानव स्मृति, एक बार एक महत्वपूर्ण और अंतरंग क्षमता है, स्मार्टफोन, हार्ड ड्राइव और क्लाउड पर बंद कर दिया गया है। जो कुछ हम अपने मन में ले जाते थे, वह अब हमारी जेबों में है। बाहरी डिजिटल सहायकों पर यह निर्भरता मस्तिष्क की जानकारी को समेकित करने की आवश्यकता को कम करती है, जिससे दीर्घकालिक स्मृति गठन से जुड़े तंत्रिका मार्ग कमजोर हो सकते हैं। भूलने की समस्या: भूलना स्वाभाविक रूप से एक दोष नहीं है; यह मानव स्मृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो मस्तिष्क को अनावश्यक डेटा को साफ करने और दीर्घकालिक अस्तित्व और अनुकूल व्यवहार के लिए प्रासंगिक जानकारी को प्राथमिकता देने की अनुमति देती है। हालांकि, डिजिटल युग भूलना लगभग असंभव बना देता है, जिसके बारे में कुछ तर्क देते हैं कि यह हानिकारक हो सकता है। इस संदर्भ में, भूलना डिजिटल वातावरण की एक विशेषता बन जाती है, जो मानव मन की कमी के बजाय प्रणालियों में डिजाइन किया जाता है। संकट के प्रदर्शन इस डिजिटल निर्भरता के परिणाम कई क्षेत्रों में देखे जाते हैं 1। डिजिटल डिमेंशिया और संज्ञानात्मक गिरावट ₹डिजिटल डिमेंशिया₹ शब्द का उपयोग डिजिटल तकनीक के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप संज्ञानात्मक गिरावट और स्मृति समस्याओं को वर्णित करने के लिए किया गया है। लक्षणों में शामिल हैं: बुनियादी जानकारी (जैसे फोन नंबर या दिशाएं) के लिए उपकरणों पर भूल और निर्भरता। एकाग्रता में कठिनाई और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी। डिजिटल उत्तेजनाओं और लगातार मल्टीटास्किंग के दीर्घकालिक अधिक उपयोग के कारण ध्यान अवधि में कमी आई। सूचना के निरंतर बमबारी से संज्ञानात्मक अधिभार। 2। सार्वजनिक और सामूहिक स्मृति का क्षरण डिजिटल स्मृति हानि व्यक्ति से परे सामूहिक तक फैली हुई है हेरफेर के प्रति संवेदनशीलता: जब कोई समाज सामूहिक रूप से अपने अतीत के लिए खोज योग्य डिजिटल डेटाबेस को भूल जाता है या उस पर निर्भर करता है, तो वह अपनी सामूहिक पहचान और निरंतरता की भावना खो सकता है। यह लोकतंत्रों को संशोधनवाद और हेरफेर के लिए कमजोर बनाता है, क्योंकि जो लोग याद नहीं करते हैं उन्हें समझाना आसान होता है। ₹बिट रोट₹ और अभिलेखीय जोखिम: स्थायित्व की धारणा के बावजूद, डिजिटल भंडारण नाजुक है। इंटरनेट के आविष्कारकों में से एक विंट सर्फ ने ₹बिट सड़ांध₹ के बारे में चेतावनी दी है, जहां डिजिटल दस्तावेजों को एन्कोडिंग करने वाले बिट्स तकनीकी परिवर्तन के रूप में क्षय या दुर्गम हो सकते हैं, जिससे हमारे सामूहिक व्यक्तिगत और ऐतिहासिक रिकॉर्ड भविष्य की पीढ़ियों के लिए खो जाने का खतरा पैदा होता है। 3। महत्वपूर्ण सोच पर प्रभाव आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता जानकारी को बनाए रखने, संश्लेषित करने और विश्लेषण करने की क्षमता से जुड़ी हुई है। जब हम डेटा को तुरंत एक्सेस करने और व्यवस्थित करने के लिए पूरी तरह से मशीनों पर भरोसा करते हैं, तो हमारी आलोचनात्मक सोच कौशल कम हो सकती है। हम स्वतंत्र रूप से ज्ञान का आदेश देने और संश्लेषित करने की सीखा क्षमता खो देते हैं। डिजिटल मेमोरी बहस: खतरा बनाम परिवर्तन सभी दृष्टिकोण डिजिटल युग को स्मृति के लिए पूरी तरह से हानिकारक नहीं मानते हैं। बहस इस बात पर घूमती है कि क्या डिजिटल तकनीक एक नया, मौलिक रूप से अलग प्रकार की स्मृति बना रही है या बस पारंपरिक स्मृति को नए तरीके से मध्यस्थता कर रही है आशावादी का दृष्टिकोण (प्रतिपूर्ति): समर्थकों का सुझाव है कि प्रौद्योगिकी मानव स्मृति की अंतर्निहित कमजोरियों और पूर्वाग्रहों की भरपाई कर सकती है, अधिक सटीक और व्यापक आत्मकथात्मक रिकॉर्ड (फोटो, संदेश, लॉग) प्रदान करती है जो याद करने में मदद कर सकते हैं। भौतिकीकरण दृश्य (मध्यस्थता): अन्य तर्क देते हैं कि स्मृति हमेशा मध्यस्थता की गई है (लेखन, प्रिंट आदि द्वारा)। डिजिटल युग केवल नवीनतम क्रांति है कि स्मृति कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है, ₹एल्गोरिथमिक मेमोरी₹ या ₹कनेक्टिव मेमोरी₹ की एक नई संरचना का निर्माण करते हुए जहां याद रखने और भूलने की प्रक्रियाएं तेजी से हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम में लिखी गई हैं। अंततः, डिजिटल मेमोरी संकट एक चेतावनी अंतर्दृष्टि है, जो प्रौद्योगिकी के संतुलित उपयोग का आग्रह करता है। हमें सक्रिय रूप से याद रखना चाहिए कि हम क्या खो रहे हैं ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने, बनाए रखने और संश्लेषित करने की क्षमता - भले ही हम उंगलियों के साथ जानकारी की सुविधा को गले लगाएं

हमें सक्रिय रूप से याद रखना चाहिए कि हम क्या खो रहे हैं ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने, बनाए रखने और संश्लेषित करने की क्षमता - यहां तक कि जब हम उंगलियों की जानकारी की सुविधा को गले लगाते हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कुर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

कोचिंग निर्भरता को कम करने के लिए प्रमुख सुधार; जेईई मेन और नीट यूजी, कक्षा ग्यारह में शिफ्ट हो सकते हैं

डॉ विजय गर्ग

निजी कोचिंग संस्थानों पर बढ़ते निर्भरता को संबोधित करने के लिए गठित एक केंद्रीय समिति शैक्षणिक दबाव को कम करने और स्कूल-आधारित शिक्षा के महत्व को बहाल करने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों पर विचार कर रही है। 15 नवंबर को हुई बैठक के दौरान आयोजित चर्चाओं में प्रवेश परीक्षा और कोचिंग नियमों में संरचनात्मक परिवर्तनों का पता लगाया गया।

प्रतियोगिता परीक्षाएं कक्षा ग्यारह में आयोजित की जा सकती हैं जांच के तहत प्रमुख प्रस्तावों में से एक बारहवीं कक्षा तक इंतजार करने के बजाय, जेईई, नीट और सीयूईटी जैसे राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को एक साल पहले आयोजित करने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, समिति मूल्यांकन कर रही है कि क्या जेईई, एनआईईटी और सीयूईटी जैसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाएं कक्षा ग्यारह में आयोजित की जा सकती हैं

पैनल का मानना है कि परीक्षा की समयरेखा को आगे बढ़ाने से बारहवीं कक्षा के साथ जुड़े तीव्र दबाव में कमी आ सकती है और छात्रों को अधिक लचीलापन मिल सकता है। अंतिम सिफारिश करने से पहले, समिति विभिन्न स्कूल बोर्डों में पाठ्यक्रम संरेखण की समीक्षा करने की योजना बना रही है। कई सदस्यों ने तर्क दिया कि पहले की खिड़की तनाव को कम करेगी और एक स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, अप्रैल और नवंबर में अस्थायी रूप से दो बार प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का विचार भी चर्चा की गई।

कोचिंग कक्षाओं को 2-3 घंटे तक सीमित करें एक अन्य प्रमुख चर्चा बिंदु यह था कि छात्रों को कोचिंग संस्थानों में खर्च किए जाने वाले समय को सीमित करने की आवश्यकता थी। वर्तमान में, कई छात्र स्कूल के अलावा प्रतिदिन पांच से छह घंटे तक निजी कोचिंग में भाग लेते हैं। सदस्यों ने कल्याण और शैक्षणिक संतुलन में सुधार करने के लिए कोचिंग घंटों को सीमित करने का सुझाव दिया।

प्रस्ताव में कहा गया है कि कोचिंग समय को प्रतिदिन अधिकतम दो से तीन घंटे तक सीमित किया जाना चाहिए, एक ऐसा कदम जिसके बारे में समिति का मानना है कि इससे बर्नआउट कम होगा और प्राथमिक शिक्षण स्रोत के रूप में स्कूल शिक्षा बहाल होगी।

हाइब्रिड मूल्यांकन मोड का अन्वेषण करना बैठक में मिश्रित स्कोरिंग विधि बनाकर प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन पैटर्न को संशोधित करने की संभावना पर भी विचार किया गया। प्रस्ताव एक प्रवेश प्रणाली की सिफारिश करता है जो बोर्ड परीक्षाओं और योग्यता-आधारित परीक्षणों दोनों में प्रदर्शन पर विचार करती है, जिससे कोचिंग पर निर्भरता कम हो जाती है।

पैनल ने प्रवेश परीक्षाओं के लिए एजीएमए हाइब्रिड मूल्यांकन मॉडल पर चर्चा की जो बोर्ड अंक और योग्यता-आधारित परीक्षण दोनों को वेटेज देता है अधिकारियों का मानना है कि यह दृष्टिकोण आंतरिक मूल्यांकन को बढ़ावा दे सकता है, कक्षा सीखने को मजबूत कर सकता है और वैचारिक समझ को प्रोत्साहित कर सकता है।

स्कूल शिक्षा में प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना परीक्षा सुधारों के अलावा, समिति ने कई गहरे जड़ वाली चुनौतियों को स्वीकार किया जो कोचिंग संस्कृति में वृद्धि करने में योगदान करते हैं बोर्डों के पार सिलेबस में बेमेल डमी स्कूलों का बढ़ता उपयोग कमजोर रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षक प्रशिक्षण में अंतराल संरचित कैरियर मार्गदर्शन की कमी 15 नवंबर की बैठक से कार्य योजना के हिस्से के रूप में, एनसीईआरटी को सीबीएसई और राज्य बोर्डों के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धी परीक्षा आवश्यकताओं के साथ कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं पाठ्यक्रम संरेखण की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा और प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के बीच शैक्षणिक असमानताओं को कम करना है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल एजुकेशनल कॉलमिस्ट एमिनेंट एजुकेशनिस्ट स्ट्रीट कुर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

अहम फैसलों में चुनौतीपूर्ण निर्णय कितना सही : चंद्र मोहन

अभी हाल ही मैं मेरे बेटे की शादी हुई. मेरे अस्पताल मैं दाखिल होने के कारण मैं शुरू से रस्मो मैं शामिल न हो सका.
बेटे के इसरार करने पर मैंने अस्पताल से टेम्परेरी छुटी लें कर शादी की अहम रस्मो मैं शामिल होने का फैसला किया.
यह चुनौती पूर्ण फैसला मेरे लिए बड़ा कठिन था.
जीवन मैं ऐसे चुनौतीपूर्ण फैसले लेने का जब क्षण आता है तो यह बड़ा ही मार्मिक और कठिन पल होता है.
आइए इसी को विस्तारपूर्वक समझते हैं.
कैसे कैसे फैसले और कैसी कैसी चुनौतियां ?" एक ऐसा प्रश्न है जो जीवन की अनिश्चितताओं को दर्शाता है जहां सही निर्णय लेना और चुनौतियों का सामना करना हमेशा एक कठिन कार्य होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, आपको पहले अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा, फिर आवश्यक जानकारी इकट्ठा करनी होगी और विकल्पों पर अच्छी तरह विचार करना होगा। निर्णय लेते समय, धैर्य रखें और दूसरों की सलाह पर भी विचार करें, साथ ही अपने फैसले के प्रति आश्वस्त रहें.

फैसले लेने के तरीके

जानकारी इकट्ठा करें:
किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करें.

प्राथमिकताएँ तय करें: यह निर्धारित करें कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और उसे पहले करें।

विकल्पों पर विचार करें:
निर्णय लेने से पहले सभी संभव विकल्पों पर विचार करें और उनके परिणामों का आकलन करें.

दूसरों की राय लें:
किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए अपने दोस्तों या परिवार से सलाह लेने में संकोच न करें.

आत्मविश्वास रखें:
अपने निर्णयों पर भरोसा करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. निर्णय न लेना भी एक निर्णय है, इसलिए इस पर विचार करें.

चुनौतियों का सामना करने के तरीके

चुनौती स्वीकार करें: चुनौतियों को स्वीकार करें और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करें.

परिवर्तन को स्वीकारें: बदलाव को स्वीकार करें और यह मानें कि चीजें बेहतर हो सकती हैं.

उदाहरण

महाभारत मैं अर्जुन का अपने रिश्तेदारों से न लड़ना !
पाकिस्तान = भारत युद्ध मैं पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर !
सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल आमतौर पर किसी शोर-शराबे के साथ नहीं बल्कि धमाकेदार तरीके से खत्म होता है.यह अदालत के लिए बेहद मुश्किल समय है क्योंकि न्यायाधीश जून के अंत तक अपनी राय देने की कोशिश कर रहे हैं।
लगभग २० मामलों का फैसला होना बाकी है— कुल बहस वाले मामलों का लगभग एक तिहाई —और इनमें से कई इस कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण मामले हैं.
सुप्रीम कोर्ट एक विशिष्ट और पूर्वानुमेय लय वाला एक आलीशान न्यायालय हुआ करता था लेकिन पहले ट्रम्प प्रशासन में कुछ ऐसा हुआ जो दूसरे ट्रम्प प्रशासन में एक ऐसी परिघटना में बदल गया जिसने न्यायालय के कामकाज की प्रकृति को ही बदल दिया है.
चुनौतीपूर्ण फैसलों में चुनौतियां अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे निर्णय लेने वालों को मजबूत बनाती हैं, नई रणनीतियों के लिए प्रेरित करती हैं, और लचीलापन और नवाचार को बढ़ावा देती हैं.ये चुनौतियां आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत डर या असफलता का डर (आंतरिक) और संगठनात्मक प्रतिरोध या बाहरी दबाव (बाहरी), और इनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाना आवश्यक है.

चुनौतियों का प्रभाव

मजबूत और लचीला बनाती हैं: जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं और बाधाओं को पार करते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत और अधिक लचीले बनते हैं. यह आत्मविश्वास बढ़ाता है कि आप भविष्य की बाधाओं को भी पार कर सकते हैं.

नवाचार को बढ़ावा देती हैं: चुनौतियों से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचने की आवश्यकता होती है. यह नई रणनीतियों और समाधानों को विकसित करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप बदलती दुनिया के लिए तैयार रहें.

आंतरिक और बाहरी दोनों:
निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई चुनौतियां शामिल हो सकती हैं.आंतरिक चुनौतियों में असफलता का डर या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह शामिल हैं, जबकि बाहरी चुनौतियों में संगठनात्मक प्रतिरोध या जानकारी की कमी शामिल हो सकती है.

सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करती हैं:
जटिल और गंभीर चुनौतियों के लिए अक्सर सामूहिक भागीदारी और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है. इस तरह की चुनौतियों से केवल मिलकर काम करके ही निपटा जा सकता है, और यह नेतृत्व कौशल का परीक्षण करती है.

बड़ी समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करती हैं:
चुनौतियों को हल करने के लिए केवल सही जवाब देने की बजाय, समस्या के मूल कारण को समझने के लिए सही प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है. इससे लोगों को मिलकर काम करने और प्रभावी समाधान खोजने में मदद मिलती है.
अहम भूमिकाओं में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें संसाधनों की कमी, बढ़ती आबादी और गरीबी, कम दक्षता वाले कार्य (जैसे विनिर्माण), मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से निपटना, और सामाजिक-आर्थिक असमानता शामिल हैं.इसके अलावा, अलग-अलग भूमिकाओं के लिए कर्मचारी जुड़ाव की कमी और प्रभावी संचार का अभाव भी बड़ी समस्याएँ हैं.

प्रमुख चुनौतियाँ

सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ:
बढ़ती आबादी, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएँ संसाधनों पर दबाव डालती हैं.
दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियाँ महिलाओं और परिवार पर बोझ डालती हैं.

नौकरी और कार्यस्थल संबंधी चुनौतियाँ:
विनिर्माण जैसे उद्योगों में दोहराव वाले और तनावपूर्ण काम के कारण कर्मचारी जुड़ाव कम हो सकता है।
परियोजना प्रबंधन में संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग न होने पर काम का बोझ असमान रूप से बँट जाता है.
दूरस्थ या हाइब्रिड कार्य वातावरण में समावेशिता और सहयोग सुनिश्चित करना एक चुनौती है.

मानसिक और व्यक्तिगत चुनौतियाँ:
तनाव, विफलता का डर और आत्म-संदेह चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में बाधा डाल सकते हैं.
व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाना एक प्रमुख चुनौती है.

बुनियादी ढाँचा और शासन संबंधी चुनौतियाँ:
शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच, और खराब प्रशासन प्रमुख समस्याएँ हैं.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच और शिक्षकों की कमी जैसी चुनौतियाँ शिक्षा प्रणाली के लिए चिंता का विषय हैं.
अहम भूमिकाओं में कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें संसाधनों की

कमी, बढ़ती आबादी और गरीबी, कम दक्षता वाले कार्य (जैसे विनिर्माण), मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से निपटना, और सामाजिक-आर्थिक असमानता शामिल हैं.इसके अलावा, अलग-अलग भूमिकाओं के लिए कर्मचारी जुड़ाव की कमी और प्रभावी संचार का अभाव भी बड़ी समस्याएँ हैं.
प्रमुख चुनौतियाँ
सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ:
बढ़ती आबादी, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएँ संसाधनों पर दबाव डालती हैं.
दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियाँ महिलाओं और परिवार पर बोझ डालती हैं.
नौकरी और कार्यस्थल संबंधी चुनौतियाँ:
विनिर्माण जैसे उद्योगों में दोहराव वाले और तनावपूर्ण काम के कारण कर्मचारी जुड़ाव कम हो सकता है।
परियोजना प्रबंधन में संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग न होने पर काम का बोझ असमान रूप से बँट जाता है.
दूरस्थ या हाइब्रिड कार्य वातावरण में समावेशिता और सहयोग सुनिश्चित करना एक चुनौती है.
मानसिक और व्यक्तिगत चुनौतियाँ:
तनाव, विफलता का डर और आत्म-संदेह चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने में बाधा डाल सकते हैं.
व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाना एक प्रमुख चुनौती है.
बुनियादी ढाँचा और शासन संबंधी चुनौतियाँ:
शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक पहुँच, और खराब प्रशासन प्रमुख समस्याएँ हैं.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच और शिक्षकों की कमी जैसी चुनौतियाँ शिक्षा प्रणाली के लिए चिंता का विषय हैं.
परिमाणात्मक निर्णय लेने में मुख्य चुनौतियों में डेटा की सटीकता, सही मॉडल का चयन, व्यक्तिपरक कारकों की अनदेखी, और परिणामों को हितधारकों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना शामिल है. इसके अलावा, बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करना, अनिश्चित इनपुट के कारण सटीक अनुमान लगाना मुश्किल होना, और यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषण के परिणाम पूरी तरह से प्रासंगिक और कार्यान्वयन योग्य हों, भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं.

परिमाणात्मक निर्णय लेने में चुनौतियाँ

डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता:
कभी-कभी उपलब्ध डेटा गलत या अधूरा हो सकता है, जिससे विश्लेषण के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं.
परिमाणात्मक विश्लेषण के लिए अक्सर बड़े नमूना आकारों की आवश्यकता होती है, जो महंगा और समय लेने वाला हो सकता है.

सही मॉडल और विधियों का चयन:
विभिन्न मात्रात्मक विधियाँ और मॉडल उपलब्ध हैं, और सही विधि चुनना एक चुनौती हो सकती है.
एक उपयुक्त मॉडल का चयन करना जो समस्या के लिए सबसे प्रभावी हो, मुश्किल हो सकता है.

अनिश्चितता और भविष्य की भविष्यवाणी:
मात्रात्मक मॉडल अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं को ठीक से नहीं संभाल पाते हैं, और गलत धारणाएं दे सकते हैं.
इनपुट चरों की अनिश्चितता के कारण, प्राप्त परिणाम गलत हो सकते हैं.

अन्य कारक:
निर्णय लेने के लिए कौन सी समस्या को हल करना है, यह निर्धारित करना भी एक चुनौती हो सकती है।
नई तकनीकों और बड़े डेटा की बढ़ती मात्रा के कारण "माप के शासन" की चुनौती बढ़ रही है.

चंद्र मोहन

02 दिसम्बर: विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस]
साक्षरता का नवपरिचय: कैसे बदलें, ना कि कैसे चलाएँ

जिस युग में सूरज से पहले स्क्रीनें जगती हैं और रात की नींद से देर तक डेटा बहता है, उस युग में कंप्यूटर साक्षरता सिर्फ़ एक कौशल नहीं— मानव चेतना का नवजागरण है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह अहसास जगाता है कि आज के समय में सबसे गहरा अंधकार तकनीक से दूरी है, और सबसे उजली रोशनी उस समझ में छिपी है जो हमें डिजिटल संसार को साधने की क्षमता देती है। यह दिवस उस मौन परिवर्तन का प्रतीक है जिसने हमारे सफ़र को काग़ज़ की सुस्त सीमाओं से उठाकर पिक्सल की धड़कती हुई दुनिया तक पहुँचा दिया—जहाँ विचार सीमित नहीं रहते, संभावनाएँ दिशाओं में नहीं बँटतीं, और मानव मन अपने ही नए संस्करण से मिल पाता है।

कंप्यूटर साक्षरता का असली अर्थ माउस पकड़ना, फॉर्म भरना या सोशल मीडिया चलाना भर नहीं है। यह एक ऐसी पारदर्शी खिड़की है जो जो सीमाओं को मिटाकर व्यक्ति को दुनिया के हर कोने, हर भाषा, हर विचार, हर संस्कृति और हर मौके से जोड़ देती है। यह वह साधन है जो साधारण परिश्रम को असाधारण उपलब्धि में बदल देता है, और सपनों को रास्ते नहीं—दिशाएँ देता है। जब कोई किसान मौसम का हाल और बाज़ार की कीमतें ऑनलाइन जान लेता है, जब एक छात्र गाँव में बैठकर दुनिया की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों से पढ़ लेता है, जब एक महिला घर पर रहकर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से कारोबार शुरू कर देती है—तभी स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर साक्षरता कोई सुविधा नहीं, एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो ज़िंदगी की संभावनाओं को पुनर्परिभाषित कर देती है।

पर इस शक्ति की दहलीज़ तक पहुँचना सबके लिए सरल नहीं। अभी भी अनगिनत लोग इस विशाल डिजिटल समुद्र के किनारे खड़े हैं—क्षितिज की चमक देखते हुए भी भीतर उतरने का साहस या साधन न रख पाने वाले। शिक्षा की कमी, संसाधनों की कमी, मार्गदर्शन की कमी और अक्सर आत्मविश्वास की कमी— ये बाधाएँ उतनी ही वास्तविक हैं जितनी डिजिटल दुनिया की रोशनी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का वास्तविक उद्देश्य इन्हीं दूरीओं को मिटाना है—उस फासले को पाटना जो तकनीक को कुछ लोगों की सुविधा से उठाकर सभी के अधिकार में बदल देता है। यह दिन याद दिलाता है कि तकनीक का अर्थ तभी पूर्ण होता है जब उसका प्रकाश हर आँगन, हर मन और हर जीवन को उजाला दे सके।

कंप्यूटर साक्षरता इंसान को केवल सक्षम नहीं करती—वह उसे मुक्त करती है। अपनी दिशा स्वयं चुनने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को दुनिया तक पहुँचाने की ताक़त, और वैश्विक संवाद में बराबरी से खड़े होने का साहस—ये सब उसी ज्ञान से जन्म लेते हैं। इंटरनेट मनोरंजन का साधन भर नहीं; यही रोज़गार का औज़ार है, यही शिक्षा का पुल, यही व्यापार का बाजार, यही शासन की नई आवाज़, और आज कई मायनों में यही हमारी पहचान का विस्तार भी है। एक क्लिक फाइलों को सीमाओं के पार पहुँचा देता है, एक अपलोड भविष्य की दिशा बदल देता है, एक ईमेल महाद्वीपों को जोड़ देता है। कंप्यूटर ने दुनिया को छोटा नहीं किया—इसने हर व्यक्ति की क्षमताओं को विशाल कर दिया है।

परंतु इस डिजिटल स्वतंत्रता का दूसरा नाम ज़िम्मेदारी है। केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं; बुद्धिमानी से उसका उपयोग करना ही वास्तविक साक्षरता है। साइबर सुरक्षा, डिजिटल नैतिकता, गोपनीयता की रक्षा, डेटा का संरक्षण—ये सब आधुनिक समय के वे नए संस्कार हैं जिनके बिना तकनीक अधूरी और जोखिमपूर्ण है। जिस राह पर अवसर खुले हैं, उसी राह पर खतरे भी छिपे हैं; इसलिए साक्षरता का अर्थ अब केवल 'कैसे चलाना है' नहीं, बल्कि 'कैसे सुरक्षित रहना है' भी है—ताकि सुविधा शक्ति बने और जोखिम दूर ही रहे।

आज की दुनिया कोड से चलती है, व्यापार डिजिटल लेनदेन पर साँस लेता है, शिक्षा ई-क्लासरूम में अपना नया रूप पाती है, स्वास्थ्य मोबाइल पर सलाह देता है, और रिश्तों की गर्माहट भी वीडियो कॉल में चमक जाती है। यह डिजिटल स्पर्श अब विकल्प नहीं—हर उम्र, हर पेशे, हर परिस्थिति की मूलभूत आवश्यकता बन चुका है। इसीलिए कंप्यूटर साक्षरता आधुनिकता का चिह्न नहीं—यह जीवन की नई भाषा है। जो इस भाषा को सीख लेता है, वह भविष्य के द्वार आसानी से खोल लेता है; और जो पीछे रह जाता है, उसके लिए दुनिया धीरे-धीरे एक दूर होती हुई रोशनी बन जाती है।

भविष्य की ओर बढ़ते समाज का केवल एक ही सच्चा मार्ग है—डिजिटल ज्ञान को जन-जन का अधिकार बनाना। बच्चों के लिए यह जिज्ञासा के द्वार खोलने वाला जादू है; युवाओं के लिए कौशल का पासपोर्ट; बुजुर्गों के लिए आत्मविश्वास का सहारा; महिलाओं के लिए संभावनाओं का स्वतंत्र आकाश; और किसानों के लिए जानकारी का वह दीपक जो खेतों से लेकर बाज़ार तक हर निर्णय को रोशन करता है। तकनीकी साक्षरता किसी विशेष वर्ग की सुविधा नहीं—यह हर नागरिक का अधिकार है और हर राष्ट्र की अनिवार्य नींव।

इस दिन का संदेश स्पष्ट है—भविष्य की तकनीक कुछ चुने हुए हाथों में नहीं, हर हाथ में होना चाहिए। डिजिटल दुनिया किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं बनी; उसका निर्माण इसलिए हुआ है कि कदम ताल में पूरे समाज को आगे बढ़ाया जा सके। यही कारण है कि यह दिन उत्सव से कहीं अधिक है—यह एक प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कि ज्ञान को दीवारों के भीतर कैद नहीं रहने देंगे, तकनीक को विशेष कमरे और विशेष लोगों की सीमा तक सीमित नहीं रहने देंगे, और डिजिटल स्वावलंबन को किसी भी रूप में विशेषाधिकार नहीं बनने देंगे।

कंप्यूटर साक्षरता वह प्रकाश है जो आँखों की नहीं—विचारों की दुनिया को उजाला देता है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर दबे सामर्थ्य को जगाकर उसे समाज के भविष्य का निर्माता बना देती है। आज का दिन समझाने नहीं आया है—यह विश्वास जगाने आया है कि डिजिटल दुनिया में किसी का हाथ थामकर उसे पहली बार कंप्यूटर से परिचित कराना केवल शिक्षा नहीं, किसी जीवन का मार्ग बदल देना है। यही एक परिवर्तन नहीं, वही परिवर्तन है—जिससे समाज बराबरी की ओर, अवसर की ओर और मानव क्षमता के नए स्वर्णिम अध्याय की ओर बढ़ता है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत",

बायजूज़ का सबक: तकनीक नहीं, भरोसा ही शिक्षा का असली आधार है

भारत के सबसे चमकते एडटेक सितारे की दास्तान अब अपनी अंतिम साँसें गिन रही है। बायजूज़—जिसकी वैल्यूएशन कभी २२ अरब डॉलर की चकाचौंध में दमकती थी—आज दिवालिया प्रक्रियाओं के हवाले हो चुका है। नवंबर २०२५ तक कंपनी पर कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान और देनदारी का बोझ लद चुका है, कई हजार कर्मचारी बेरोज़गारी की खाई में धकेल दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्टों और उपभोक्ता शिकायतों के अनुसार, लाखों अभिभावकों की मेहनत की कमाई अनिश्चितता के जाल में फँसी हुई है। यह केवल एक स्टार्टअप का ढहना नहीं; यह पूरे एडटेक उद्योग के भीतर गूँजती चेतावनी है—अति-आत्मविश्वास की अंधी दौड़, आक्रामक बिक्री की खतरनाक संस्कृति और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की असहनीय लापरवाही, जो अंततः एक सामूहिक विफलता का महाभारत रच बैठी।

सब कुछ 2015 में एक बेहद सरल-सा विचार बनकर उभरा था। बायजू रविंद्रन ने बच्चों को वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ाने का बीज बोया, और कोविड-19 के अंधकारमय दिनों में यह बीज देखते ही देखते एक वृक्ष की तरह फैल गया। २०२०—२१ में जब स्कूलों के गेट बंद थे, अभिभावक अपनी संतानों की पढ़ाई बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ठीक इसी नाज़ुक घड़ी में बायजूज़ ने सबसे आक्रामक और नैतिकता-तोड़ सेल्स रणनीतियाँ अपनाईं—टेलीमार्केटिंग कॉलों में दबाव का पहाड़, "अभी नहीं लिया तो बच्चे का साल डूब जाएगा" जैसे डरावने वाक्यों की बौछार, और कई परिवारों के लिए तो बिना स्पष्ट जानकारी दिए शुरू कर दी गई ईएमआई जैसी अदृश्य ज़ंजीरें। सर्वे दर्शाते हैं कि २०२१—२२ में कंपनी ने कोर रेवेन्यू ₹३,५५० करोड़ और कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू ₹५,००० करोड़ के आँकड़े पेश किए—पर इन चमकदार संख्याओं के पीछे छिपा सच कहीं अधिक काला था। इस राजस्व का बड़ा हिस्सा उन लोन से उपजा था, जो बाद में लगभग पूरी तरह अशोधित साबित हुए—ऐसे लोन, जिन्होंने हज़ारों परिवारों को आर्थिक अस्थिरता, टूटते भरोसे और गहरे भावनात्मक तनाव की अँधेरी खाई में धकेल दिया।

वैल्यूएशन की चकाचौंध भरी दौड़ में बायजूज़ ने २०२१—२२ में एक के बाद एक दर्जन से अधिक कंपनियाँ निगल लीं—व्हाइटहैट जूनियर हो, टॉपर, ग्रेट लर्निंग आदि—हर अधिग्रहण कई गुना तक की अविश्वसनीय वैल्यूएशन पर। प्रॉसस, चान-ज़करबर्ग इनिशिएटिव और ब्लैकरॉक जैसे दिग्गज निवेशक मानो आँख बंद करके धन उलीचते रहे, जबकि अंदर ही अंदर कंपनी दीमक की तरह खोखली होती जा रही थी। २०२१—२२ के ऑडिटेड वित्तीय दस्तावेज़ पूरे २२ महीने की देरी से सामने आए—और जैसे ही आए, निवेशकों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पता चला कि राजस्व का विशाल हिस्सा "अक्रुअल बेसिस" पर दिखाया गया था—यानी जो पैसा कभी आया ही नहीं, उसे भी कमाई मानकर बैलेंस शीट चमकाई गई। २०२३—२४ में जब प्रॉसस ने क्रमिक रूप से वैल्यूएशन को शून्य घोषित किया, तभी यह बुलबुला जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ा।

लेकिन इस पतन की सबसे मार्मिक कीमत कर्मचारियों और शिक्षकों ने चुकाई। २०२२ से अब तक पाँच बार बड़े पैमाने पर छँटनी हुई, सैकड़ों नहीं—हज़ारों लोग एक झटके में सड़क पर आ गए। बहुतों को तीन-तीन महीने तक वेतन तक नहीं मिला। जिन शिक्षकों ने वर्षों तक अपनी ऊर्जा, अपनी पहचान इस संस्था में समर्पित की, उन्हें एक सूचना भर में बेरोज़गार कर दिया गया। अभिभावकों की त्रासदी इससे भी भयावह है। लाखों परिवारों ने 1—२ लाख रुपये तक खर्च कर कोर्स खरीदे—पर अब अधिकांश के लिए प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचना भी संभव नहीं। कई बच्चों ने तो कोर्स शुरू भी नहीं किया, फिर भी बैंक लगातार ईएमआई काट रहा है। उपभोक्ता मंचों पर शिकायतें हजारों नहीं, बल्कि लाखों में दर्ज हैं—हर शिकायत एक टूटे हुए भरोसे की, एक ठगे गए सपने की और एक असहाय परिवार की गवाही बनकर खड़ी है।

इस पूरे संकट की मूल में तीन बड़े कारण हैं। पहला — कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूर्ण अभाव। प्रमोटर दंपति, बायजू और दिव्या गोकुलदास, कंपनी को मानो अपनी निजी चेकबुक और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का विस्तार मानकर चलाते रहे। दूसरा—निवेशकों का अनियंत्रित लालच, जिसने उचित जाँच-पड़ताल को हाशिये पर धकेल दिया। और तीसरा—नियामक तंत्र की चुप्पी, जिसकी कीमत आज लाखों परिवार चुका रहे हैं। न सेबी ने समय रहते आवाज उठाई, न आरबीआई ने लोन स्ट्रक्चर पर रोक लगाई, और न शिक्षा मंत्रालय ने उस क्षेत्र में दखल दिया जो सीधे बच्चों की ज़िंदगी को प्रभावित करता था।

इस त्रासदी से कुछ कड़े सबक सीखने होंगे। पहला, एडटेक कंपनियों के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत नियामक ढाँचा तुरंत विकसित होना चाहिए, जिसमें रिफंड नीतियों से लेकर सेल्स रणनीतियों और विज्ञापनों तक हर चीज़ पर कठोर नियम लागू हों। दूसरा—स्कूल शिक्षा को एक 'उत्पाद' की तरह बेचने की सोच बदलनी होगी; शिक्षा सेवा है, सौदा नहीं। तीसरा—निवेशकों को यह समझना होगा कि १०० गुना वैल्यूएशन पर पैसा फेंकना इनोवेशन नहीं, मूर्खता है; निवेश से पहले बुनियादी सवाल पूछना ही बुद्धिमानी है। चौथा—अभिभावकों को यह भी स्वीकारना होगा कि किसी भी चमकदार ऐप से अधिक कद बच्चे की मेहनत और शिक्षक के समर्पण का होता है।

बायजूज़ का पतन भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य के लिए एक तीखा स्मरण है: ऊँचाई पर पहुँचना आसान है, पर बिना मजबूत नींव के टिक पाना असंभव। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि एनसीएलटी प्रक्रिया (नेशनल कम्पनी लॉ ट्राइब्यूनल) कम से कम अभिभावकों और कर्मचारियों के लिए कुछ राहत लेकर आएगी। लेकिन इस कहानी का असली महत्व उस सीख में है, जिसे अगले दशक तक देश को याद रखना होगा कि चमकदार विज्ञापन, गगनचुंबी वैल्यूएशन और आक्रामक वादों के पीछे छिपी सच्चाई को परखना हर निवेशक, हर अभिभावक और हर नियामक का नैतिक कर्तव्य है। बायजूज़ का अध्याय शायद समाप्त हो जाए, पर उसकी गलतियों से उपजा अनुभव भारतीय एडटेक के लिए एक नए, अधिक ज़िम्मेदार और अधिक मानवीय भविष्य की नींव बन सकता है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

डिजिटल व्यापार समझौते और भारत की स्वदेशी डिजिटल क्षमताएँ

- डॉ. सत्यवान सौरभ

डिजिटल युग में वैश्विक शक्ति-संतुलन तेल से डेटा की ओर, भू-राजनीति से तकनीक-राजनीति की ओर और पारंपरिक व्यापार से डिजिटल व्यापार की ओर निर्णायक रूप से स्थानांतरित हो चुका है। ऐसे समय में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसे दो समानांतर दवाबों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है—एक ओर वैश्विक डिजिटल व्यापार समझौतों में सम्मिलित होकर तीव्र होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्वयं को एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर स्वदेशी डिजिटल क्षमताओं, डेटा संसाधनों, तकनीकी नीति-निर्माण और डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करने की अनिवार्यता भी है। समस्या का केंद्रबिंदु यह है कि कई डिजिटल व्यापार समझौते ऐसे प्रावधानों से भरे हुए हैं जो सतही तौर पर मुक्त, सहज और त्वरित डिजिटल प्रवाह की वकालत करते हैं, किंतु वस्तुतः वे विकासशील देशों की नीति स्वायत्तता, घरेलू तकनीकी उद्योग, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और दीर्घकालिक रणनीतिक क्षमताओं को कमजोर करते हैं।

भारत की स्थिति विशेष रूप से इसलिए संवेदनशील है क्योंकि भारत एक विशाल डिजिटल बाजार, अत्यधिक उपभोग आधारित डेटा-संपदा, और वैश्विक मूल्य-श्रृंखला का उभरता हुआ तकनीकी केंद्र है। अतः डिजिटल व्यापार समझौते भारत की डिजिटल प्रगति के लिए अवसर भी हैं और जोखिम भी। यह समझना आवश्यक है कि कैसे ये समझौते भारत की स्वदेशी क्षमताओं को प्रभावित करते हैं और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए क्या संरचनात्मक सुधार अपेक्षित हैं।

डिजिटल व्यापार समझौतों का सबसे बड़ा प्रभाव भारत की नियामक स्वायत्तता पर पड़ता है। विकसित देशों द्वारा संचालित ऐसे समझौते अक्सर डेटा के मुक्त प्रवाह, डेटा स्थानीयकरण पर प्रतिबंध, डिजिटल सेवाओं पर गैर-भेदभाव, सोर्स कोड की सुरक्षा और स्वामित्व एल्गोरिदम के खुलासे पर रोक जैसी धाराओं को सम्मिलित करते हैं। ये प्रावधान भारत जैसे देश के लिए समस्यात्मक इसलिए हैं क्योंकि भारत अभी भी अपने डेटा शासन मॉडल, डिजिटल सुरक्षा ढाँचे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की रणनीति को धीरे-धीरे विकसित कर रहा है। भारत को यह अधिकार होना चाहिए कि वह डेटा कहाँ संग्रहीत हो, कौन इसका उपयोग करे, और इसका वाणिज्यिक व सामरिक महत्व किस प्रकार परिभाषित हो। यदि ये अधिकार किसी बहुपक्षीय समझौते में सीमित हो जाते हैं, तो भारत की नीति-निर्माण क्षमता बाधित हो जाती है।

डेटा स्थानीयकरण भारत के लिए केवल एक तकनीकी या वाणिज्यिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर संप्रभुता, डिजिटल न्याय और आर्थिक अवसरों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब डिजिटल व्यापार समझौतों में यह शर्त होती है कि कोई देश डेटा स्थानीयकरण लागू नहीं कर सकता, या केवल सीमित परिस्थितियों में कर सकता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि भारत अपने डेटा को विदेशी क्लाउड, विदेशी कंपनियों और विदेशी सर्वर संरचनाओं पर निर्भरता के साथ संचालित करने को बाध्य हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप एआई मॉडल, बिग डेटा एनालिटिक्स, नागरिक डिजिटल सेवाएँ और वित्तीय सुरक्षा प्रणाली विदेशी नियंत्रण-क्षेत्र में चली जाती हैं, जो दीर्घकाल में भारत की तकनीकी स्वतंत्रता को कमजोर करता है।

स्वदेशी डिजिटल क्षमताओं पर दूसरा बड़ा प्रभाव डिजिटल औद्योगिक नीतियों पर लगने वाली सीमाओं के रूप में सामने आता है। डिजिटल व्यापार समझौते प्रायः यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी देश विदेशी डिजिटल सेवा प्रदाताओं या डिजिटल व्यापार कंपनियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपनाएगा। लेकिन भारत के संदर्भ में यह "भेदभाव" अक्सर नीतिगत प्रतिबंध बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि भारत घरेलू क्लाउड सेवा प्रदाताओं को बढ़ावा देना चाहता है, या घरेलू एआई अवसंरचना का विकास करना चाहता है, तो यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा यदि समझौतों में विदेशी कंपनियों के लिए अनिवार्य "नॉन-डिस्क्रिमिनेशन" या "नेशनल ट्रीटमेंट" जैसी शर्तें शामिल हों।

सोर्स कोड और एल्गोरिदमिक पारदर्शिता भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ डिजिटल व्यापार समझौते भारत की क्षमता-निर्माण को बाधित कर सकते हैं। कई समझौतों में यह शर्त होती है कि कोई भी सदस्य-देश विदेशी कंपनियों से सोर्स कोड या एल्गोरिथ्मिक जानकारी की मांग नहीं करेगा। सतही तौर पर यह बौद्धिक संपदा की सुरक्षा जैसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता यह है कि इससे घरेलू प्रतिस्पर्धा, स्वदेशी तकनीकी नवाचार और नियामकीय पारदर्शिता प्रभावित होती है। भारत यदि एआई मॉडल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वित्तीय तकनीक या साइबर सुरक्षा ढाँचों को नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे यह समझने की आवश्यकता है कि इन तकनीकों का मूल संरचनात्मक व्यवहार क्या है। लेकिन यदि समझौते इसे कानूनी रूप से असंभव बना दें, तो भारत एक सतही उपभोक्ता मात्र बनकर रह जाता है, निर्माता नहीं।

डिजिटल व्यापार समझौतों का एक और गंभीर प्रभाव वैश्विक तकनीकी कंपनियों से कराधान के अधिकार पर पड़ता है। कई समझौते डिजिटल सेवा कर, समानता कर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त भार को प्रतिबंधित कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनियाँ भारतीय बाजार से विशाल राजस्व अर्जित करती हैं, परंतु भारत को उनसे अपेक्षित कर नहीं मिल पाता। इससे न केवल भारत की वित्तीय क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि घरेलू कंपनियों को भी असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यापार समझौते भारत को भविष्य में अपनी डिजिटल रणनीति को लचीले रूप से बदलने से भी रोक सकते हैं। जब कोई देश किसी समझौते में कठोर प्रतिबद्धताएँ कर देता है, तो आने वाले वर्षों में उसके लिए तकनीकी क्षेत्र में बदलते खतरों और अवसरों के अनुसार नीतियों में संशोधन करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, साइबर सुरक्षा, डीपफेक विनियमन, एआई नैतिकता, डिजिटल मुद्रा शासन या क्लाउड नियंत्रण जैसे क्षेत्र अत्यंत गतिशील हैं। लेकिन यदि समझौते में ऐसी शर्तें हों जो भारत की विवेकाधीन शक्ति को सीमित कर दें, तो भारत अपनी डिजिटल भविष्य-निर्माण क्षमता खो देता है।

दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत को कई स्तरों पर सुधारों और रणनीतियों की आवश्यकता है। सबसे पहले, भारत को डिजिटल संप्रभुता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से परिभाषित और संस्थागत रूप देना होगा। डेटा शासन, एआई नीति, डिजिटल प्लेटफॉर्म विनियमन और साइबर सुरक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारत को किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते से ऊपर घरेलू कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से इस दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए हैं, परंतु इसे और व्यापक डिजिटल अधिकार-आधारित ढाँचे की आवश्यकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार स्वदेशी डिजिटल अवसंरचना के निर्माण में निहित है। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण, उन्नत चिप डिजाइन, घरेलू क्लाउड, एआई कम्प्यूट अवसंरचना, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को प्राथमिकता देनी चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था तभी स्वतंत्र और स्थायी हो सकती है जब उसकी नींव पराई तकनीक पर निर्भर ना हो। भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल—आधार, यूपीआई, डीआईजीआईलॉकर, ओएनडीसी—एक उदाहरण है कि कैसे सार्वजनिक नियंत्रण में निर्मित प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर नवाचार का आधार बन सकती हैं।

तीसरा, भारत को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में स्पष्ट ₹रेड लाइन्स₹ के साथ प्रवेश करना चाहिए। भारत को साफ-साफ यह बताना होगा कि वह किन मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा—विशेषतः डेटा स्थानीयकरण, डिजिटल कराधान, एल्गोरिथ्मिक पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी डेटा, संवेदनशील तकनीकें और स्वदेशी डिजिटल उद्योगों के संरक्षण के मुद्दे। यदि समझौते इन क्षेत्रों में अत्यधिक बाधात्मक हों, तो भारत को उनका हिस्सा बनने से इंकार करने का भी अधिकार होना चाहिए, जैसा कि भारत ने कई बार वैश्विक ई-कॉमर्स नियमों में अनुचित शर्तों के कारण किया है।

चौथा, भारत को डिजिटल व्यापार वार्ता में केवल एक उपभोक्ता या बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक तकनीकी शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहिए। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कौशल-आधार, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का विशाल समूह और उभरती हुई स्टार्टअप प्रणाली है। भारत को तकनीकी प्रतिभा को वार्ता की शक्ति में परिवर्तित करना चाहिए। यह एक निर्यात योग्य क्षमता है—भारत तकनीकी सेवाओं, डिजिटलीकरण विशेषज्ञता और एआई मॉडल-ट्रेनिंग क्षमताओं का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है, बशर्ते उसकी नीति स्वतंत्रता सुरक्षित रहे।

पाँचवाँ सुधार संप्रभु कंप्यूटिंग प्रणाली के निर्माण से संबंधित है। भविष्य में डेटा ही नहीं, बल्कि कम्प्यूटिंग शक्ति भी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बनेगी। भारत को सुरक्षित, स्वदेशी और उच्च क्षमता वाली क्लाउड प्रणाली, सैन्य-ग्रेड साइबर नेटवर्क, एआई कम्प्यूट स्टैक और सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन की दिशा में निवेश बढ़ाना चाहिए। चीन का उदाहरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब कोई देश अपने कंप्यूट स्टैक पर नियंत्रण कर लेता है, तब वह डिजिटल अर्थव्यवस्था में निर्णायक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है।

सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण सुधार एक सुदृढ़ डिजिटल कूटनीति नीति का निर्माण है। डिजिटल व्यापार केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है; यह भू-राजनीति, रणनीति, गठबंधन, वैश्विक मानकों और तकनीकी प्रभुत्व का विषय भी है। भारत को वैश्विक डिजिटल मानकों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि वैश्विक नियम विकसित देशों के हित में नहीं, बल्कि व्यापक, समावेशी और बहुध्रुवीय डिजिटल व्यवस्था के हित में बनें।

इन सभी पहलुओं को एक साथ देखने से स्पष्ट होता है कि डिजिटल व्यापार समझौते भारत के लिए एक अवसर भी हैं और चुनौती भी। इन समझौतों में शामिल होने से भारत वैश्विक डिजिटल बाजारों तक पहुंच, अधिक निवेश, उन्नत तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि ये समझौते भारत की नीति-स्वतंत्रता, डिजिटल सुरक्षा, नागरिक डेटा नियंत्रण और घरेलू तकनीकी उद्योग को कमजोर करते हैं, तो उनका दीर्घकालिक प्रभाव विनाशकारी भी हो सकता है।

इसलिए, भारत को संतुलन की उस सूक्ष्म रेखा पर स्थिरता से चलना होगा जहाँ वह वैश्विक व्यापार का हिस्सा भी बने, परंतु अपनी डिजिटल आत्मनिर्भरता और संप्रभुता को खोए बिना। यही भविष्य के भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक विकल्प है। डिजिटल व्यापार समझौते तभी भारत के लिए उपयोगी होंगे जब भारत उनका हिस्सा अपनी शर्तों पर बने—न कि विकसित देशों की शर्तों पर।

डिजिटल युग में संप्रभुता केवल सीमा या सैन्य शक्ति का प्रश्न नहीं है, बल्कि डेटा, एआई, कंप्यूटिंग शक्ति, साइबर सुरक्षा और स्वदेशी तकनीक पर नियंत्रण का प्रश्न है। यदि भारत अपने इन संसाधनों की रक्षा कर पाता है और स्वदेशी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाता है, तो भविष्य में वह न केवल डिजिटल अर्थव्यवस्था का उपभोक्ता रहेगा, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली प्रमुख शक्ति भी बनेगा। यही दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की सच्ची रक्षा है।

भुवनेश्वर में 500 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा, मंत्री ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: भुवनेश्वर में 500 एकड़ सरकारी ज़मीन पर अमीर और प्रभावशाली लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को विधानसभा में यह चौंकाने वाली जानकारी दी।भुवनेश्वर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन (BMC) के तहत आने वाले बड़े इलाकों जैसे बापूजी नगर, अशोक नगर, गंगा नगर, शहीद नगर, सूर्यनगर, बामिखल, झारपड़ा और पाटिया में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की खबर मिली है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इन गैर-कानूनी कब्ज़ों को हटाने की कोशिश शुरू कर दी है और गिराने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए जल्द ही एक खास कमेटी बनाई जाएगी। इस साल तक 70 एकड़ कब्ज़े वाली सरकारी ज़मीन को छुड़ाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हाउसिंग और शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने कब्ज़ों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी और कहा कि असरदार दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यह भी पता चला है कि कुछ असरदार लोगों ने सरकारी ज़मीन पर घर बनाकर उन्हें किराए पर दे दिया है। मंत्री ने कहा कि ऐसे अपराधियों की पहचान करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए BMC कमिश्नर, BDA और मेयर के साथ तालमेल बनाए रखा जाएगा। सरकार राजधानी को कब्ज़ों से मुक्त करने और गरीबों को घर की मदद देने पर ध्यान दे रही है।

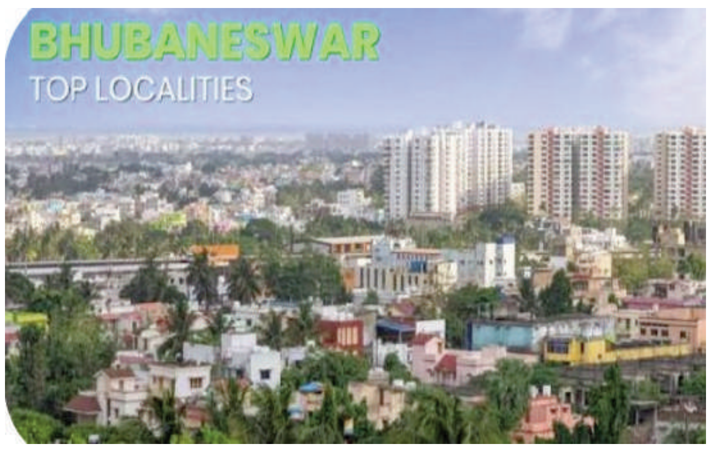

रांची में भारत -साउथ अफ्रीका मैच के दौरान मैदान में घुसा युवक , कोहली के छुए पैर

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , जैसे ही विराट कोहली ने मैच में 102 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। उनके शतक पूरा करने के बाद एक फैन मैदान में घुस गया । फिर उसने कोहली के पैर छुए। उधर सुरक्षा में सेंध पर मामला चर्चित हो गया।

यह मामला उस वक्त का है जब कोहली ने 38वें ओवर की पांचवीं गेंद पर चौका लगाकर शतक रविवार को पूरा किया था ।शतक लगाने के बाद उन्होंने हवा में छलांग लगाकर इसका जश्न मनाया। शतक पूरा करने के तुरंत बाद ही एक फैन उनके पास पहुंच गया और उनके पैर छुए। इसके बाद स्टेडियम में कुछ समय तक अफरातफरी का महौला दिखा ।हालांकि तुरंत ही सुरक्षाकर्मी उस फैन को पकड़कर मैदान से बाहर ले गए।

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ जब कोई फैन मैच के दौरान विराट कोहली से मिलने मैदान में घुसा हो। इससे पहले आईपीएल के दौरान भी नजारा ऐसा देखने को मिला था, जहां फैन उनसे मिलने के लिए क्रीज तक पहुंच गया था। कोहली ही नहीं रोहित शर्मा, महेंद्रसिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों से मिलने के लिए कई फैन मैदान में घुस चूके हैं। भारत में मैदान पर ऐसा नजारा कई बार देखने को मिला है। जो खेल को देख रहे दर्शक को अनायास कौतुक बना देता ।

वैसे भी कोहली से मिलने ओडिशा से ओडिया युवक साईकिल पर सवार होकर मुंबई तक पहुंच गया । कोहली ने उनके साथ अपने गार्डन में कुछ समय विताये ।जो उनके स्वभाव को और अधिक आकर्षक बना देता है साथ ही हर उम्र के फैन उनसे मिलने आतुर रहते हैं ।

बता दें कि रांची में खेले गये पहले वनडे मैच की बात करें तो वहां रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों प्लेयर्स के बीच दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में पांच चौके और 3 छक्के की मदद से 57 रन बनाए। वहीं विराट कोहली 120 गेंदों में 135 रन की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए। विराट ने अपनी पारी के दौरान 11 चौके और 7 छक्के लगाए।

संकट में देव नदी: पानी सूखा , रेत तस्करी चरम पर

किसानों की जीवनरेखा बनी नदी का अस्तित्व संकट में – डॉ राजकुमार यादव
अधूरा बैराज व प्रशासनिक लापरवाही पर उठे सवाल

राउरकेला: झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के गम्हारिया से उद्गमित देव नदी ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के नुआगांव और कुआरमुंडा ब्लॉक के हजारों लोगों की जीवनरेखा रही है। लगभग 56 किलोमीटर का सफर तय कर यह नदी झिरपानी के पास कोएल नदी में मिलती है। एक समय जल से सदैव भरी रहने वाली यह नदी अब बारिश छोड़कर वर्षभर सूखी दिखाई देती है।

नुआगांव की 20 में से 12 से अधिक पंचायतों और कुआरमुंडा ब्लॉक की कई पंचायतों के किसान खरीफ–रबी दोनों मौसम में इस नदी पर निर्भर थे। पहले लगभग 75% ग्रामीण कृषि पर आश्रित थे, लेकिन अब पानी के अभाव में महज 12% भूमि ही सिंचित हो पाती है। नुआगांव में खरीफ में केवल 24% और रबी में 8% सिंचाई संभव हो पा रही है।

सब्ज़ी उत्पादन में नुआगांव की पहचान रही है, मगर पानी न होने से खेत लगातार खाली पड़ रहे हैं। दूसरी ओर अवैध रेत तस्करी नदी की सेहत को और बिगाड़ रही है। बिना लीज़ के सरकारी संरक्षण में हो रही यह तस्करी नदी के तट और जलधारा दोनों को नुकसान पहुचा रही है।

सिंचाई विभाग द्वारा लिम्डा पंचायत में बनाया गया पम्प हाउस पानी के अभाव में बेकार पड़ा है। वहीं लुकुमबेड़ा पंचायत के गुपुर में दो वर्षों से बन रहा बैराज आज भी अधूरा है। इसके पूरा होने की उम्मीद पर ही किसानों की सिंचाई निर्भर है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव का कहना है कि यदि सरकार ने नदी पुनरुद्धार, बैराज निर्माण और रेत तस्करी रोकने पर तत्काल कदम नहीं उठाए, तो देव नदी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

पूर्वी सिंहभूम में अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदनों पर उपायुक्त सत्यार्थी ने की समीक्षा

7 आश्रितों को वर्ग–3 एवं 2 आश्रितों को वर्ग–4 में नियुक्ति हेतु समिति ने की अनुशंसा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

रांची , उपायुक्त सह जिला अनुकंपा समिति के अध्यक्ष कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति संबंधी कुल 9 आवेदनों पर विस्तृत समीक्षा की गई। सभी दस्तावेज़ों, पात्रता एवं सेवा अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत समिति ने 7 आश्रितों को वर्ग-3 तथा 2 आश्रितों को वर्ग-4 में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की नाम निम्नवत हैं-

. सुरज दलाई, पिता – स्व. चन्द्र शेखर दलाई, आदित्य कुमार, पिता – स्व. अरूण कुमार, निराली ज्योति लकड़ा, पति – स्व. पतरस सेबेस्तियन हेंब्रम, राकेश कुमार दास, पिता – स्व. सुधांशु शेखर दास, मोहम्मद अनस- पिता – मो. सुहैल खान ,गुलु चरण मुर्मु, माता – स्व. जलसरी माझियान, दीपराज सबर, पिता – स्व. बंकू सबर

वर्ग–4 में नियुक्ति हेतु अनुशंसित आश्रित में से , हराधन सिंह सरदार, पिता – स्व. मंगल सिंह मुण्डा, पुलिस हेंब्रम, पिता – स्व. सुक्कू हेंब्रम

बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद, स्थापना उपसमाहर्ता चंद्रजीत सिंह, डीईओ मनोज कुमार, डीएसई आशीष पांडेय समेत अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे ।

दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन 2 दिसंबर को अपनी पुरानी लंबित मांगो को पूरा ना करने के खिलाफ और दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत के टूरिस्ट टैक्सी बस वालो पर होने वाले अत्याचार और दमनकारी नीतियों के खिलाफ, कमीशन फॉर एयर क्वाल्टी मेनेजमेंट, दिल्ली और केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर भारी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं.

हमारी सालो पुरानी लंबित मांगे :-1.जितनी डीजल टैक्सी बसों की लाइफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हैं उतना उनको चलने दे.

2.पेनिक बटन की अनिवार्यता हटाई जाए, इसमें करोडो रुपए का भ्रष्टाचार हो चूका.

3.स्पीड लिमिट डिवाइस आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से हटाया जाए.

4.एथनोल के नाम पर पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाना बंद किया जाए. और डीजल पेट्रोल की क्वालिटी सुधारी जाए.

5.हाईवे जनता के पैसे से बनते हैं, इनको टोल मुक्त किया जाए.

6.ट्रैफिक चालान के जुर्माने कम किये जाए.

7.CNG के दाम कम किये जाए.

8. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दाम कम किये जाए और इसका ओपन टेंडर करवाया जाए और इसमें हुए घपले की भी जांच की जाए.

9. इलेक्ट्रिक टैक्सी बसों को ट्रांसपोर्टर्स को खरीदने के लिए मजबूर ना किया जाए.

10. सरकारी भवनो और कॉल सेंटर और मल्टी नेशनल कम्पनीयों में CNG टैक्सी बसों को चलने की इजाजत बरकरार रहे क्योंकि CNG प्रदूषण रहित हैं.

11. इन्शुरन्स के दाम कम किये जाए.

12. आल इंडिया टूरिस्ट परमिट BS 3/4 टैक्सी- बसों और टेम्पो ट्रैवेलर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान फॉर एनसीआर के ग्रेप स्टेज से हमेशा के लिए बाहर किया जाए.

13. 15 नवंबर 2024 के बाद हमारी जितनी टूरिस्ट टैक्सी बसों और टेम्पो ट्रेवलर के 20 हजार के चालान हुए हैं उन्हें केन्सिल किया जाए.

14. प्रदूषण फैक्ट्री के धूएँ और कंस्ट्रक्शन की धुल मिट्टी से होता हैं,इनको कंट्रोल किया जाए और कृत्रिम बारिश कराई जाए.

15. हवाई जहाज के धुएं का प्रदूषण और उसकी उम्र भी चेक करी जाए.

ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना हैं की इन सब मांगो के लिए हम लगभग 10 सालो से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन हर बार हमारी मांगो को सरकार और CAQM लगातार अनसुना कर रहा हैं.

इसलिए अपनी मांगो के लिए टूरिस्ट टैक्सी बस वाले जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे.

केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों को ए सी पी एवं एम ए सी पी कैट न्यायलय द्वारा मिल सकेगी:मांगीलाल कजोरिया

नई दिल्ली : संविधान दिवस के अवसर पर शिक्षक कल्याण फाउंडेशन द्वारा संविधान, सामाजिक न्याय एवं शिक्षकों के कानूनी अधिकारों विषय पर एक व्यापक परिचर्चा का आयोजन शिक्षक सदन, सूरजमल विहार, दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, अधिवक्ता, शिक्षाविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) के सदस्य एवं शिक्षाविद डॉ. अनुज गोयल ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि "शिक्षक राष्ट्र निर्माण के केंद्र में हैं और भविष्य की दिशा तय करने में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।"

परिचर्चा के प्रारंभिक सत्र में उपस्थित शिक्षकों ने अपने विचार रखे और विशेषज्ञों से संवैधानिक अधिकारों, सेवा नियमों एवं प्रशासनिक चुनौतियों से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। इस संवादात्मक वातावरण ने कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक एवं सार्थक बनाया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सरन पाठक ने संविधान के प्रमुख मौलिक अधिकारों— अनुच्छेद 19, अनुच्छेद १२–३५, अनुच्छेद २१A (नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि "शिक्षा राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति है, और शिक्षकों का संवैधानिक रूप से जागरूक होना आवश्यक है।

श्रोताओं के कानूनी प्रश्नों का उत्तर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री मांगीलाल कजोरिया ने स्पष्ट व्याख्यों से दिया। एवं कैट जबलपुर में लंबित मुकेश कुमार बागड़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य की पैरवी करते हुए सभी केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों को ACP एवं MACP दिलाने का आश्वासन दिलाया।

विशिष्ट अतिथि श्री ध्रुव शंकर मिश्रा ने शिक्षा में पारदर्शिता व न्याय की आवश्यकता पर बल दिया।

जीएसटीए महासचिव श्री अजय वीर यादव ने भी शिक्षक समुदाय की चुनौतियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

शिक्षक कल्याण फाउंडेशन के संयोजक श्री जगदीश विग ने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग से आग्रह किया कि आगामी एमएलसी (शिक्षक) चुनाव में शिक्षकों की ही उम्मीदवारी सुनिश्चित हो, उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित ना हो ताकि विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधित्व की सार्थकता न्यायसंगत बने, ताकि शिक्षकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके और उनकी आवाज़ नि:स्वार्थ रूप से विधान परिषद तक पहुँच सके।

अवैध बालू परिवहन का विरोध कर माफिया सिंडिकेट का शिकार हुए नेता की रिहाई हेतु चांडिल में भव्य मशाल जुलूस

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

जेऐलकेएम ने दिया बडा संदेश : झारखंड का निर्माण– यातना पाने एवं जेल जाने हेतु नहीं, अपितु झारखंडी हित व मान–सम्मान सर्वोपरि है ।

ईचागढ़ /कुकड़ू , ईचागढ़ थाना के साथ मधुर संपर्क स्थापित कर अवैध तरीके से हाईवा पर बालू ढोने वाले माफियाओं द्वारा जेएलकेएम विधायक प्रत्याशी को उसी थाने में दी गई अमानवीय यातना अब उनके कारोबार के लिए आसान नहीं होगा ।

नेता तरूण महतो के साथ 3 अन्य साथियों को जेल भेजे जाने के विरोध में जोरदार मशाल जुलूस पुलिस - माफिया सिंडिकेट के विरोध में चांडिल में निकाला ।जिसमें नेता, आम पब्लिक , छोटे वाहन के कारोबारी आदि मिलाकर मशाल की रोशनी में पुलिस - प्रशासनिक दमनात्मक रवैया और बालू माफियाओं की खुली मिलीभगत के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज किया तथा अपने सभी साथियों की अविलंब रिहाई की मांग रख डाली ।

इस कार्यक्रम में तरुण महतो की धर्मपत्नी भानुमति महतो की उपस्थिति रही,जबकि पूरे जुलूस का नेतृत्व में पार्टी के केंद्रीय संगठन मंत्री फुलचंद महतो ने किया। जुलूस के दौरान पार्टी ने पार्टी व माटी को लेकर स्पष्ट संदेश देते हुए कहा गया कि- झारखंड यातना पाने और जेल जाने के लिए नहीं बनी है ।झारखंडियों की झारखंड उनके के हित और सम्मान के लिए बनी है और आगे भी इस राज्य की मान–सम्मान की लड़ाई में पार्टी हमेशा मजबूती से खड़ी रहेगी।"

चांडिल एवं आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में जयराम महतो समर्थक इस भव्य मशाल जुलूस में शामिल हुए और न्याय की आवाज़ को और बुलंद किया। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में अब पैनी नजर केंद्र के कुछ उन एजेंसियों की शीघ्र पड़ने जा रही है जो हाल ही में धनबाद के कोयला माफियाओं के ऊपर विगत कुछ समय से बना हुआ था । कारण ईचागढ़ से थाना प्रभारी को हटाने बाद भी एक आरोपी शख्स को उसी थाने में बनाये रखा जाना , जो उन तमाम अवैध कारोबार का मुख्य सुत्रधार माना जाता है तथा आदित्यपुर में उसकी साख पर प्रश्नचिन्ह पहले से लगा बताया जाता है !ऐसे में शक की सुई वर्दी की तरफ इंगित होने के लिए पर्याप्त है ।

इस मशाल जुलूस कार्यक्रम में पीड़ित नेता सुनील की पत्नी भानुमति महतो,जिला वरीय उपाध्यक्ष ,मीनाक्षी महतो,जिला सचिव,फुलचाँद महतो केन्द्रीय संगठन महासचिव, प्रकाश कुमार जिला मीडिया प्रभारी ,सुमित महतो प्रखण्ड मीडिया प्रभारी ,गुरुपद महतो जिला उपाध्यक्ष ,राकेश महतो विस्थापित अधिकार मंच ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया ।जहां हजारों तादाद में आम लोग साथ ही छोटे वाहनों में परिवहन करने वाले ट्रान्सपोर्टर ,किसान आदि भारी संख्या में शामिल थे ।

2025 को अलविदा

अंग्रेजी साल का आखिरी महीना दिसंबर है सबसे जुदा,
कुछ दिनों में बस अब करेंगे हम यूँ 2025 को अलविदा,
जीवन के इस मोड़ पर यह साल कितने रंग संग लाया,
समय की दौड़ में कुछ ने बहुत खोया तो कुछ ने पाया ।

इस साल ने दहशत से ऑखों में दिए ऑसू हुए तन्हा,
संजोए कुछ नयनों में खुशी के ऑसू बना ख़ास लम्हा,
बड़ी–बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों से भरा हुआ ये वर्ष,
बेहद कठिन वक्त और भारतवर्ष के लिए भीषण संघर्ष ।

सुखों–दुखों की यादों से लबरेज़ खट्टा–मीठा रहा साल ये,
कहीं उजडी.बस्तियाँ और कई सितारों को ग्रसा काल ने,
कहीं बाढ़ कहीं सूखा तो कहीं बिजली ने बरसाया कहर,
कहीं हवा हो गई जहरीली और धूँ–धूँ करते जले शहर ।

देश की जल थल नभ सैन्य शक्तियों ने आत्मबल दिया,
भारतवासियों को नई ऊर्जा शक्ति साहस से भर दिया,
2026 की महत्वपूर्ण योजनाओं का आगाज़ अब होगा,
₹आनंद₹ हौसलों से ख्वाबों का फिर से आमना–सामना होगा ।

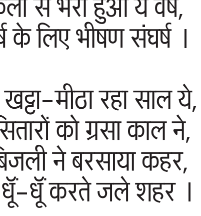

विविधता में एकता के साथ हम
चलेंगे एक दूजे के संग,
देंगे भारत को विकास और
प्रगति के नए ख़ूबसूरत रंग,
बीते साल की गलतियों से लेकर
सबक बढ़ेंगे आगे हम,
प्यारा भारत व हर भारतवासी रहे ख़ुशहाल हममें हैं दम ।
– मोनिका डागा "आनंद" , चेन्नई, तमिलनाडु

स्लाइट में ग्रीन केमिस्ट्री और एनवायर्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन

लोंगोवाल, 1 दिसंबर (जगसीर सिंह) - स्लाइट

केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने सोमवार को एच.ऐस -4, साइंस ब्लॉक में "ग्रीन केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग फॉर एनवायर्नमेंटल सस्टेनेबिलिटी -2025 " पर एक हफ़्ते के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया।

रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रो-वाइस-चांसलर और सीएसआईआर - सीडीआरआई , लखनऊ के पूर्व चीफ़ साइंटिस्ट प्रो. अरुण कुमार सिन्हा इस समय गेस्ट ऑफ़ ऑनर के तौर पर शामिल हुए और मुख्य भाषण दिया, अपने लेक्चर में, उन्होंने सस्टेनेबल केमिकल प्रोसेस की बढ़ती ग्लोबल ज़रूरत और ग्रीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देने में रिसर्चर्स की भूमिका पर ज़ोर दिया। स्लाइट के निर्देशक प्रो. मणि कांत पासवान इस इवेंट में चीफ़ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए और एनवायर्नमेंटल चुनौतियों से निपटने के लिए एकेडमिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोग्राम शुरू करने के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तारीफ़ की।

सम्मेलन की अध्यक्षता केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड प्रो. हरीश कुमार चोपड़ा ने की। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉ. हिमांशु रानी ने एक हफ़्ते तक चलने वाले फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ओवरव्यू दिया, जिसमें इसके मकसद और प्लान किए गए टेक्निकल सेशन के बारे में बताया गया।इवेंट का अंत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉ. पायल मलिक के वोट ऑफ़ थैंक्स के साथ हुआ। यह प्रोग्राम 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें एक्सपर्ट लेक्चर, डिस्कशन और हैंड्स-ऑन सेशन होंगे, जिनका मकसद फैकल्टी और रिसर्चर के बीच सस्टेनेबल केमिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा देना है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी–18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए–4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली– 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023